खण्ड-339, अंक-1
शनिवार, 29 वैशाख, शक संवत् 1901
(19 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय		पृष्ठ संख्या
गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना		19
जिला अस्पताल, बरेली के डाक्टर ए स० एस० गुप्ता, डाक्टर मुकर्जी, डाक्टर तिवारी एवं श्री धवन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. .. ..	19–21
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	.. .. ..	21
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 24—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 96—राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) तथा अनुदान संख्या 115—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)		22–76
स्थानीय निकायों के चुनाव के स्थगन के सम्बन्ध में घोषणा		76–77
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना		77
बदायूं के भूतपूर्व विधायक श्री शिवराज सिंह की हत्या के पश्चात् उनके भाई श्री सत्यपाल सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य		78–82
नत्थी		83

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य —299

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज , श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह; श्री
उदित नरायन, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशोर पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पाठीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी; श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री

छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल , डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह मैसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज,' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृजलाल, श्री
बैचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही,' श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री

मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री

वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार भी सदन में उपस्थित थे।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लिए गए साक्षात्कार का परिणाम घोषित न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में गत तीन वर्षों से लगभग 500 स्थान विभिन्न पदों पर रिक्त हैं। जिसके कारण उद्योगों के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यों की गति धीमी हो रही थी। अतएव वर्ष 1978 में अक्टूबर मास में खादी बोर्ड ने दिल्ली एवं प्रदेश के विभिन्न पत्रों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति निकाली जिसके परिणामस्वरूप 500 रिक्त पदों के लिये लगभग चार हजार बेकार युवकों ने प्रार्थना-पत्र दिये एवं जिनमें से लगभग तीन हजार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं कानपुर में जनवरी-फरवरी, 1979 में किया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी का फार्म भरने तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने में प्रत्येक का लगभग सौ-सौ रुपया व्यय हुआ। परन्तु आज तक साक्षात्कार का परिणाम नहीं बताया गया, जिसके कारण एक ओर तो इन युवकों में घोर असन्तोष एवं रोष व्याप्त है तथा दूसरी ओर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य लगभग ठप्प सा हो गया है तथा अन्य प्रदेशों की तुलना में बोर्ड का लघु एवं कुटीर उद्योगों हेतु छोटे-छोटे काश्तकारों एवं कारीगरों को कर्ज देने का कार्य रुका पड़ा है। अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से माँग करता हूं कि इस संबंध में अविलम्ब उचित कार्यवाही कर अभ्यर्थियों को न्याय दिलावें।

---

1 पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रायबरेली की स्वीकृत तथा प्रस्तावित विकास एवं औद्योगिक योजनाओं को रोकने तथा अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

रायबरेली की स्वीकृत तथा प्रस्तावित विकास एवं औद्योगिक योजनाओं को रोकने तथा अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, रायबरेली की स्वीकृत तथा प्रस्तावित विकास एवं औद्योगिक योजनाओं को रोके जाने तथा प्रदेश से बाहर ले जाने से नागरिकों में असंतोष है और विरोध में भूख हड़ताल प्रारम्भ हो गयी है। वहाँ की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:—

(1) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, रायबरेली के द्वितीय चरण में 40 करोड़ रुपये की योजना (क्रासवार) दूसरे प्रदेश में ले जाने की कोशिश,

(2) दूरभाष्य को सुगम बनाने हेतु माइक्रोवेव प्रोजेक्ट जिसके लिये 7 लाख का भवन तैयार है और 3 लाख रुपये की मशीनें रायबरेली आकर अम्बावा भेज दी गयी हैं,

(3) ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन की 250 करोड़ रुपये की योजना को अभी तक प्रारम्भ न करना,

(4) रायबरेली तथा सुल्तानपुर के मध्य जगदीशपुर औद्योगिक योजना को प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। जब कि इस योजना पर करोड़ रुपया भूमि अर्जित करने तथा एरिया को विकसित करने में खर्च हो गया है,

(5) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की विस्तार योजना को बन्द कर आवश्यक प्रशिक्षण की सीटें घटा दी गयी हैं।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ओर इन योजनाओं को चालू करने के लिये तुरन्त ध्यान दिया जाये नहीं तो वहाँ की जनता जन आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी।

लखनऊ के ठाकुरगंज मुहल्ले में बिजली के करेन्ट से एक बालिका की मृत्यु तथा अन्य बच्चों के घायल होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

यह कि चौक थाना लखनऊ के अन्तर्गत ठाकुरगंज मोहल्ले में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बिजली का करेन्ट लग जाने के फलस्वरूप एक बालिका की मृत्यु हो गयी है और तीन बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये। प्राप्त सूचना के अनुसार मोहल्ला मल्लाही टोला में पोल नं0 जी0 एल0 एम0 आर0 डी0 29/3 से 29/2 तक तार टूटा हुआ सड़क पर फैला हुआ था। दिनांक 13-5-1979 को लगभग 4 बजे सायंकाल मोहल्ले के बच्चे जब अपने घरों से खेलने के लिये पहुंचे, तभी 4 बच्चे लगातार एक-एक करके दूसरे से चिपक गये। शोरगुल सुनकर लोग दौड़ पड़े और बिजली के तारों से चिपके हुये चारों बच्चों को युक्तिपूर्वक छुड़ा कर मेडिकल कालेज पहुंचाया जहाँ 10 वर्षीय बच्ची विमला को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा अन्य चार घायल बच्चे लक्ष्मी नारायण, हरी प्रसाद आदि को भरती कर दिया गया जिनकी हालत गम्भीर व चिन्ताजनक है। यह पहली घटना नहीं है प्रत्येक दिन कोई न कोई इस प्रकार की घटना होती रहती है। इन घटनाओं से जनता में रोष एवं असंतोष की भावना फैलती जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस घटना से उत्पन्न समस्या पर तुरन्त वक्तव्य दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

श्रीमन्, मैं यह और कहना चाहता हूं कि यह जो बिजली विभाग का सफेद हाथी है, यह चारों तरफ घूम रहा है, इनकी लापरवाही से। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि इस पर तुरन्त ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे नहीं।

आजमगढ़ के चकबन्दी अधिकारियों की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कतिपय व्यक्तियों द्वारा विधान भवन के सामने भूख हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आपका ध्यान जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील घोसी, परगना नथ्थूपुर के अन्तर्गत चल रहे चकबन्दी में चकबन्दी अधिकारियों एवं कर्मचारयों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध पचासों आवेदन-पत्र दिये गये और उनमें यह मांग की गयी कि इन्हें हटाकर ईमानदार अधिकारियों द्वारा पुनः चकबन्दी कराई जाय, परन्तु क्षेत्रीय विधायक के पद के प्रभाव का दुरुपयोग होने के कारण भ्रष्ट ए0 सी0 ओ0 आदि वहीं पड़े हैं, इससे उस क्षेत्र के छोटे काश्तकार, कमजोर वर्ग और हरिजनों की घोर हक तलफी होती जा रही ह। उक्त लोगों के जीवन-मौत का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। जिससे प्रभावित होकर उस क्षेत्र के श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा, श्रीमती शारदा देवी मिश्रा, गोपाल मौर्य पांच दिनों से विधान सभा के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं। परन्तु अभी तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। शासन के मौन रहने से उक्त श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा, आगामी दिनांक 20–5–70 को 4 बजे आत्मदाह करने का निश्चय किया है, जो एक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है, जिसका निराकरण अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर अपेक्षा करता हूं कि उपरोक्त इलाके के सी0ओ0, ए0सी0ओ0 तथा अन्य भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध अनेकों शिकायतें माननीय राजस्व मंत्री एवं जिला प्रशासन को दी जा चुकी हैं, उन्हें हटा कर जनहित में फिर से चकबन्दी कराने की व्यवस्था कराई जाय और सबंधित मंत्री अनशनकारियों को आश्वासन दें तथा उनका आमरण अनशन समाप्त कराएं और आत्म-दाह से बचाने की भी कार्यवाही की जाय ताकि जनता का हित हो सके।

यह जनहित में नितान्त आवश्यक है। मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि ये जो आमरण अनशन कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन देकर उन्हें बचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप इसको देख लें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं पढ़ूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप थे नहीं, आखिर में आप पढ़ लें।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार के डा० श्री शिव वंश तिवारी को सब इन्स्पेक्टर, श्री मुकुन्दी लाल शर्मा द्वारा मारे पीटे जाने की घटना को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

महोदय, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के सम्मानित डाक्टर श्री शिव वंश तिवारी 21–22 की रात्रि में जब फार्मेसी से ड्यूटी देकर रात्रि के साढ़े दस बजे अपने निवास स्थान दारुलशफा

गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार के डाक्टर श्री शिववंश तिवारी को सब इंस्पेक्टर श्री मुकुन्दी लाल शर्मा द्वारा मारे-पीटे जाने की घटना के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

कालड़ा धर्मशाला पहुंचे कि श्री मुकुन्दी लाल सब-इन्सपेक्टर अपने सिपाहियों को लेकर उन के घर में घुस गया और उनसे बुरी तरह से बर्बरता पूर्वक मारपीट की। श्री शर्मा शराब के नशे में चूर थे। मारने के बाद उन्हें पकड़कर कोतवाली में ले आये और रात भर उन्हें एक कोठरी में बन्द रखा और दूसरे दिन दोपहर एक बजे सफेद दो कागजों पर उनके हस्ताक्षर करवा कर जमानत पर छोड़ दिया। श्री तिवारी ने छूटने के बाद डाक्टरी जाँच करायी, जिसमें उनके पन्द्रह चोटें डाक्टरी मुआयनों में पायी गयीं, इस घटना से सारे हरिद्वार और विशेष रूप से फार्मेसी के कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष फैल गया है। उक्त डाक्टर ने इस घटना की सूचना संबंधित सभी अधिकारियों को दी, किन्तु अभी तक कोई जांच नहीं हो सकी। स्थिति विस्फोटक बन गयी है। यदि समय रहते इसकी जांच की व्यवस्था कर उचित कार्यवाही न की गयी तो पुलिस के इस दुर्व्यवहार के परिणाम-स्वरुप कोई भयंकर दुर्घटना हो सकती है।

अस्तु माननीय उपाध्यक्ष की अनुमति से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य देने का आदेश देने की कृपा करें।

प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश जारी होने के बावजूद कानपुर तथा कई अन्य स्टेशनों से गायों तथा बैलों के निर्यात किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपके संज्ञान में मैं यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर गाय तथा बैल भेजने पर एक अध्यादेश द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके बाद भी कानपुर तथा प्रदेश के अन्य कई रेलवे स्टेशनों से गायों की प्रदेश के बाहर जहां गाय कटती हैं, भेजने का सिलसिला बराबर चालू है। मान्यवर, 15 मई, 1979 को कानपुर के केन्द्रीय मालगोदाम से आसनसोल भेजने के लिये दस गायें वैगन नं0 एन0 आर0 26954 पर लादी गई। इसी प्रकार 16 मई को दस गायें वैगन नम्बर एन0 आर0 31221 से प्रदेश के बाहर भेजी गईं।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार से इस निर्णय की कोई सूचना उनके पास नहीं है कि गायों तथा बैलों को प्रदेश के बाहर भेजना मना कर दिया गया है। समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ दिन ये बुकिंग बन्द रखी गई परन्तु कोई आदेश न आने के कारण इसे पुनः खोल दिया गया है। यह बुकिंग मात्र कानपुर से ही नहीं, बरन् प्रदेश के अन्य नगरों से भी हो रही है।

अतएव, मान्यवर, आपके माध्यम से यह सूचना सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं जिससे कि गायें प्रदेश के बाहर उन अंचलों में न भेजी जा सकें जहां पर अभी भी गोबध हो रहा है। मान्यवर, इस संबंध में ध्यान आकृष्ट करा दें, बहुत आवश्यक है। गायें शायद वहां पहुंचीं भी न हों. वहां पर रास्ते में रुकवा ली जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी इस सम्बन्ध में देख लेंगे।

ग्रामीण उद्योग केन्द्र, अरुण नगर, एटा के सिलाई केन्द्र में अवैध तालाबन्दी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

जनपद एटा में ग्रामीण उद्योग केन्द्र अरुण नगर, एटा की सिलाई केन्द्र में विगत 7-2-79 से अवैध तालाबन्दी चल रही है जिसके कारण श्रमिकों का भयंकर शोषण हो रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मानपाल सिंह एडवोकेट]

है और सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर खड़े है श्रमिकों द्वारा इस संबंध में माननीय श्रम मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों को तालाबन्दी की सम्भावना पर एवं तालाबन्दी कर देने के बाद से अब तक निरन्तर श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष एवं जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से विस्तृत रूप से अवगत कराया जाता रहा है समाचार पत्रों में भी इस संबंध में तालाबन्दी के संबंध में बराबर समाचार प्रकाशित होते रहे हैं किन्तु खेद है कि श्रम विभाग के अधिकारियों तथा सिलाई केन्द्र के सेवायोजकों के मिली भगत के कारण श्रमिकों को न्याय नहीं मिल रहा है। समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि क्षुब्ध एवं रुष्ट श्रमिक अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 धारा 3 की व्यवस्था के अनुसार सरकार श्रम जीवियों को रोजगार में बनाये रखने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तालाबन्दी न होनें देने अथवा तालाबन्दी न कायम रहने देने के लिए पूर्ण सक्षम है।

अत: आपके माध्यम से शासन से आग्रह करता हूं कि शासन अविलम्ब हस्तक्षेप कर उक्त कानून का पालन करने का आदेश प्रदान करके उक्त केन्द्र की अवैध तालाबन्दी समाप्त करा कर श्रमिकों को पूर्ववत् काम पर लगवाने की व्यवस्था करायें ताकि इस केन्द्र में औद्योगिक एवं श्रमिक शान्ति की स्थापना हो सके।

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में हुए अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में गत दिनों लगभग डेढ़ दर्जन गांव अग्नि काण्डों की चपेट में आ गये हैं। इससे लगभग 10 लाख रुपये की क्षति का अनुमान है। बीकापुर तहसील में तारापुर गांव के एक गरीब गड़रिये की नब्बे भेड़ें जलकर राख हो गई। इसी तहसील में चांदपुर में पूरी हरिजन बस्ती जलकर नष्ट हो गई है। इसी प्रकार अलीगंज, महोली तथा अन्य अनेकों गाँव में भीषण अग्निकांड से अभूतपूर्व क्षति हुई है। इन अग्नि पीड़ित गांवों में पशुओं के चारे का घोर अभाव उत्पन्न हो गया है, वहां अग्नि पीड़ितों को जीवन यापन का कोई सहारा नहीं बचा है। वस्तुत: स्थिति अत्यन्त भयावह हो गई है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि फैजाबाद जनपद में अग्निपीड़ितों को राहत दिलाने की समुचित व्यवस्था की जाय तथा प्रदेश में दैवी आपदाओं से निपटने के लिए कोई निश्चित योजना लागू की जानी चाहिए।

कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र के किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों द्वारा न खरीदे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर उसके अविलम्ब ही निराकरण हेतु अपेक्षा कर रहा हूं।

अभी हाल ही में जनपद कानपुर और विशेषत: बिल्हौर क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों का लाखों मन आलू सरकार की उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता और लापरवाही के कारण सड़ चुका है। आलू उत्पादक अपने लागत मूल्य से भी हाथ धोकर सरकार को कोस रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब गेहूं की खरीदारी में किसान की लूट जारी है। गेहूं के सरकारी क्रय-केन्द्रों व व्यापारियों की साठगाँठ से किसानों की जबरदस्ती राहजनी हो रही है और सरकार नेत्रहीन की हालत में बनी हुई है।

गेहूं के क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं न खरीद कर व्यापारियों से खरीदा जा रहा है। जब किसान अपना गेहूं बेचने जाते हैं तो उनसे बोरे माँगे जाते हैं। चूंकि किसान के पास बोरे होते नहीं है, इसलिये किसान का गेहूं खरीदा ही नहीं जाता है।

जरूरत मन्द किसानों की बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर व्यापारी सस्ते मूल्य पर किसानों का गेहूं खरीद लेता है और उसी गेहूं को निर्धारित मूल्य पर क्रय-केन्द्र पर बेंच देता है।

उपरोक्त स्थिति से किसानों की यह धारणा बनती जा रही है कि जनता पार्टी वाणी से किसान हितैषी है किन्तु आचरण में किसान विरोधी है। ऐसी दशा में सरकार इसलिये बदनाम हो रही है क्योंकि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रही है। मेरा विश्वास है कि संबंधित मंत्री तूफानी छापा मारी करके किसान की इस लूट को रोक सकते हैं। इसलिये मैं अपेक्षा करूंगा कि वह येन केन प्रकारेण इस लूट को बन्द करेंगे।

मान्यवर, बड़ी मजबूरी है किसानों से गेहूं खरीदा नहीं जाता, उसका नुकसान हो रहा है। व्यापारी साठगाँठ करके किसानों की लूट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में बहस हो चुकी है। गेहूं और आलू दोनों मामलों पर बहस हो चुकी है। मंत्री जी इसको देख रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, लूट हो रही है, अब भी जारी है।

(शोर)

मथुरा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा हुलवाया ड्रेन के लिए अध्याप्त भूमि का मुआवजा न दिए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मथुरा जिले में मथुरा व छाता तहसीलों की गरकी व बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा हुलवाया ड्रेन बनाया जा रहा है। जिस पर कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है और किसानों की जमीन भी एलाट हो चुकी है। जो जमीन किसानों की इस ड्रेन के लिये ली गयी है उसका विधिवत मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इससे किसानों में भारी असन्तोष फैल रहा है। भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री बलबीर सिंह ने जिन किसानों की जमीन इस ड्रेन में जायेगी उन्हें 16 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ऐलान मथुरा के किसानों के समक्ष तथा हमारे सामने समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे जिले की जनता को किया था, पर अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, न जिला अधिकारी घोषणा कर रहे हैं। अभी यही स्पष्ट नहीं है कि किस रेट से इस ड्रेन का मुआवजा दिया जायेगा। जिससे किसानों में तरह तरह का भ्रम फैल रहा है। एक तरफ तो किसानों में जहाँ यह भ्रम फैल रहा है कि मुआवजा किस दर से मिलेगा वहीं दूसरी ओर जिन किसानों की जमीनें इस ड्रेन में जा रही है उनसे इस क्षेत्र के प्रमुख पेशेवर दलाल जिनका धंधा ही जनता को ठगना है यह कह कर रुपये ठग रहे हैं कि हम ड्रेन को रूकवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

रहे हैं। इससे सीधे सीधे किसान उनकी ठगाई में आ रहे हैं। अत: मेरा शासन से अनुरोध है कि वह तत्काल घोषणा करे कि ड्रेन बनेगा या नहीं और बनेगा तो उस पर जोर दारी से तत्काल कार्य करावें जिससे बरसात से पहिले ड्रेन काफी सूख जाये। साथ साथ शासन यह भी स्पष्ट घोषणा करे कि जिन किसानों की जमीन इस ड्रेन में आ रही है उनका किसान को किस दर से मुआवजा मिलेगा और कब तक यह मुआवजा दे दिया जायेगा जिससे किसानों का भ्रम हट सके।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक विधान सभा द्वारा दिनाँक 5 मई, 1979 को पारित किया गया था और 17 मई, 1979 को विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन सहित वापस प्राप्त हुआ है।

(संशोधन के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 83 पर)

स्थानीय निकायों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

***श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---**

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि लोकल बाडीज के चुनाव अगर स्थगित होंगे तो वह सदन को सूचना देंगे। और चुनाव होने हैं तो कल उसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिये। लगातार जिलों से तार आ रहे हैं। तो चुनाव होंगे या नहीं यहाँ पर सूचना मंत्री जी देने की कृपया करेंगे ताकि लोग आश्वस्त रहे।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)---

जो माननीय नेगी जी ने प्रश्न उठाया है उसकी बड़ी अहमियत है। मंत्रि परिषद के सदस्य दो तरफा बयान देते हैं उससे जनता में भ्रम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव का वादा था उसको हमें पूरा करना चाहिये, क्योंकि जनता पार्टी ने जो शासन के विकेन्द्रीकरण की बात की है और विधान सभा को दो साल हो गये हैं, लेकिन टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, कारपोरेशंस सारे के सारे अधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे हैं, तो इनके चुनाव हों और इनके प्रशासन में चुस्ती आये। मंत्रि परिषद के जो सदस्य बैठे हुये हैं उनका भी उत्तरदायित्व है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव किसी भी तरह टलने नहीं चाहिये।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, अगर कोई परिस्थितियाँ हैं तो उनको सदन में बतलाना चाहिये कि वह परिस्थिति आ गयी है इसलिये चुनाव नहीं हो सकता। हम लोग उसको स्वीकार करेंगे।

***श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---**

इसके पहले कि मंत्री जी बोलें, मेरी बात सुन लें। इस संबंध में सदन में और अखबारों में बराबर वक्तव्य आये हैं। लेकिन एक वक्तव्य मंत्री देते हैं, बाहर जाकर उसकी ताईद भी करते हैं और विरोध भी करते हैं, एक मंत्री ताईद करता है और दूसरा मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसका विरोध करता है। यह तमाम भ्रम फैल रहा है कि चुनाव होंगे कि नहीं। मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था वह ऐसी मूक भाषा में दिया कि न वह भाषा थी न मूकता थी उसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि केवल टाल रहे हैं। अगर टालना चाहते हैं तो कहें। कोई वजह नहीं कि टाउन एरियाज, म्यूनिसिपैलटीज का बध किया जाय और चुनाव स्थगित किये जायं। कितने वर्षों तक इनको निलंबित अवस्था में रखेंगे और वादा कब पूरा करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

वादा तो सदन पूरा करायेगा।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुनः पुकारे जाने पर)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, मंत्री जी को जबाव देने में आसानी होगी।

सरकार को अधिकार है कि चुनाव स्थगित कर दे। हम उस पर आपत्ति नहीं करते हैं लेकिन सदन के सम्मुख जब घोषणा होती है, जब भी घोषणा होगी की चुनाव स्थगित नहीं होंगे तो वह इंप्रेशन होगा कि चुनाव निश्चित रूप से स्थगित होंगे। कहा गया कि अध्यक्ष का चुनाव स्थगित नहीं होगा तो हम यह सोचकर चलते हैं कि स्थगित होगा। इस समय स्वायत्त शासन मंत्री है, उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे देंगे अगर चुनाव नहीं होंगे। जहा नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, सड़कें टूटी हैं, सफाई का प्रबन्ध नहीं है, उनको अगर मालूम हो जाय कि हमी रहेंगे तो वह अपनी तरह से काम करें। तो शासन को अधिकार है कि निर्णय लेने का कि चुनाव टलेंगे लेकिन सदन को भी अधिकार है कि हमेशा हमको भ्रम में न रखा जाय। इसलिये जब मंत्री ने कहा कि चुनाव करायेंगे तो उसको टालना नहीं चाहिये। इसलिये निवेदन है कि शासन की तरफ से जो घोषणा हो कम से कम वह एक दो महीने के लिये वह ठीक मानी जाय। यह नहीं कि आज सदन में एक घोषणा हो और दूसरे दिन दूसरी घोषणा उसमें हो, ऐसा होने पर सदन लड़ेगा। इसलिये मंत्री जी एक परिपाटी डालें कि शासन की तरफ से कोई जब घोषणा हो तो यह रिपुटेशन बने कि वह पूरी होगी। मैं नेगी जी की बात से सहमत हूं और इसलिये निवेदन करूंगा कि शासन यह स्पष्ट घोषणा करे कि 10 माल तक या जनता पार्टी के चुनाव होने तक हमारा चुनाव कराने का इरादा है कि नहीं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि इस सदन में यदि कोई आश्वासन शासन की ओर से दिया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है और यदि उसको पूरा नहीं किया जाता है तो श्रीमन्, आपने आश्वासन समिति का गठन कर रखा है और उसमें वह विषय जाता है। मुझे याद है कि श्री गणेशदत्त बाजपेयी ने चुनाव कराने का निश्चित आश्वासन दिया था और तारीख भी निश्चित कर दिया था लेकिन उसके बाद दूसरे मंत्री आये उन्होंने भी कहा कि अमुक समय तक चुनाव हो जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को आश्वासन समिति में भेजा जाय और जिन मंत्रियों ने इन आश्वासनों को पूरा नहीं किया है उन के विरुद्ध कार्यवाही करने की श्रीमन्, आप आज्ञा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, श्री तोमर जी शायद यहाँ मैं जो कहूंगा उसको उलट देंगे, शायद ऐसी उनकी आदत हो गयी है। तो इसका मेरे पास इलाज नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह आक्षेप है कि तोमर जी की आदत हो गयी है कि वह उनकी बात को उलट देंगे। इसको कार्यवाही से निकालें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप नहीं है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, चुनाव तब तक नहीं टलेंगे जब तक नियम में संशोधन नहीं हो जाता और नियम संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार सदन को है। इसलिये जब हम वह प्रस्ताव लायेंगे तो उस पर विचार होगा ही। यदि नहीं लाना होगा तो विचार नहीं होगा और समय के भीतर चुनाव कराना जरूरी हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, यह गोल बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कल नोटिफिकेशन हो रहा है कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, कल यहाँ मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में जो परिस्थिति है उसका उद्घाटन उन्होंने किया था, बात को छिपाया नहीं था और मंत्रि परिषद् ने उस पर विचार-भी किया तथा अपनी संस्तुति भी दे दिया है। अब जसा नेगी जी का कहना ह कि कल नोटीफिकेशन नहीं होता तो चुनाव नहीं होगा, तो मान्यवर उसके पहले कोई न कोई घोषणा इस सदन में मुख्य मंत्री जी करेंगे। इसलिये म समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिये। जब हम कोई कार्य करेंगे तो सदन को बिना कॉंफीडेन्स में लिये नहीं हो सकता है। मान्यवर, जहाँ तक श्री वैद्य जी का जो प्रश्न है तो उसमें मुझे कहना है कि वह मंत्रि परिषद् ही समाप्त हो गयी है। इसलिये वह बात नहीं उठती। उस आश्वासन के बाद इसी माननीय सदन ने प्रस्ताव पास किया है और जो पुरानी तारीख थी 10 तक उन सभी नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को जो कार्य करने की शक्ति थी। उसको बढ़ाने का कार्य भी 9 अगस्त और 31 अगस्त, 1979 तक इसी माननीय सदन में किया गया था। तो इसमें तो मन्त्रि परिषद तो डिसीजन लेता नहीं, न कोई मंत्रि परिषद का सदस्य लेता है। यह तो सदन ही सक्षम है इस प्रकार के फैसला लेने के लिये। इसलिये जब भी इस तरह का प्रश्न आयेगा तो इस तरह से होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

जो घोषणा की बात है कल तो रविवार है। तो क्या आज शाम को ही घोषणा कर दी जायेगी।

श्री मधुकर दिघे--

जब यह प्रश्न परसों रखेंगे तो अपने आप आ जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एक निवेदन है, मान्यवर, कि कल तो इतवार है.....

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बता तो दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, आज मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये हैं और कल भी दिल्ली होंगे। कल सदन नहीं बैठ रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मन्त्रि परिषद् ने फैसला ले लिया है। तो उसको गोपनीय क्यों कह रहे हैं। अगर निर्णय ले लिया है तो कृपा कर, मान्यवर, आप संसदीय कार्य मंत्री जी को आदेश दें कि मन्त्रि मण्डल ने जो निर्णय लिया है, वह क्या है, क्योंकि वह नोटीफिकेशन हो जाना चाहिये। कल सदन बैठेगा नहीं। इसका मतलब सदन में नहीं, क्या सदन के बाहर घोषणा करेंगे ? तो, मान्यवर, कृपया आप उनको आदेश दें कि वह बतायें कि मन्त्रि मण्डल ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नोटीफिकेशन जारी होने की जो भी तारीख होगी, उसकी घोषणा मंत्री जी सदन में कर देंगे।

विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

"मान्यवर, विधान सभा के स्पीकर का चुनाव कब होगा ? इस सबंध में कोई सूचना नहीं मिली । मुख्य मंत्री जो ने कहा है कि 31 मई के पहले। लेकिन सदन जानना चाहता है कि कब करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो 31 मई के कई दिन हैं ?

श्री देव बहादुर सिह--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विरोधी पक्ष के नेताओं से विचार करेंगे। लेकिन न तो किसी व्यक्ति को बुलाया गया और न बात की गयी और न कोई कदम बढ़ा रहे ह उसके लिये। उसके बाद सदन में प्रस्ताव कर देंगे कि अनिश्चित काल के लिये इसको बढ़ा दें। यह तो इनकी परम्परा रही है। तो सम्भावना है कि अध्यक्ष का चुनाव ये फिर टालना चाहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, माननीय देव बहादुर जी का यह कथन गलत साबित हो रहा है कि हम लोग अपोजीशन से बात नहीं करेंगे । अभी इसमें समय है। माननीय देव बहादुर जी जानते होंगे--पिछली बार चुनाव हमने नहीं टाला। खुद विरोधी पक्ष के लोगों ने आप से भी और कार्य मन्त्रणा समिति में भी कहा कि उस दिन असेम्बली की छुट्टियाँ होंगी, इसलिये स्पीकर का चुनाव नहीं होगा। तो माननीय देव वहादुर जी का यह कहना ह सरकार ने टाल दिया, गलत है। पिछली बार तो इनके ही अनुरोध पर टाल दिया था। फिर अभी तो कई दिन शेष हैं। तो इसमें किसी को घबड़ाहट नहीं होनी चाहिये। इनकी वहुमूल्य राय जरूर ली जायेगी।

स्थानीय निकायों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, एक निवेदन यह था कि लोकल बाडी के चुनाव के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष--

वह बात तो समाप्त हो गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जब मन्त्रि मण्डल फैसला ले चुका है तो क्या एतराज है सूचना देने में इस सदन को।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी मुख्य मंत्री जी नहीं है। शायद वह उनसे टेलीफोन सम्पर्क करके तब घोषणा करना चाहेंगे। उसमें परेशानी की बात नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

[* * * * *] (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

इसका आप नोटिस भेजिये। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

[* * * * * *]

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

जो कुछ अभी कहा गया है, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैंने औचित्य का प्रश्न यह उठाया है कि माननीय मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया है कि मंत्रि-परिषद् ने एक निर्णय इस संबंध में ले लिया है। माननीय नेगी जी के प्रश्न पर उन्होंने कहा बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया और यह भी कहा कि 21 तारीख के पूर्व या 21 तारीख तक यह प्रकाशित हो जाएगा। इस संबंध में आपने यह आदेश दिया कि इसके पहले कि यह प्रकाशित हो, इस सदन में यह बात आजाए हमारा कहना यह है कि कल इतवार है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आज सदन उठने के पहले वे घोषणा कर देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र--

अगर आज सदन उठने के पहले कर दें तब तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो मैंने निर्देश दे दिया है इसलिये उनको जानकारी देनी ही होगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया कि 21 तारीख के पहले हम निर्णय से अवगत करा देंगे। अगर मुख्य मंत्री जी किसी आवश्यक कार्य से बाहर हों और उप मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हों तो क्या आप उप मुख्य मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते कि उनकी गैर मौजूदगी में उप मुख्य मंत्री ही मुख्य मंत्री की हैसियत से अपनी घोषणा से अवगत करा दें कि क्या फैसला हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष--

उप मुख्य मंत्री या कोई भी मंत्री उनकी ओर से यहाँ घोषणा कर सकते हैं, वे करेंगे।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

आप उनको मुख्य मंत्री की हैसियत से मानकर उनकी घोषणा को मुख्य मंत्री की घोषणा मानेंगे कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई भी मंत्री घोषणा करेंगे, वह मुख्य मंत्री की और पूरे शासन की घोषणा समझी जाएगी। यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य मंत्री जी स्वयं यहाँ उपस्थित होकर ही घोषणा करें।

श्री देव बहादुर सिंह--

दो-दो उप मुख्य मंत्री काहे को बने हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात बजट की चर्चा में आ चुकी है, आगे जब सामान्य प्रशासन का बजट आएगा तब आप कहियेगा कि काहे दो उप मुख्य मंत्री बने हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मेरा ख्याल है कि उप मुख्य मंत्री जी को भी नहीं मालूम है कि क्या निर्णय लिया गया है।

श्री मधुकर दिघे--

मैंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी कि 21 तारीख के पूर्व हमको यहाँ पर सदन को कान्फिडेन्स में लेना है, अवगत कराना है, जो भी निर्णय मंत्रि परिषद् ने लिया है। मंत्रि परिषद् का जो निर्णय होता है वह कोई भी मंत्री यहाँ उद्घाटित कर सकता है और मैं तो कर ही सकता हूं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर होने के नाते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

अभी आपने निर्देश दिया कि आज शाम तक इसकी घोषणा हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री पुनः कह रहे हैं कि 21 तारीख के पहले।

श्री उपाध्यक्ष---

वे टाल नहीं रहे हैं। 21 मई, 1979 के पूर्व तो आज ही है न। 19 तारीख की शाम तक, आज सदन उठने के पहले वे घोषणा कर देंगे।

श्री ओंकार नाथ द्वारा दी गयी नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)---

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मसले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रथम सत्र के पहले जो सत्र हुआ था उस सत्र में मैंने नियम 301 की दो सूचनायें दी थीं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी सूचनायें प्राप्त हो गई है। अब मैं विभाग से पूछूंगा कि क्यों देरी हुई ?

श्री ओंकार नाथ---

माननीय उप मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री जी बैठे हुये हैं तो उनसे उत्तर दिला दें ....

श्री उपाध्यक्ष---

आपने जो कागजात भेजे हैं वे मेरे पास हैं। विभाग से पूछूंगा कि क्यों देरी हुई? तुरन्त उचित कार्यवाही की जायगी और आपको उत्तर मिल जायगा....

श्री ओंकार नाथ---

बहुत देर हो जायगी। 50 गाँव ओले से पीड़ित हैं। जबरदस्ती वसूली हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं पूछूंगा। शीघ्रातिशीघ्र उत्तर मिल जायगा।

अगले सप्ताह में उत्तर मिल जायगा।

स्थानीय निकायों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे मंत्री महोदय तो चाहें जब घोषणा कर देते हैं, चाहे जब आश्वासन दे देते हैं और यहाँ तक कर देते हैं कि नामिनेशन की तारीख भी निश्चित की गई चुनावों की, पर्चे वापसी की भी तारीख निश्चित की गई और वोट पड़ने की भी तारीख निश्चित। विरोधी दल वाले बेचारे लकवा मा` है कुछ नहीं कह सकते लेकिन हमें कहना पड़ता है। ऊदल भी है। वह भी फरार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय से विशेष कर वित्त मंत्री जी से और जो मुख्य मंत्री का पार्ट भी कर रहे हैं माननीय कौशिक जी उनसे भी कहना चाहता हूं कि आखिर ये जो विधायक हैं जिन्हें दो-दो लाख जनता ने चुना है और यहाँ भेजा हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठें.....

श्री लक्खी सिंह---

हम कभी दबने वाले नहीं है .....

बजट साहित्य के वितरण में विलम्ब के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा .....।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—
मैने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, आप एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—
मैं निर्णय दे रहा हूं. . . .

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—
मान्यवर, फिर आप प्रिविलेज मोशन ले लेंगे. . . . . (व्यवधान) आज राजस्व विभाग के अनुदान पर चर्चा है। अध्यक्ष पीठ से बार बार यह घोषणा हुई है कि बजट साहित्य 48 घंटे पहले माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिए। यदि 48 घंटे पहले नहीं मिलता है तो चर्चा स्थगित कर दी जायगी। मान्यवर, यह साहित्य हम को आज 11 बजे मिला है। आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि बजट साहित्य 48 घंटे पहले हमको नहीं मिला है इसलिये लेखानुदान पर चर्चा स्थगित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—
आपकी आपत्ति ठीक है। हम पता लगायेंगे कि 48 घंटे पहले हमारे यहां यह साहित्य आया। निश्चय ही विभाग द्वारा जो साहित्य वितरित किया जाता है वह माननीय सदस्यों को पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिये। पहले के भी निर्देश हैं। इसका अनुपालन कड़ाई से होना चाहिए। मेरे पास सूचना है कि राजस्व विभाग से जो साहित्य आया था वह पिजन होल में रख दिया गया था। सम्भव है किसी माननीय सदस्य ने न लिया हो।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—
माननीय सदस्यों ने और मैंने कल शाम 5 बजे पिजन होल देखा था और वहां साहित्य नहीं रखा गया था। आज 11 बजे मिला है। इस सिलसिले में जानकारी करने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य यहां मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा कि आज इस अनुदान पर चर्चा न करें क्यों कि व्यवस्था यह है कि 48 घंटे पहले अगर साहित्य नहीं मिलेगा तो चर्चा नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—
माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसका मैं समर्थन करता हूं। कल ढाई बजे सदन उठ गया था और अपने पिजन होल में मैंने देखा तो 5 बजे तक कोई साहित्य मुझे नहीं मिल सका था जब कि आप व्यवस्था दे चुके हैं कि 48 घंटे पहले संबंधित साहित्य पिजन होल्स में रख दिया जाना चाहिये तभी चर्चा हो सकती है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
कल चार बजे तक राजस्व से संबंधित हमें कोई साहित्य नहीं मिला। क्योंकि कट मोशन रखना था इसलिये 5 बजे हमको विवरण सचिव के यहां से मांगना पड़ा। परसों सहकारी विभाग पर अनुदान प्रस्तुत किया जायगा। कल इतवार है। इसलिये सहकारिता विभाग से संबंधित साहित्य हमको आज ही मिल जाय। दो दिन पहले आप हर अनुदान से संबंधित पेपर्स दे दें ताकि हम उसके बारे में तैयारी कर सकें और सदस्यों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाया है और माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि 48 घंटे पहले पिजन होल्स में साहित्य नहीं रखा गया। देव बहादुर जी ने कहा कि सहकारिता के बारे में भी उनको साहित्य नहीं मिला है। यह हो सकता है कि कुछ पिजन होल्स में साहित्य न रखा गया हो। अब यह कैसे एन्शयोर किया जाय कि सबके पास साहित्य पहुंच गया। मुझे साहित्य कल ही मिल गया था जबकि कुछ लोगों को नहीं मिला। यह बहुत आश्चर्यजनक है। यह भी हो सकता है कि यहां पर ही साहित्य वितरित कर दिया जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष---

हमारे सचिवालय से परसों शाम ही पिजन होल में साहित्य रख दिया गया था । यह सूचना गलत नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सरासर गलत है । यह हो सकता है कुछ पिजन होल्स में रखा गया हो और कुछ में न रखा गया हो। मैं कल 5 बजे तक वहां था ।

श्री उपाध्यक्ष---

हो सकता है एक आध में न हो । भविष्य में कार्यालय को निर्देश दे दिये जायंगे कि ऐसा कोई भी पिजन होल न बचे जिसमें यह सूचना उपलब्ध न हो । विभागों को भी कहा जा चुका है कि एक दो दिन पूर्व सूचना भेज दें और वह पिजन होल में पहुंच जानी चाहिये ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

14 तारीख की विधान सभा सचिवालय को मेरी सूचना के अनुसार भेज दिया गया था ।

जिला अस्पताल, बरेली के डा० एस0एस0 गुप्ता, डाक्टर मुकर्जी, डाक्टर तिवारी एवं श्री धवन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा ने 4 मई, 1979 को डा0 एस0 एस0 गुप्ता डा0मुकर्जी, डा0 तिवारी एवं श्री धवन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जसमें उन्होंने कहा है कि 31 मार्च, 1979 को लगभग 11 बजे नबावगंज, बरेली के माननीय विधायक श्री चेतराम गंगवार, जो जिला अस्पताल, बरेली में अपनी दवा लेने गये थे, ने 7, 8 दिन के लिये एक साथ दवा देने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी को लिख कर दिया। ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी ने उक्त पर्चे में लिखी दवाइयों को काट कर कम कर दिया। जब माननीय सदस्य ने इस बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी के पास चलने को कहा तो ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया तथा बुरी तरह से पीटा, साथ ही साथ यह भी कहा कि "तुम सब एम0 एल0 ए0 विधान सभा के अन्दर हमारी आलोचना करते हो और यहाँ डाक्टरों से यह उम्मीद करते हो कि हम सब आपको ठीक देखें और दवा दें। इसी दशा में जब कुछ दिन पड़े रहोगे तब पता चलेगा।" माननीय डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल ने इस घटना को लेकर 2 मई, 1979 को विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी थी, जिसमें घटना की तिथि को गलत अंकित किया गया था और यह उल्लेख नहीं था कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसके विरुद्ध उठाया जाना अभीष्ट है और उसमें जो आरोप थे उनके अनुसार माननीय चेतराम गंगवार द्वारा सदस्य के नाते किये गये किसी कार्य में बाधा नहीं डाली गयी थी। अतएव वह दिनाँक 4 मई, 1979 को मेरे द्वारा अग्राह्य कर दी गयी थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल द्वारा 2 मई, 1979 को दी गई सूचना में, जिसे मैंने आग्राह्य किया था और वर्तमान सूचना में केवल यह अंतर है कि पहले दी गई सूचना में संबंधित डाक्टरों द्वारा यह बात कहे जाने का उल्लेख नहीं था कि "तुम सब एम0एल0 ए0 विधान सभा के अन्दर हमारी आलोचना करते हो और यहाँ डाक्टरों से यह उम्मीद करते हो कि हम सब आपको ठीक से देखें और दवा दें। इसी दशा में जब कुछ दिन पड़े रहोगे तब पता चलेगा"।

घटना के बाद दिनाँक 17 अप्रैल, 1979 को श्री चेतराम गंगवार ने एक अन्य सन्दर्भ में मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें घटना का पूर्ण विवरण दिया हुआ था। उसमें भी डाक्टरों द्वारा उपर्युक्त शब्द कहे जाने की बात उन्होंने नहीं लिखी थी। दिनाँक 2 मई, 1979 को जब डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल की पहले दी गई सूचना की ग्राह्यता पर इस सदन में विचार व्यक्त किये जा रहे थे, उस समय भी किसी ने डाक्टरों द्वारा उपर्युक्त शब्द कहे जाने की बात नहीं कही थी। मैंने अपने दिनाँक 4 मई, 1979

[श्री उपाध्यक्ष]

के निर्णय में श्री धर्मदत्त वैद्य के एक पत्र का हवाला दिया था, जिसे मैंने शासन को जाँच एवं कार्यवाही हेतु भेजा था। उसमें भी माननीय सदस्य श्री धर्मदत्त वैद्य ने इस प्रकार की बात कहे जाने का उल्लेख नहीं किया था। डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल ने अपनी वर्तमान सूचना में यह नहीं कहा है कि यह शब्द उनके सामने कहे गये और न ही उन्होंने यह कहा है कि यह घटना उनके सामने हुई। इस प्रकार उनके द्वारा दी गई सूचना सुनी सुनाई बात पर आधारित है। इस मामले में शासन द्वारा सी0 आई0 डी0 से जाँच करायी जा रही है।

जहाँ तक वर्तमान सूचना का प्रश्न है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इसी विषय पर दिनाँक 2 मई, 1979 को दी गई सूचना को मैं दिनाँक 4 मई, 1979 को दिये गये अपने निर्णय में अग्राह्य कर चुका हूं। कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (अंग्रेजी द्वितीय संस्करण) के पृष्ठ 258 पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते समय सदस्यों को अपने समर्थन में समस्त आवश्यक साक्ष्य सदन के सामने प्रस्तुत कर देने चाहिये। उन्हें अनुवर्ती तिथि पर अग्रेतर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिये किसी ऐसे विषय पर विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जिस पर पहले निर्णय हो चुका है, यद्यपि सदस्य के पास अपने तर्क के समर्थन में नयी सामग्री हो।

लोक सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन (1967) के पृष्ठ 18 पर निर्णय संख्या 11 में भी यह बात कही गयी है कि एक बार सदन में किसी विशेषाधिकार के प्रश्न पर निणय हो जाने के बाद उसी सत्र में समान या मिलते-जुलते प्रश्न या प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता ।

उत्तर प्रदेश बिधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 65 (।) (क) में यह उपबन्ध है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हाल ही में घटित किसी निश्चित बिषय तक निर्बद्ध होना चाहिए। महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 266 पर भी यह उल्लिखित है कि प्रश्न हाल ही के किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रखा जायेगा। विशेषाधिकार का प्रश्न सदस्य द्वारा सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर उठाया जाना चाहिए। यदि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया जाने वाला विषय किसी समय विशेष पर अविलम्बनीय महत्व का हो तो उसके पूर्व सूचना देने में एक दिन की देरी भी घातक सिद्ध हो सकती है।

17 अगस्त, 1966 को लोक सभा में खाद्य तथा कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में अपना विनिर्णय देते हुये अध्यक्ष ने कहा, जहाँ तक इस विशेषाधिकार के प्रश्न का संबंध है यह बहुत आवश्यक है कि सूचना तुरन्त दी जाये, बल्कि पहले उपलब्ध अवसर पर दी जाये। विशेषाधिकार भंग की सूचना में एक या दो दिन की देरी हो जाये तो उसे उसकी ग्राह्यता के लिए घातक माना गया है।

श्री चेतराम गंगवार के साथ जिला अस्पताल, बरेली में 31 मार्च, 1979 को दुर्व्यवहार किया गया था। इसके लिए सबसे पहले उपलब्ध अवसर 2 मई, 1979 था, क्योंकि 31 मार्च, 1979 को सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा था और उस दिनाँक के उपरान्त सदन पहली बार 2 मई, 1979 को ही बैठा।माननीय डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल ने 2 मई, 1979 को इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना भी दी थी किन्तु वह पहले कहे गये कारणों के आधार पर अग्रा य कर दी गई थी। अब यह दूसरी सूचना विलम्बित है और इस विषय पर सदन में एक बार निर्णय दिये जाने के कारण इसे पुन:उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अत: मैं डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल द्वारा 4 मई, 1979 को अभिसूचित प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैंने दूसरा ले लिया है पहले उसे पढ़ दूं।

उसमें उन्होंने कहा है कि वे माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से 2 मई, 1979 को गन्ने की समस्याओं के बारे में नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना सदन के संज्ञान में लाये थे, किन्तु उसका उत्तर उन्हें अभी तक नहीं मिला है।

मैंने इस संबंध में माननीय गन्ना विकास मंत्री को वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये कहा है। उन्होंने कहा है कि कार्यालय की त्रुटि के कारण उक्त सूचना सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को न जाकर सीधे गन्ना आयुक्त को विस्तृत आख्या हेतु चली गई थी। माननीय गन्ना विकास मंत्री ने इस कारण माननीय सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर अंतरिम उत्तर प्रेषित न किये जाने के कारण खेद प्रकट किया है और यह कहा है कि गन्ना आयुक्त से पूर्ण जानकारी करके माननीय सदस्य को अंतिम रुप से उत्तर प्रेषित कर दिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जिला अस्पताल, बरेली के डाक्टर एस0एस0 गुप्ता, डाक्टर मुकर्जी, डाक्टर तिवारी एवं श्री धवन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा का उत्तरदायित्व आप पर है। यदि आपके द्वारा जनप्रतिनिधियों के सम्मान की सुरक्षा न हो सकेगी तो माननीय सदस्यों को हर स्थिति में हर स्थान पर अपमानित होना पड़ेगा। श्री चेतराम गंगवार जी के जो विषय में घटना हुई मैं उसके लिए ज्यादा स्पष्ट इसलिये नहीं करना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी हो रही है। आपको इसकी जानकारी होगी। किन्तु बरेली जनपद में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि श्री गंगवार को एक बार नहीं कई बार पीटा गया, कपड़े फट गये, नाक से खून भी निकला अगर उन्होंने आवश्यक सूचना नहीं दी और अन्य किसी व्यक्ति ने वह सूचना दी तो वह किसी कारणवश उन बातों को जिसकी आवश्यकता विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए है, उन नियमों की कोई जानकारी न होगी और किसी दूसरे व्यक्ति ने यदि उसको उठाया हो, उन्होंने उसकी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया तो केवल इस आधार पर उसे अग्राह्य न किया जाय। मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह साधारण विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी प्रकार अगर जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से पिटेंगे और उनका अपमान होगा तो श्रीमन्, प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इसकी सुरक्षा आप ही कर सकते हैं। इसलिये मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि उन सूचनाओं में जो कमी रह गई हो उसकी जानकारी उस व्यक्तिसे जिसके साथ यह घटना घटी है, की जाय और विचार करने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वैद्य जी, मैंने इस संबंध में बहुत अच्छी तरह से देखा। लेकिन कोई इस तरह का मुझे सहारा नहीं मिला जिससे मैं इसको स्वीकार कर सकूं। इसलिये मैंने इसको अग्राह्य किया है। जहाँ तक कार्यवाही की बात है वह मैंने जो आपका पत्र पहले प्राप्त हुआ था उसके आधार पर माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था कि इसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्होंने सी० आई० डी० इंक्वायरी के आदेश दे दिये थे। अब मैं शासन को इस संबंध में शीघ्रता करने के लिए निर्देश देता हूं और इस मामले को गम्भीरता पूर्वक देखना चाहिए, यह भी निर्देश देता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

कार्यवाही होने पर सरकार हमें भी बतावेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

शासन को सदन को सूचित भी करना चाहिए कि उसमें क्या प्रगति है और इसको गम्भीरता पूर्वक देखना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

शासन ने इक्वायरी बिठाल दी, यह अच्छी बात है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि वह इम्पार्शियल हो। इसलिए यदि सम्भव हो तो जिनके खिलाफ आरोप है उनका तब तक के लिए स्थानान्तरण कर दिया जाए। यदि कोई प्रशासनिक कठिनाई न हो, तो यह भी काफी अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

यह ठीक है कि इंक्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं, लेकिन इस सन्दर्भ में जिला अधिकारियों का जो रवैय्या है, उससे कुछ विशेष लाभ होने की आशा नहीं है। उल्टे, लोकल अथारिटी ने उनके खिलाफ केस दायर करके उनको गिरफ्तार किया, अतः हमें सन्देह है कि इसमें कोई निष्पक्ष कार्यवाही हो सकेगी और उनको न्याय मिल सकेगा। लोकल अथारिटी ने दोनों तरफ से रिपोर्ट होने पर भी माननीय सदस्य के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और उनको गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ा। उन्हें मारा और पीटा भी गया। इसमें सन्देह है कि शासन इसमें क्या कार्यवाही करेगा। आप किसी प्रकार उनके सम्मान की रक्षा ऐसी हालत में कर सकेंगे, इस पर आप पुनः विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वैद्य जी ने जो भावना व्यक्त की हैं, उससे मुख्य मंत्री को अवगत करा दिया जाए और जो बहुत ही मशहूर निष्पक्ष अधिकारी है, उन्हीं से यह जांच कराई जाए।

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जैसा कि माननीय सदस्य वैद्य जी ने बताया, उस दिन भी चर्चा हुई थी और यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार शासन का इरादा किसी भी सदस्य से कमजोर नहीं है, जहां तक उनके सम्मान, आत्म सम्मान और मान मर्यादा का प्रश्न है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि जिस समय सारे अफसर वहां पहुंचे और गंगवार जी से पूछा गया था.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि आज अब यह सब कहना मुनासिब नहीं होगा, उस दिन इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

चेतराम जी ने जो रिपोर्ट लिखाई.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल जांच के बारे में बताएं ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहां तक जांच का संबंध है, इसमें बहुत जल्दी कार्यवाही की जाएगी और जांच निष्पक्ष होगी और उन अधिकारियों के जरिए से नहीं हो रही है, जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एक तरफ जांच हो रही है और दूसरी तरफ उन पर केस चालू हो गया है तो इसको भी आप देखवा लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें कि क्या प्रगति है सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी की तो.....

श्री रमा शंकर कौशिक—

इस दौरान तो केस पेंडिंग रहता है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

श्री रमा शंकर कौशिक—

केस तो बना है । उनकी जमानत हो गई है । चालान उनका हुआ था, गिरफ्तार हुये थे, लेकिन उसी समय जमानत हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत सन्तबख्श रावत.....

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

श्रीमन्, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मैं आपसे जान कारी चाहता हूं कि विशेषाधिकार के जो प्रश्न हाउस में स्वीकार हो जाते है. उसपर विशेषाधिकार कमेटी का निर्णय सदस्य को बाद को देना अनिवार्य है या नहीं । एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपके यहां स्वीकार किया गया, उस पर अन्तिम निर्णय लिया गया, उसकी सूचना अब तक नहीं दी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

जितने विशेषाधिकार के मामले हैं जब हमारा निर्णय हो जाता है और मामला समिति को निर्दिष्ट हो जाता है तो विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है पूरे सदन की जानकारी के लिए ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सन्त बख्श रावत, श्री चन्द्र भूषण तथा श्री देवकी नन्दन ने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी है, जो पिछड़ा वर्ग, हरिजन एवं अल्पसंख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति द्वारा चलाये जाने वाले अनिश्चित कालीन अनशन के सम्बन्ध में है । इस समय बजट चल रहा है । जब समाज कल्याण का बजट आये तो वह चर्चा कर सकते हैं । मैंने इसको अस्वीकार किया है ।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 7––राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनदान संख्या 24––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 50––राजस्व विभाग (दैवी आपदाओ के कारण सहायता), अनुदान संख्या 96––राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) तथा अनुदान संख्या 115–राजस्व विभाग––ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष––

वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय व्ययक पर मतदान। माननीय उप मुख्य मंत्री, आप सारे अनुदान एक साथ प्रस्तुत कर दीजिये।

*उप मुख्य मंत्री–राजस्व (श्री नारायण सिंह)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7––राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,92,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,07,56.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50––राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ,10,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या 96––राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्. मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष मैं अनुदान संख्या 115––राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11.87.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

भान्यवर, राजस्व विभाग के इस बजट को पेश करते हुए मैं कुछ चन्द बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 1952 के समय में जिस समय जमींदारी का खातमा किया गया, उस समय प्रदेश में 27 हजार के करीब पटवारी काम करते थे। चौधरी चरण सिंह के जमाने में उनके इस्तीफे मन्जूर किये गये और लेखपाल रखे गये जो कि 18 हजार हैं। वह 18 हजार लेखपाल प्रदेश की गाटा संख्या बढ़ते हुए और काम अधिक होने के कारण मैं समझता हूं कि वह कमी पूरी की जाये, इसीलिए प्रस्ताव किया है कि लेखपाल 3506 और इन 5 सालों में बढ़ाये जाएं। इस वद्धि के साथ ही साथ हमें कानूनगो की भी संख्या बढ़ानी होगी जो 27 हजार थे वह पूरे करने हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस समय कोई आपदा आती है या कोई परेशानी आती है तो जो एस0 डी0 एम0 हैं उनको परेशानी आने जाने की हो जाती है। उनके पास जीपों का प्रबन्ध नहीं है। इसीलिए बजट में प्राविधान किया है कि 44 जीपें काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए दी जायें। यह ग्रान्ट नं0 50 प्राकृतिक आपदाओं की है। पिछले साल 1924 के बाद जो बाढ़ आयी वह बहुत ही जबरदस्त थी। जितना नुकसान पिछले साल हुआ उतना कभी नहीं हुआ। यह नुकसान जनता पार्टी की सरकार के कारण नहीं हुआ बल्कि पिछली काँग्रेसी सरकार के कारण हुआ जिसने तमाम काम अधूरे छोड़ दिये थे। पिछले साल की बाढ़ इतनी जबरदस्त थी कि हमें मिलिटरी की सहायता लेनी पड़ी। तमाम नावें मंगानी पड़ी। और उनको मंगाने में बड़ी परशानी उठानी पड़ी। हमें नावें मिल नहीं पाईं। मल्लाहों से नावें लीं लेकिन फिर भी पूरी नहीं मिल सकीं और बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। इसीलिये इस बजट में इस किस्म का प्राविधान किया है कि जो 2 करोड़ 18 लाख का प्राविधान था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ 80 लाख रुपया कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में हम कुछ सुधार करना चाहते हैं इसीलिए फ्लड रिलीफ कमिश्नर बनाने का प्रस्ताव है। दैवी आपदा के समय वह बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता कर सकेगा। हम तकावी देना चाहते हैं और उनकी सहायता करना चाहते हैं लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण वह काम ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है। कमिश्नर मौके पर जाकर जाँच करेगा। 29 लाख रुपया पी0 ए0 सी0 को दिया है जिससे वह नावें आदि खरीद सकें और अगर कोई आपदा आ जाती है तो उनका प्रयोग किया जा सके। 50 लाख रुपया पी0 डब्लू0 डी0 को दिया गया है, नावे खरीदने के लिए। अगर कोई जबरदस्त बाढ़ आती है तो वह हमारी मदद कर सकेंगे। जिले में नावों की संख्या बहुत ही कम है और बाढ़ आने पर बाहर से नावें भेजनी पड़ती ह ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनाई का सामना करना है इसीलिए इस परेशानी से बचने के लिये डी0 एम0 को आदेश दियागया है कि 20 लाखरुपया मई और जून महीने में ही इस प्रकार की छोटी किस्म की नावें तैयार कराकर अपने पास वक्त जरूरत के लिए तैयार रखें।

कई बार माननीय सदस्यों ने भी इसी सदन में कहा और मैं भी महसूस करता कि जितना भी रिलीफ या ग्रेचुटी बाढ़ के सिलसिले में गरीब जनता या बाढ़ पीड़ितों को देते थे वह बहुत कम होती थी। इस प्रकार की सहायता की मंशा तो यह होती है कि एक दम कहीं पर आफत आयी तो उनकी तुरन्त कुछ न कुछ मदद होनी चाहिए। पहले यह भी था कि एक कुटुम्ब के एक या दो आदमी मर जाते थे तो फेमिली के हेड को ही 1,000 रुपये देते थे। अब किसी एक फेमिली की बात नहीं होगी, अगर एक आदमी की मौत हो जाती है तो एक हजार रुपया प्रति व्यक्ति फौरन देंगे। पिछली बार प्रदेश में बहुत मुसीबतें आयीं और आज भी यह कहा जाता है कि जो सहायता दी जाती है वह केवल छोटे-छोटे काश्तकार हैं, उनको दी जाती है लेकिन जो उनसे थोड़े बड़े होते हैं उनको नहीं मिल पाती है हालाँकि बाढ़ में उनका भी बड़ा नुक्सान होता है। अब तक सहायता केवल उन लोगों को ही मिलती थी जो एक एकड़ तक के किसान होते थे लेकिन अब उन किसानों को भी दी जायगी जो 2 1/2 एकड़ तक के यानी एक हेक्टेयर के मालिक है।

बहुत दिनों से इस प्रदेश में टेस्ट वर्क की प्रथा चली आती थी जिसकी मंशा यह होती थी कि कहीं पर यदि बाढ़ या दूसरी आपत्ति आ जाय तो हम यह समझ कर कि वहाँ पर बहुत गरीबी आ गयी है हम वहाँ के लोगों को मजदूरी देने के लिए काम पर लगाते हैं और अगर मजदूर 6 रुपये रोज पर मिलते थे तो उन्हें कहते थे कि तुम 5 रुपये प्रति दिन पर काम करो।

[श्री नारायण सिंह]

अगर वाकई में बहुत तंगी हो तो वे 5 रुपये पर करने लगते थे लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा था। यह टेस्ट वर्क की स्कीम में कमी थी। अब हम "अनाज के बदले काम" या "काम के बदले अनाज" की स्कीम को ज्यादा प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्ट वर्क को हम ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे।

एक परेशानी और होती है खास तौर से बाढ़ के सिलसिले में। मान लीजिए जिल में आज बाढ़ आयी, नुकसान हुआ। जिलाधीश ने हम को सूचना दी कि फलाँ जिले में, फलाँ तहसील में या फलाँ ब्लाक में या गाँव में नुक्सान हुआ है। फिर हमारा दफ्तर उस पर लिखा पढ़ी करके आदेश देता है कि फलाँ तहसील, फलाँ ब्लाक या फलाँ गाँव को इतनी-इतनी धनराशि दी जाय। इसका पहले से ही प्रबन्ध हर जिले में किया गया है और इसके लिये हमने 50 लाख रुपया रखे हैं और इस सम्बन्ध म आदेश भी 16 अप्रैल को ही भेज दिये हैं कि कुछ रुपया हर जिलाधिकारी के पास रहे और जब भी एसी स्थिति आये वह फौरन हमको सूचना दे और पैसे का इस्तेमाल कर सकें ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को तुरन्त कुछ सहूलियत हो सके।

रेवेन्यू के सिलसिले में एक कोड बिल चल रहा है जो इस समय प्रवर समिति के समक्ष है। उसमें जमींदारी एबोलिएशन ऐक्ट, लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट आदि को छोटी शक्ल में लाने का प्रयास किया गया है ताकि आम आदमी को कचहरियों में दौड़ना न पड़े और उसे उस सम्बन्ध में दिक्कत न हो। वह करीब-करीब पूरा हो गया है। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में अवश्य ही आ जायगा जिससे रेवेन्यू की बहुत सी प्राब्लम्स साल्व हो जायेंगी। अब यह भी कर रहे हैं कि बागों की भूमि जो सीलिंग में आयेगी, वह उन्हीं लोगों को दी जायेगी जो बाग लगा सकते हैं। जो लोग उन बागों की परिवरिश कर सकेंगे, सीलिंग से बची हुई भूमि जिस पर बाग होंगे, उन्हीं को दी जायेगी।

काँग्रेस सरकार के जमाने में बहुत सी जमीन जो सार्वजनिक हित की थी वह भी लोगों को एलाट कर दी गयी थी। इस कारण काफी हलचल मची और परेशानी पैदा हुई हमने आदेश कर दिये हैं कि सार्वजनिक हित की जमीन किसी को एलाट न की जाये और पहले जो एलाट हो चुकी है वह वापस ली जाये। इस तरह से 25 हजार तो पहले ही बेदखल हो चुके हैं, 75 हजार लोगों के खिलाफ कार्यवाही बेदखली की कर रहे हैं।

चकबन्दी होने के फलस्वरूप अनाज की पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे लोगों को फायदा हुआ है। चकबन्दी के लिये जो गाँव सबसे पहले लिये गये थे, हमने यह निश्चय किया है कि उन गाँव में अब पुनः नये नियमों के अनुसार चकबन्दी होगी। जहाँ सबसे पहले चकबन्दी हुई थी उन्हीं को पुनः चकबन्दी हेतु सबसे पहले लिया जायेगा। 1954 से 1959 तक जिन गाँव में चकबन्दी हो चुकी है उनमें पुनः हम चकबन्दी कराने जा रहे हैं। जैसे-जैसे नम्बर उनका आता जायेगा, वैसे-वैसे उनमें पुनः चकबन्दी होती जायेगी। इस जून से हम सुलतानपुर की मुसाफिरखाना तहसील और मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील से पुनः चकबन्दी कराने का कार्य शुरू करेंग।

अभी तक जहाँ चकबन्दी हो गयी है वहाँ नहर या सड़क आदि बनने पर ऐसा होता था कि किसी की जमीन कम या किसी की ज्यादा आ जाती थी। किसी की पूरी जमीन आ जाती थी नहर आदि बनने में और उसके पास कुछ जमीन नहीं बच पाती थी। अब हमने यह किया है कि इसके लिये जो भी जमीन आयेगी वह सभी काश्तकारों की बराबर बराबर ली जायेगी।

एक बात और है। अभी तक नक्शे आदि पास होने की कार्यवाही के बाद भी रेकार्ड्स ठीक नहीं हो पाते थे। हमने यह सोचा है कि शुरू से ही एक मोहकमा बनाया जाय, जिसमें कुछ अधिकारी इसलिए रखे जायंगे कि जो चकबन्दी की प्रोसीडिंग्स

चलती रहेंगी, वह उनके रिकार्ड्स को भी साथ ही साथ ठीक करते जायंगे। यह नहीं होगा कि नक्शा 52 हो चुका है और उसके तीन साल बाद देखेंगे कि रिकार्ड मुकम्मल नहीं हुआ है। शुरू से ही लेखपाल से लगाकर डी0 डी0 सी0 तक हम यह कर रहे हैं कि इस किस्म की कोई शिकायत न आने पाये। बहुत सी दरख्स्वातें आती हैं, हमारे माननीय सदस्य-गण देते हैं या अलग-अलग हमारे जनपदों से आती हैं, बहुत एक जबरदस्त माँग है कि हमारा जिला अलग बनाया जाय, तहसील अलग बनाई जाय और गाँव की तो बहुत ही दरख्वास्तें होती हैं कि हमारे गाँव में पंचायतें कायम की जायं या 4 मजरे हैं, एक गाँव कहलाते हैं, अलग-अलग किये जायं। एक जिले को अलग करने में, मेरठ, गाजियाबाद दो जिले हैं, गाजियाबाद को अलग बनाने में कम से कम 10 करोड़ का खर्च एक जिले के बनाने में होता है।

श्री श्यामधर मिश्र—
फिर भी आपका हो गया, क्योंकि जरूरी था।

श्री नारायण सिंह—
10 करोड़ उसमें खर्च करने से होता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
प्रदेश के बंटवारे में कितना होगा ?

श्री नारायण सिंह—
हिसाब लगायेंगे तब उस समय देखा जायगा। बहुत से प्रार्थना पत्र हमारे पास इ किस्म के आते हैं और ह भी ठीक, क्योंकि धीरे-धीरे आबादी बढ़ती जाती है, अब तहसील का भ काम बहुत बढ़ गया। अगर एक तहसील को हम बनाना चाहते है, तो कम-से-कम 50 लाख रुपये एक तहसील के चेंज करने में लगता है। बहुत सी दरख्वास्तें इस किस्म की हैं, जहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि वाकई में काम चल ही नहीं सकता। तो उस पर जरूर विचार किया जायगा। लेकिन अधिकतर मैं आपके सामने यह नहीं कह सकता हूं कि जितने भी प्रार्थना पत्र आयें या जो भी माननीय सदस्य कह दें, सबकी तहसील बनाई ही जायगी, यह मुझे बहुत जटिल काम मालूम होता है। पिछले दिनों से, बहुत दिनों से सरकार यह सोच रही है कि हमारे एस0 डी0 एम्स0 हेड क्वार्टर्स पर न रह कर तहसील में जायं और तहसील में ही न्याय करें। लेकिन बहुत मुसीबत रहती है, अगर तहसीलदार के पास एक क्वार्टर है, एस0 डी0 एम0 के पास कोई मकान नहीं है, तो इस वक्त प्राविजन किया गया है, 20 करोड़ रुपये भारत सरकार ने हमें दिया है, जिससे कि तहसील हेडक्वार्टर पर एस0 डी0 एम0 के लिए क्वार्टर्स बनाये जायं। प्राविजन यह भी रखा है कि कानूनगो, लेखपाल के लिए भी हर तहसील के ऊपर क्वार्टर्स बनायें जायं। लेखपाल हमारा फर्द देता है तो उसमें लिखता है कि उजरत वसूल पाया। बहुत लोग परेशान फिरते हैं, वह इधर-उधर फिरते हैं। तो यह तय किया है कि एक वृहस्पतिवार के दिन लेखपाल अपने क्षेत्र में, जहाँ का वह लेखपाल है, वहाँ पर रहेगा और जिन लोगों को फर्द चाहिए, वहीं पर वह फर्द दे दिया करेगा और हमारे अधिकारी चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोई भी इस स्कीम को देखेंगे कि हमारे लेखपाल इस स्कीम को सुचारू रूप से मना रहे हैं कि नहीं, मना रहे हैं। उसमें भी हमने प्रबन्ध किया है। एक बहुत परेशानी होती थी कि जहाँ

[श्री नारायण सिंह]

एक लेखपाल को एक जगह 15-15, 20-20 साल हो गये रहते हुए, उसी क्षेत्र में और उन्हीं गाँवों में जो बराबर मिले हुए है, उनकी बहुत शिकायतें आती थी। वे दलबन्दी में घुस जाते थे। एक लेखपाल को 10 साल एक क्षेत्र में रहते हुए हो गया हो उसका तबादला दूसरी तहसील में कर दिया जाये, जिले में नहीं। अब यह अधिकार डी0 एम0 को दे दिया गया है। इसी प्रकार से हमने अमीनों के बारे में भी किया है। जो हमारी वसूली करते हैं। 5 हजार रुपया मान लो उनको लेना है, आपस में रहते हुए तालुकात बहुत खराब हो जाते है, अमीनों ने इस तरह की हरकतें की है कि 2 घन्टे की भी मोहलत नहीं देते अगर उनसे कहा कि हमें मोहलत दे दो हम कज दे देंगे। इस तरह से 10 साल अगर उनको रहते हो गये तो उनका भी दूसरी तहसील में तबादला कर दिया जाये। हाँ, इसके साथ यह तय है कि अगर कोई अमीन जिसकी सर्विस 3 साल या कम रह गयी है उसका तबादला नहीं करेंगे।

1966 के बाद इस मोहकमें में जितने ५.० नायब तहसीलदार थे उनका आज तक चुनाव नहीं हो पाया है तहसीलदारी का। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इण्टरव्यू जल्द से जल्द हो सके ताकि उनका हक उनको मिल सके। एक हमने प्राविजन यह दिया है कि हमारे असिस्टेंट जो रिकार्ड आफिसर होते है उनका काम सख्त तथा वेतन कम है। पिछले साल हमने 50 रुपया और इस साल 100 रुपया बढ़ाया है ताकि अच्छे रिकार्ड आफिसर मिल सकें और अच्छा काम कर सकें। यह भी प्राविजन किया गया कि जहाँ वे बन्दोबस्त कर रहे है अगर कोई टाइटिल का क्वेश्चन हो तो मौके पर ही सबूत लेकर तय कर सकें।

इस बातों के साथ यह राजस्व विभाग अगर देखा जाये तो संसार में सबसे पुराना विभाग है और उसमें यदाकदा जब भी समय आया, जो सरकार या राज्य आया उसने कुछ न कुछ तरमीम की है और उसी के अनुसार तबदीली होती रहती है। बावजू इन सब के मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कमियां है। मेरे सामने कुछ शिकायतें आई। हमारे एस0 डी0 एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल जो भी हमारे पास आये उनसे हमने विभाग में सक्षमता लाने के लिये कहा, उनकी भी दिक्कतें हमने सुनी। गड़बड़ी की भी शिकायतें आयीं, स्वाभाविक बात है। हम प्रयत्न भी यही करते हैं कि इन सभी कमियों की रुकावट हो। अपने माननीय सदस्यों से माननीय सदन से यही मेरी प्रार्थना है कि वे कमियों का सुझाव दें। जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं। भ्रष्टाचार के बारे में मैं यह नहीं कहता कि नहीं है। होता होगा, होता है, स्वाभाविक बात है। उसको भी दूर करने के मुझे सुझाव दें कि किस तरह से दूर किया जा सकता है। मैं सुझाव तो यह भी चाहूंगा कि जितने हमारे अधिकारीगण काम करते हैं उनमें आपस में कोआर्डीनेशन हो, सामन्जस्य हो। वह क्या चाहते है, किस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिये, मेरा क्या तरीका होना चाहिये। इन सभी सुझावों के आमंत्रण के साथ मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो अनुदान मैंने पेश किया है उसको सर्व सम्मति से पास करें।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री श्यामधर मिश्र से) आप जो यह कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे इसके लिये 20 मिनट का समय ठीक रहेगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, 30 मिनट चाहिये। 20 मिनट अभी दे दीजिये, 10 मिनट का समय बाद में बढ़ा दीजियेगा। कभी-कभी तो बोलने के लिये खड़ा होता हूं, 30 मिनट से कम समय में नहीं हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

25 मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप समय बांधे नहीं, बोलने तो दें । जितना समय संगत हो, दे दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें काफी सदस्य बोलना चाहेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

ठीक है । कटौती का प्रस्ताव जो पेश करेंगे, उनको 25 मिनट और जो नेता है, उनको 15 मिनट, बाकी सदस्यों को 7 मिनट का समय उपयुक्त होगा ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, नोट कर लीजिये, मैं केवल दो ही मिनट का समय लूंगा ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

मान्यवर, यह दो मिनट से अधिक बोल ही क्या सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इनकी तारीफ कीजिये कि यह दो ही मिनट में सब कुछ कह डालते हैं ।

*श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 7 में मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्रीमन्, इसी प्रकार अनुदान संख्या 24 में मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

इसी प्रकार अनुदान संख्या 50 में मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्रीमन्, इसी प्रकार अनुदान संख्या 96 में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

इसी प्रकार अनुदान संख्या 115 में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्रीमन्, यह तो मैं मानता हूं और आप सब भी मानते होंगे कि एक रुपये में राजस्व विभाग नहीं चल सकता लेकिन नियमानुसार एक रुपया मुझे देना पड़ता है । श्रीमन्,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामधर मिश्र]

राजस्व विभाग जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा बहुत पुराना विभाग है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से राजस्व विभाग चल रहा है लेकिन खेद है कि इसका विमाग भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, उधर मैं बाद में आऊंगा। अब जरूरत है कि आज के विकास के युग में इसका दिमाग विकास की तरह हो। श्रीमन्, आप देखे राजस्व विभाग के संबंध में एक पुस्तिका बंटी है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन 15-20 पन्ने की पुस्तिका है। अगर राजस्व विभाग को सर्वस्व विभाग कहा जाय तो अच्छा होगा, राजस्व विभाग और वित्त विभाग को ले लिया जाय तो मैं इसको सर्वस्व विभाग कहूंगा। जहां यह इतना बड़ा विभाग है वहां के लिये ऐसी छोटी पुस्तिका और उसके छोटे से वाकयात को पढ़ कर आप भाषण नहीं कर सकते। श्रीमन्, मैंने इसको पढ़ने की चेष्टा की तो चकित रह गया। पिछले साल की पुस्तिका मंगायी, माननीय सचिव के दफ्तर से वह भी 10 पन्ने की किताब मिली। जब मैंने देखने की कोशिश की तो पहली बात जो लिखी है वही नहीं हुयी है। वह क्या है, जो इनकी राजस्व संहिता बनती थी जिसके संबंध में सन् 1977 में मंत्री जी ने सदन में आये थे, तो आज प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के अन्त तक दे देना चाहिये था। मुझे निराशा इस बात से है कि शायद ही इस सदन के अन्त तक प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आ पायेगी। शायद मंत्री जी आयेंगे कहेंगे कि अगले सत्र के लिये समय बढ़ा दिया जाय। तो ऐसा कदापि न किया जाय। क्योंकि ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि इस प्रवर समिति ने बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ी सी बातें रह गयी हैं वह यह है कि राजस्व परिषद् अगर हटायी जाती है तो उसका विकल्प क्या है। वह चीज समझ में नहीं आयी उस पर विचार करना चाहिये। इतना बड़ा विभाग है, इतने बड़े योग्य उसमें लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रवर समिति तो सदन की समिति होती है, उसकी कार्यवाही का जिक्र न करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री श्यामधर मिश्र—

तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उसकी रिपोर्ट मैं आशा करता हूं कि इसके अंतिम दिन तक आ जायगी और राजस्व परिषद का विकल्प भी आयेगा। श्रीमन्, जैसा मुझे मालूम हुआ और पूरे सदन को मालूम है कि इस विभाग के अधिकारी अमीन, लेखपाल, कमिश्नर, डी0 एम0, ए0 डी0 एम0, परगनाधीश वगैरह हैं। इस विभाग की दुर्दशा देखें। तहसीलदार तो इनके हाथ में है लेकिन एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 आदि की नियुक्ति ट्रांसफर और करेक्टर रोल में कौन लिखता है, सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन इस प्रदेश का इतना बड़ा घड़ियाल हो गया है कि एक-एक विभाग में 6 हजार, 8 हजार लोगों के लिये यह व्यवस्था करता है। मैं समझता हूं कि यह बात आपत्तिजनक है। श्रीमन्, सामान्य प्रशासन को इन लोगों को देना चाहिये। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि पुलिस को मैंने 29 लाख रुपये इस काम के लिये दिया है, मैं इस पर हंस रहा था। पुलिस आपके अन्तर्गत नहीं और उसको आप आज्ञा दें, तो यह ठीक नहीं है। आज पुलिस मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत नहीं है लेकिन पहले डी0 एम0 के अन्तर्गत एस0 पी0 और पुलिस होती थी लेकिन अब नहीं। अन्य प्रदेशों में जिले का अधिकारी जिलाधीश होता है और पुलिस के अधिकारी उसके नीचे हैं। लेकिन यहां एस0 पी0 कलेक्टर की आज्ञा नहीं मानता है। एस0 डी0 एम0 जमीन के नाजायज कब्जे के बारे में लिखता रहता है कि पुलिस ले जाओ, हरिजन मारे जा रहे है लेकिन कौन दरोगा उसकी बात को सुनता है। क्योंकि उसका ट्रांसफर और करेक्टर रोल एस0 डी0 एम0 के हाथ में नहीं है। यहां तक कि मंत्री जी आपके हाथ में एस0 डी0 एम0 कहां है। इस सदन के भूतपूर्व राजस्व मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह रोते थे इस माने में कि उन्होंने परगनाधीश के खिलाफ सतर्कता विभाग को लिखा तो उन्हें

उत्तर मिला कि नहीं यह आपका काम नहीं है । आप तथ्य दें लेकिन वह व्यक्तिगत कुछ न दे सके और साबित नहीं कर सके । आप हमारी तहसील में आये और एस0 डी0 एम0 से कुछ कहा लेकिन आपकी बात वह क्यों सुने क्योंकि आप उसकी एन्ट्री और ट्रांसफर की बात नहीं सुनते हैं ।

मान्यवर, मंत्री जी 44 जीपें किताब में हैं कि तहसीलदारों के लिये खरीद रहे है लेकिन उनको एस0 डी0 एम0 ले लेतें हैं। चूंकि हेडक्वार्टर पर नहीं रहते है। तहसीलदार उस जीप में तेल भरवाता है और साथ में सब्जी भी देता है । यह कुछ वर्षों का इकट्ठा हुआ भ्रष्टाचार है । क्या आप भी उसमें लिपटें रहेंगे । आप क्रान्ति का बहाना लेकर जनता में आये हैं तो क्या यही क्रान्ति है । मैं सोचता था कि क्रांति के रूप में आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था तहसीलों में काम की लायेंगे लेकिन वैसा नहीं है। आज तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है । उससे आप सभी लोग परिचित हैं । ए0 डी0 एम0, कमिश्नर, बोर्ड आफ रेंवेन्यू यह किस तरह से आपके अन्तर्गत है । तो यह दो व्यवस्था ला एन्ड आर्डर के नाम पर रखी गयी है, किस तरह जनरल प्रशासन के अन्दर घुसा है । जनरल प्रशासन इतना व्यापक है कि आई0 ए0 एस0 चाहे किसी विभाग का हो इनके पूल में आ गये तो उससे ही जायेंगे, तो ऐसा क्यों । मैं कहता हूं कि दो वर्ष पी0 सी0 एस0 की ट्रेनिंग होती है । एक साल आई0 ए0 एस0 की ट्रेनिग होती है। उनका एप्टीट्यूट देख लें। उसी हिसाब से किसी को विकास में, किसी को रेवेन्यू में, किसी को दूसरे विभागों में भेज दें या डेपुटेशन पर भेजें, उद्योग में भेजें। आज आपके उद्योग की क्यों दुदशा है ? इसीलिये कि अपने अधिकारियों को दौड़ा रहे हैं--चार महीन यहाँ, 8 महीने यहाँ और 10 महीने दूसरी जगह, और ये आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 वाले सलामबाजी चीफ सेक्रेटरी और अप्वाइण्टमेंट सेक्रेटरी की करते हैं। मान्यवर, केवल दो व्यक्तियों की सलामबाजी ये लोग करते हैं-- अप्वाइन्टमेंट सेक्रेट्री और चीफ सेक्रेट्री की। न मुख्य मंत्री की और न मंत्री की, केवल चीफ सेक्रेट्री की और एप्वाइन्टमेंट सेक्रेट्री की सलामबाजी करते हैं।

भ्रष्टाचार की बात आयी और तहसीलदार का नाम आया। लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल हम और आप दोनों है। केवल अधिकारी ही नहीं शामिल है। शायद हम और आप भी करते हैं। माननीय मंत्री जी भी करते हों । आप दौरा करते हैं । आपके साथ 100 आदमी गये। तहसीलदार ने 100 आदमियों को खाना खिलाया ।

एक सदस्य--

यह जनता राज्य में नहीं हो रहा है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, आप समय दें, तो मैं बताऊं कि हो रहा है ।

एक सदस्य--

आप पुरानी बात कह रहे हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र--

चाहे नयी बात हो या पुरानी बात हो, आज आपकी नयी सरकार है और इसको उसे दूर करना होगा। केवल यह कह देने से नहीं बच सकते कि यह तो पुरानी बात है। नयी सरकार इसे दूर करे।

[श्री श्यामधर मिश्र]

अब भ्रष्टाचार की बात देख लें। आपके कमिश्नर और कलेक्टर दौरे पर जाते हैं। तहसील में दौरा होता हैं तो जैसे कोई बारात जाय। इस तरह से इनको वहाँ लिया जाता है जैसे कोई लाट साहब आ गये, जैसे रेड्डी साहब आ गये। इस तरह से कमिश्नर और कलेक्टर का स्वागत होता है। स्वागत इन्हीं का होता है, किसी मंत्री का नहीं। लेकिन आपने कभी पूछा कि 100 आदमियों ने कहाँ से खाया ? उसको बताता हूं। तहसीलदार बेचारा कभी लाइसेंस से, कभी पटवारियों से, कभी मुटेशन से तो कभी चकबन्दी से पैसा काट-काट कर रखता है। दो तिहाई अपने लिये और एक तिहाई आपके लिये। और जो अच्छे मंत्री होते है, तो वे अलग जाकर टिफिन कैरियर में खा लेते हैं। ठीक है, आपने अलग खाया, लेकिन 50 ने कहाँ से खाया ? आप इस संबंध में पंजाब को देख लें, दिल्ली को देखे लें। श्रीमन्, हरियाणा में उस जमाने से बात चल रही है जबकि काँग्रेस का राज था तो आप क्यों नहीं करते उस तरह से ? क्यों नहीं मिनिस्टरों और अधिकारियों का टी0 ए0 वंद कर देते। ताकि ये सार्वजनिक रूप से खांय ? गेस्ट हाउस में कुक रख दीजिए। आखिर कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था हो। हरियाणा ने किया। आप देख लें कि हरियाणा न किया है कि नहीं। पंजाब ने किया है कि नहीं। यह मर्ज तो पूरे देश का मर्ज है। हम केवल तहसीलदार या कानूनगो की बातें करें तो यह ठीक नहीं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा तो खुशी हुयी कि कुछ क रहे हैं। लेकिन मैंने उस पुस्तिका को, जो छपी है, पढ़ा है। आपने 75 करोड़ रुपया केन्द्र से माँगा। कुछ मिल गया और कुछ नहीं मिला—मिलने वाला है यह रुपया करोड़ों में देकर क्या सरकार समझती है कि जनता की सेवा की, ऐसा मैं नहीं समझता। इसमें आधे से ज्यादा सरकारी अधिकारी भोजन कर जाते हैं। यह जो 100, 200 या 300 रुपये—चाहे मकान के लिये हो, या चाहे ऋण के लिये हो, दिया, इसका अधिकारी भोजन करते हैं। तो अगर मकान का रुपया है तो विकास को दें, ऋण का है तो लैण्ड बैंक को दें, जो जिस विभाग का है, उसको दें। आपने टेस्ट वर्क की बात कही। अनुदान का काम ब्लाकों को दें। यह ईस्ट इण्डिया कम्पनी से जो काम चले आ रहे हैं, उनमें कुछ कमी कर लें। आप इन लोगों को दे दीजिए, आपके माध्यम से यह काम कर सकेंगे। आप जब कह रहे थे कि 10 साल के बाद अब लेखपाल का तबादला हो जाएगा, तो मुझे लगता था कि भूतपूर्व मंत्री जी बोल रहे हैं या काँग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं। क्योंकि 1976 में काँग्रेस के मंत्री भी यही बोल रहे थे, 1975 में राजाज्ञा भी हो गई थी। 1975 बीत गया, 76 बीत-गया, 77 बीत गया, अब भविष्य की बात हो रही है। अभी कोई आखिरी 10 वर्ष का गया नहीं ह। यह कब होगा, आप बतायें ? आपकी 77 वाली पुस्तिका भी मेरे पास है, उसमें भी आपने यह कहा था। मैं समझता हूं कि आप अच्छे मंत्री हैं, आप करेंगे लेकिन जब आप सदन के पास इन संबंधों में आएं तो आप निश्चयात्मक ढंग से कहें कि यह काम पूरा होने वाला है। कानूनगो और नायब तहसीलदार के संबंध में मैंने आपको लिखित भी भेजा, आपके रिकार्ड में ह। बहुतसी तहसीलों में 7–7, 8–8 वर्ष से नायब तहसीलदार और कानूनगो पड़े हुए हैं, मैंने एतराज किया लेकिन कुछ होता नहीं है। वह कलेक्टर के यहाँ और कमिश्नर के यहाँ नीचे वालों को पैसा देकर फिर मैनेज कर लेते हैं। अभी रणजीत सिंह जी आ खड़े हुए कि एक वर्ष के बाद फिर हो जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा कोई ऐसी नहीं है कि 5 वर्ष के बाद नायब तहसीलदार और कानूनगो हट जायगा। मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं कि हट जाते हैं तो साल-दो साल बाद फिर चले जाते हैं क्योंकि एक वर्ष का गैप हो गया। यह ऐसी बातें है जिधर आपका ध्यान बहुत जरूरी है।

एक लगान स्थगन के संबंध में बात है। माननीय मंत्री जी ने कृपा-करके हम लोगों से पूछा है और एक प्रपत्र भेजा ह कि लगान स्थगन के संबंध में हम अपनी बात उनको

बतायें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लगान स्थगन की जिम्मेदारी-आप अपने ऊपर लिये ही क्यों हैं? मैंने इनको एक पत्र भी लिखा है कि एक हजार का स्थगन करना है या 5 हजार का करना है, आपके पास स्टाफ है क्यों न 5 हजार तक का कलेक्टर को तथा 10 हजार तक का कमिश्नर को अधिकार दे दिया जाए। मैंने आपको लिखा भी है, मैं नहीं जानता कि आप करेंगे या नहीं? आपने चकबंदी और नहर के सबंध में चर्चा स्वयं कर दी। आपका आश्वासन था, राजस्व मंत्री बैठे हैं। लिखित आश्वासन है कि जनवरी में हो जाएगा। आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल निकल गया और मई भी बीत गया लेकिन चकबन्दी नहीं हो रही, गाँव वाले परेशान हो रहे हैं। कृपया 23 तारीख को आप इस संबंध में हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त करें। श्रीमन्, ए0 डी0 एम0 (रेवेन्यू) हैं, ए0 डी0 एम0 (फाइनेंस) है, ए0 डी0 एम0 (एक्जीक्यूटिव) हैं, यह ए0 डी0 एम0 (राज0) जो बन रहा है, 8-8, 9-9 ए0 डी0 एम0 बनाये जा रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप सामान्य प्रशासन के समय कहें।

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, मैं ए0 डी0 एम0 (रेवेन्यू) और ए0 डी0-एम0 (फाइनेंस) की बात कर रहा हूं जो इनसे संबंधित है। मेरा यह कहना है कि ए0 डी0 एम0 (रेवेन्यू) जो इनके अन्तर्गत आते हैं, वे भी इनके अन्तर्गत नहीं है। यह बात दूसरी है कि यह दूसरे मंत्री से कहकर उनके कान खींच लें। तो कैसे काम चलेगा?

श्रीमन्, तहसीलों की इमारतों के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कुछ प्राविधान किया है। मुझे मालूम हुआ है कि फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ रुपया पाँच वर्ष के लिए इसके लिए दिया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि बीस हजार रुपया हर तहसील के लिए इस साल दे दिया है। वह अच्छी बात है। लेकिन यह अपर्याप्त है। कृपया आप आज्ञा दें कि जितने एस0 डी0 एम0 हैं चाहे उनको किराये के मकान में रहना पड़े लेकिन वे तहसील हेडक्वार्टर पर निश्चित तौर पर रहें। एक दूसरी आज्ञा दें कि नायब तहसीलदार और बी0 डी0 ओ0 और थाना एक सर्किल में हो। इस पर विवाद हुआ है, विचार हुआ है। गवर्नमेंट आफ इंडिया न इस पर सोचा था। कई प्रदेशों ने इस पर विचार किया है कि थाना, नायब तहसीलदार और विकास-क्षेत्र का दायरा एक हो चाहे एक जगह न रहे।

श्रीमन्, टेन्योर की एक तरह की बात होनी चाहिए। अब बहुत दिन हो गये है--- 25 वर्ष हो गये हैं। हम कह सकते हैं कि इस माने में, टेन्योर सिस्टम में, हमारा प्रगतिशील प्रदेश है। भूमि व्यवस्था के संबंध में हम काफी अग्रणी है अन्य प्रदेशों की तुलना में। कोई एक टेन्योर होना चाहिए और ऐसा टेन्योर होना चाहिए जो ट्रांसफरेबुल राइट दे--- हस्तांतरण अधिकार पूरा दे। कुछ को हस्तांतरित अधिकार दिये हैं कुछ को अहस्तान्तरित।

श्रीमन्, चकबन्दी के संबंध में कहना चाहता हूं। उसी तरीके से चकबन्दी भी बड़े अधिकारियों के अन्तर्गत नहीं है छोटे अधिकारियों के अन्तर्गत है। बात वही है। अगर राजस्व विभाग अपना प्रशासन, श्रीमन्, बहुत स्वच्छ, बहुत निष्पक्ष और बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ाना चाहता है तो मेरा सुझाव, श्रीमन्, होगा कि कलेक्टर जो पहले 6 वर्ष, 8 वर्ष, आई0 ए0 एस0 के बाद जिला कलेक्टर होता था, आज क्या हो रहा है। तीन वर्ष, चार वर्ष

[श्री श्याम धर मिश्र]

में आई0 ए0 एस0 हुए और कलेक्टर बने। नैं नहीं कहता कि वे योग्य नहीं है। बड़े योग्य हैं। लेकिन अनुभव भी एक योग्यता है। तीन वर्ष एस0 डी0 एम0 है, तीन वर्ष ए0 डी0 एम0 रहें जिससे कि डी0 एम0 का काम किया जा सके। एक लाख से ऊपर रेवेन्यू केसेज अदालतों में पड़े हैं। और इन अधिकारी लोगों के समझ में कुछ नहीं आता जब वकील लोग बहस करते हैं। बगलें झांका करते हैं। क्या फैसला करें। अगर वकील समझा दें तो फैसला करें। वकील लोग अपने ढंग से समझा देते हैं। वकील साहब क्षमा करें। वकील लोग यहाँ बैठे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी क्षमा करेंगे वह भी वकील हैं। श्रीमन्, होता क्या है। जो न्याय का गला है वह घोट दिया जाता है। श्रीमन्, हमें मालूम हुआ है कि सचिवालय के सामने आजमगढ़ के एक नत्थूगढ़ के चकबन्दी योजना के अधिकारी के खिलाफ चूंकि भ्रष्टाचार है दो तीन व्यक्ति यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। लिख कर दिया है कि आत्म दाह करेंगे। पूरा परिवार बैठा है। मैं नहीं जानता। माननीय मंत्री जी देखें। इस तरह की बात अगर आरोपित हैं तो उन्हें देखना चाहिए।

श्रीमन्, अंतिम बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। आप को परेशान नहीं करना चाहता हूं। मैं यह आशा करता हूं जैसा कि इस सदन में प्रस्ताव पास हुए, चर्चा हुई और उन पर बराबर राय जाहिर करने की चेष्टा की गयी कि प्रान्त बट जाय, जिले बट जायं अथवा तहसीलें बढ़ा दी जायं। माननीय मंत्री जी ने एक ब्रुश लेकर सबको टार्निश कर दिया। गाजियाबाद का जिला तो बन गया। मैं चाहता हूं कि इसी तरह दुद्धी राबर्ट्सगंज का एक जिला और दूसरा ज्ञानपुर का औद्योगिक जिला बन जाय। दूसरे 15 लाख से ऊपर का जिला न हो। तीसरे इस प्रदेश के चार टुकड़े हों। एक बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। आपने जो अभी रुपया बंटवाया, आपने इस पुस्तिका में देखा होगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ पाम आयल और पाउडर दो हजार टन बटवाया, तो पता नहीं कहाँ बटा ? मंत्रियों के क्षेत्र में बटा होगा, हमारे क्षेत्र में नहीं बटा। अगर बटवाया गया तो कम-से-कम-हमको सूचना तो दी जाती या कमसे कम ब्लाक वालों को सूचना दी जाती या जो आपके-समर्थक है उनको सूचना देते। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है इसे स्वीकार करके एक रुपये में काम चला लेंगे-क्योंकि-मैंने-नीतिगत प्रश्न उठाये हैं।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं। समय कम होने से कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। राजस्व मंत्री, बड़ी तादाद में मुकदम विचाराधीन पड़े है और उसके कारण काश्तकार लखनऊ का चक्कर काटते-काटते परेशान हो जाते है। मेरा यह अनुरोध है कि जो मुकदमे राजस्व परिषद् में पड़े हैं उनको निश्चित रूप से तीन महीने में समाप्त कर दिया जाय ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके। जिन मुकदमों से खेतों पर कब्जा होना है उनके मुताबिक उनको कब्जा मिल जाय ताकि मुकदमों से उनको छुट्टी मिल जाय।

एक सुझाव यह है कि राजस्व परिषद, कमिश्नर, एस0 डी0 एम0 जो यह इतना बड़ व्यापक विभाग है इसमें जो अनियमित कार्यों से किसानों को परेशानी होती है जिससे 80 प्रतिशत गांव के लोग प्रभावित होते हैं उन अनियमितताओं को दूर किया जाना चाहिये और माननीय मंत्री जी को इसके लिये कठोर कार्यवाही करनी होगी। सबसे बड़ी गड़बड़ी भूअभिलेखों की होती है एक आदमी जो अपनी जमीन बेच देता है दाखिलखारिज के मसले को लेकर और फौती के मसले को लेकर एक आदमी के मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन है ये तीन चार तरह के मुकदमे बड़ी तादाद में लड़े जाते हैं जिसमें राजस्व परिषद् और कमिश्नर तक वर्षो तक मुकदमे लड़े जाते है जिसमें किसान की कमर टूट जाती है। जहां तक फौती से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3000

उत्तराधिकार का सवाल है या दत्तक पुत्र से उत्तराधिकार का सवाल हो या जमीन खरीदने का हो माननीय मंत्री जी को इस तरह के मामलों के लिए नई व्यवस्था करनी चाहिए कि दाखिल खारिज के मामले 3 महीने के अन्दर निश्चित रूप से पूरे हो जाने चाहिए ताकि किसान परेशान न हो और वह जमीन खरीदने के बाद अनावश्यक रूप से मुकदमे में न फंसे। इसलिये मेरा सुझाव है कि 3 महीने के अन्दर सारी कार्यवाही निश्चित रूप से पूरी हो जानी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्टाफ बढ़ाने की बात कही है। एक लेखपाल के हल्के में पांच-पांच और सात-सात रेवन्यू गांव होते हैं। लेखपाल को ही उनकी सारी व्यवस्था करनी होती है। जैसे वोटिंग करनी होती है तो वही व्यवस्था करता है। तो मेरा निवेदन है कि हर रेवन्यू गांव में एक लेखपाल की व्यवस्था आप करें। तभी आप उसका वजन हल्का कर पायेंगे और तभी आप इतने बड़े बजट को हल्का कर पायेंगे। आपने बाढ़ के मामले में निवेदन किया या आग लग जाने के बारे में कहा तो इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमारे देश में दो प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस के जमाने से, मिश्रा जी आपके जमाने से चली आ रही है। यदि किसान उलट जाय, वह बरबाद हो जाय, उसके खेत बरबाद हो जायं तो उसको उसकी जमीन को देखते हुये मुआवजा देना पड़ेगा। जबकि कल-कारखानों और दुकानों के सम्बन्ध में उनकी हैसियत के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। यदि कहीं दुकान या कल-कारखाने में आग लग जाती है तो वह बीमे के अन्तर्गत आ जाते हैं लेकिन अभागा किसान ही होता है कि वह कानून से ग्रसित हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसका नुकसान हो जाने के बाद उसकी हैसियत के अनुसार उसको मुआवजा देना चाहिए। आपने कहा कि आपने 1 एकड़ से बढ़ाकर ढाई एकड़ तक उसकी लगान की माफी दे दी है और कहा है कि उनको भी नुकसान का मुआवजा मिलेगा। मान्यवर, सवा छः एकड़ का काश्तकार बहुत छोटा होता है। उसकी हालत खराब रहती है इसलिये मेरा निवेदन है कि सवा छः एकड़ तक के लोगों को आप पूरा मुआवजा दें। आपने यह भी कहा कि लगान मुक्ति के बारे में दो तरह की व्यवस्था आप किये हुये हैं। हम चाहते है कि जो खेत पानी से डूबे हुये हैं उनकी लगान माफी स्वतः ही माफ कर देनी चाहिए। आप उनको पूरे मुआवजे में आंकलन करते हैं और कहते है कि यदि उसका 50 या 75 फीसदी नुकसान होता है तभी लगान माफी करते हैं। यह सिद्धान्त इस मुल्क में चलने वाला नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो जमीन बाढ़ से पानी में डूब जायं उसकी लगान स्वतः ही माफ हो जानी चाहिए और फिर आपका आंकलन करना युक्तिसंगत बात नहीं है। इसके साथ ही जो जमीन कट जाती है उसका आप वास्तविकता से परे आंकलन करते हैं और विभाग सही आंकलन नहीं कर पाता है। इसके बाद मैं चकबन्दी के मसले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब से चकबंदी के संबंध में एलान करते हैं और जब से गांव में पहुंचते हैं उस सारी योजना को गांव में बैठकर लोगों को बताना चाहिये लेकिन यह नहीं होता है। सारी योजना को ए0 सी0 ओ0 को गांव में बैठकर बतानी चाहिये। बल्कि होता क्या है कि कहीं दूर बैठ कर यह तय होता है और जो आदमी अपने खेत की कीमत को ज्यादा लगवायेगा उसको चेक अच्छा मिल जायेगा भले ही रकबा कम होगा लेकिन मलकियत ज्यादा होती तो उसको लाभ होगा और जो यह नहीं कर पायेगा उसको नुकसान हो जायेगा। इसके लिए वह भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मूल्यांकन के मसले को लेकर हाईकोर्ट तक

[श्री रघुबर दयाल वर्मा]

मुकदमे लड़े जाते हैं। इसके लिये आपको व्यवस्था करनी होगी कि गांव में बैठ कर मूल्यांकन उच्च अधिकारी जाकर करें और मूल्यांकन के मसले पर किसानों को सुनायें और स्वयं उनकी बात को सुनें तब निर्णय करें लोगों की बातों का भी निराकरण करें तभी चक काटे जायं। अगर यह किया गया तो निश्चित रुप से मुकदमे बाजी से आप लोगों को राहत दे सकेंगे और सही रूप से जो चकबंदी की भावना है उसको जनोपयोगी बना सकेंगे। अगर यह व्यवस्था की गई तो इस चकबन्दी की जो मूल मंशा ह उस पर आप पहुंच सकेंगे। जसा कि पूर्व काल में चकबंदी की गई उस जगह पर आपको पुनः चकबन्दी की बात सोचनी पड़ रही है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

इसी प्रकार जो आजकल चकबन्दी हो रही है उनमें भी उन्हीं अनियमितताओं के रहते फिर चकबन्दी कराने की योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए इन सब बातों पर विचार कर कार्यवाही करनी चाहिये।

अंत में मैं एक बात अपने यहां के एक करीकुपई गांव में चकबंदी हुई उसकी बात कहना चाहता हूं। वहां पर अनेक अनियमितायें हुई। उसकी जांच करने के लिये यहां से, लखनऊ से एक उच्च अधिकारी गये उन्होंने जांच की और अनियमितताओं का एक चिट्ठा खोल दिया, लेकिन डी0 जी0 सी0 ने जाकर उन्हीं अनियमितताओं के आधार पर सारी अपीलों को अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि अब यहां पर चकबन्दी होने की आवश्यकता नहीं है और कह दिया कि अनियमितताओं की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार आपके विभाग में लोग काम करते हैं। इसलिये इन सब मामलों में गंभीरता से विचार करें और चकबन्दी के मसले को दुरुस्त करें। इन शब्दों के साथ मैं आपके इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। निसंदेह इस बजट में ऐसी बहुत सी बातें रखी गई है जिनके कारण राजस्व विभाग की अच्छी तरह से तरक्की हो सकती है और किसानों को लाभ मिल सकता है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अभिलेखों के ठीक रखरखाव के लिए लेखपालों की संख्या बढ़ायेंगे और जिलाधिकारियों को अधिकार दिया है कि आपात-कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही धनराशि पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे समय पर लोगों को राहत मिल सके। लेकिन फिर भी हम यह देखते हैं कि इस राजस्व विभाग में बहुत सी कमियां है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, अकबर 17 वीं शताब्दि का बहुत अच्छा शासक हुआ है उसने भूमि को लगान की दृष्टि से, उपज की दृष्टि से चार भागों में विभाजित किया था। एक नम्बर की पोलज-भूमि वह होती थी जो अत्यन्त उपजाऊ होती थी। दूसरी नम्बर की भूमि को परौती का नाम दिया गया जिसमें एक फसल कटने के बाद एक फसल के लिए जमीन पड़ी रहती थी और तब जाकर बाद में खेती होती थी। तीसरी भूमि चांचर होती है जिसमें तीन चार साल तक कोई खेती नहीं होती है और वह पड़ी रहती है उसके बाद तीन चार साल बाद फसल बोई जाती है। चौथी बंजर भमि है जिसमें कोई फसल नहीं होती।

मैं राजस्व मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि प्रदेश भर में इसी प्रकार भूमि का निरीक्षण करवाया जाय कि वास्तव में प्रदेश में किस-किस किस्म की भूमि है और उसी के

आधार पर लगान निर्धारित करें और उसी के आधार पर लगान को माफ करें। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तहसील किरावली में बहुत सी ऐसी भूमि है जो बीसियों वर्षों से एक दाना भी नहीं देती है और उसका लगान किसानों के सिर पर मढ़ा हुआ है यह हजारों एकड़ जमीन है उस पर उनको लगान देना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारी तहसील किरावली में औड़ेला ग्राम है, जहां हजारों एकड़ जमीन नदी के कारण कट गई है, लेकिन वहां किसानों को लगान देना पड़ता है। इसलिये जिस जमीन से किसानों को कोई उपज या आमदनी हो, उससे उसको लगान मुक्त रखा जाय। यद्यपि उस जमीन का इन्द्राज उसके ही हक में बना रहना चाहिये, क्योंकि पता नहीं कब वह जमीन उपजाऊ हो जाए। ग्राम समाज की जमीन पर प्रायः यह देखा जाता है कि ग्राम प्रधान या उसका परिवार उस पर कब्जा किये रहता है, कब्जा न हो तो अप्रत्यक्ष रूप से उससे लाभ उठाया करता है। इस लिए यह होना चाहिए कि प्रति वर्ष ग्राम समाज की भूमि की पड़ताल राजस्व अधिकारी मौके पर किया करे और यह देखा करें कि उसका सार्वजनिक हित में ही इस्तेमाल हो रहा है। या ग्राम प्रधान आदि अपने निजी हित में उसका उपयोग कर रहे हैं।

चकबन्दी के समय चकरोड्स और गूल छोड़ी गई है, किन्तु वे केवल नक्शे में देखने को मिलती हैं, उनका भी मौके पर निरीक्षण होना चाहिए, जिससे किसानों को उनका लाभ मिल सके। एक बात यह भी है कि प्रायः गांव के नक्शे खराब हैं यानी जमीन कम दिखाई गई है। इससे जब ठीहाबन्दी मुकदमे चलते हैं तो वे इसलिये उलझ जाते हैं, कहा यह जाता है कि नक्शा ठीक नहीं है। इसलिए नक्शा दुरुस्ती होनी चाहिए और जमीन का पूरा हिसाब होना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि जिन मुकदमों में सरकारी वकील रहते हैं, विपक्षी लोग अगली तारीख डलवाने के लिए अदालत से प्रार्थना करते हैं और अदालत उसे दे देती है तो वह विपक्षी से सरकारी वकील को हर्जाना दिलवाती है। जो उनको अपने वेतन आदि से अलग मिलता है, अतः वह पैसा सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। और यदि सरकारी वकीलों को दिया जाए तो उसे उनके शुल्क में एडजस्ट कर दिया जाना चाहिए। वह पैसा भी लेते हैं और दूसरे पक्ष से मिल भी जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो बाढ़, गर्की और आगजनी की घटनाओं से बहुत पीड़ित रहता है। अतः मेरे क्षेत्र में और जहां-जहां भी प्रायः इस तरह की दैवी आपदाएं आती रहती हैं, वहां समय से पूर्व ही तकावी और अनुदान का धन पहुंच जाना चाहिए। हमारी किरावली तहसील के औड़ेला, सामेरा, पूरा आदि गांवों में किसानों के यहां हाल ही में आग लगी है, उनके सहायता के सिलसिले में जब मैं तहसील गया तो मुझे बताया गया कि वहां पर इस के लिए अभी कोई धनराशि नहीं है। अतः जो सहायता दी जाती है, वह वहां पर समय पर पहुंच जानी चाहिए। जिससे वक्त पर वह सहायता मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष---
आप समाप्त करें।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---
उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जैसे आई० सी० एस० सर्विसेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

में स्टील फ्रेम था। इसी तरह से राजस्व विभाग सारे विभागों का एक स्टील फ्रेम है, एक रीढ़ की हड्डी है। राजस्व विभाग ठीक से काम करेगा तो सारे विभाग काम करेंगे क्यों सारे विभागों को वह कोआर्डिनेट करता है। इनका सबसे नीचा अफसर लेखपाल गाँवो में रहता है। लेखपाल एक संस्था है, इंस्टीट्युशन है, एक नौकर नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन का कोई कार्यालय नहीं है। आप देखे, कहीं तहसील में मारा-मारा घूम रहा है, कहीं जिस हल्के का लेखपाल है वहाँ घूम रहा है। उसका कार्यालय नहीं है। माननीय मंत्री जी लेखपालों के कार्यालय उनके हल्के पर स्थापित करें। सा कागजात उस लेखपाल कार्यालय में रहने चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, लेखपाल किसान का मुनीम है। बड़ी विडम्बना है, हमारा हिसाब-किताब वही रखता है। कमाते हम हैं, हमारा हिसाब मुनीम लेखपाल रखता है। अगर उसमें वह कोई गबन करता है, हमारी जमीन का पता नहीं लगता है तो हम लेखपाल के ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चला सकते। हमको अधिकार होना चाहिए कि बिना हमारी इजाजत के बिना हमारी जानकारी के हमारी अमानत में खयानत क्यों हो जाती है। ज्यादातर झगड़े इसके हैं, हमारा मुनीम हमारी अमानत में खयानत करता है।

(इस समय 1 बज कर 28 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए।)

किसान को अधिकार होना चाहिए, चूंकि वह मुनीम हमारा है, सरकार की तरफ से नियुक्त मुनीम है, हमारी जमीन का लेखा जोखा रखता है, जब हमारी जमीन कम हो जाती है, बिना हमारे बताये हुए तो हमको यह अधिकार होना चाहिए कि हम लेखपाल के ऊपर 409 का मुकदमा दायर करें अमानत में खयानत होने का। तब जाकर स्टील फ्रेम राजस्व विभाग को डर होगा। अगर किसी की जमीन निकलेगी, अगर लेखपाल ने गड़बड़ किया, एक थैली से निकाल कर दूसरे के नाम लिख दिया, तो हम मुकदमे में आ सकते हैं? उसको डर रहेगा। इस लिए लेखपाल के ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि अगर हमारी जमीन में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। अधिष्ठाता महोदय, यह जो भूमि आवंटित हुई है हरिजनों को, उसका हमारे मंत्री जी ने एक आँकड़ा पेश किया है, 1975–76 में कितनी भूमि आवंटित की गयी थी, कब्जा भी मिल गया है। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं, हरिजनों को भूमि दी है। लेखपालों की गड़बड़ी की वजह से सारे भूमि के ऊपर आज भी झगड़े चल रहे हैं। इस लेखपाल के इंस्टीट्यूशन पर सख्ती नहीं बरतेंगे तो झगड़े चलते रहेंगे। सीलिंग ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है।

भूमि विकास बैंक किसानों की जमीने नीलाम कर रही है और सीलिंग ऐक्ट से जिनके पास ज्यादा जमीन है वही इस जमीन को खरीद रहे हैं। तो यह नियम होना चाहिए कि कोई भी जमीन को बेचे चाहें भूमि विकास बैंक या दूसरा बैंक बेचे लेकिन उसको खरीद वही सकता है जिसके पास सीलिंग ऐक्ट के अन्दर से कम जमीन न हो माननीय मन्त्री जी से मैं यह और कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वह उनके अन्डर में काम नहीं करते हैं केवल तहसीलदार के नीचे के अधिकारी ही उनके अन्डर में है और ऊपर के अधिकारी उनके अन्डर में नहीं है इसलिये जितने भी अधिकारी हैं जिनका ताल्लुक जमीन से है उनको मा0 मन्त्री जी के अन्डर में किया जाय उनका स्थानान्तरण और नियुक्ति सभी चीजे मन्त्री जी को करने का अधिकार होना चाहिए तभी राजस्व विभाग में जो गड़बड़ी है वह ठीक हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त कीजिए।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं यह जो पुस्तिका इस सदन में बाँटी गयी है जो राजस्व विभाग के कार्यकलापों से संबंधित है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

यह आश्वासन मिला था कि जो भी इस प्रकार को पुस्तकें छापी जावेंगी उनके अन्त में एक चैप्टर इस बात का जोड़ दिया जायगा कि वहां पर कितने हरिजन कर्मचारी हैं लेकिन इस पुस्तक को मैंने पूरा पलटा, कहीं पर भी इस प्रकार को कोई पन्ना नहीं मिला जिसमें हरिजनों की संख्या दी हुयी हो कि वहाँ पर कितने हरिजन है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिल टिहरी गढ़वाल)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्रा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी कहते है कि वे 3 हजार पटवारियों को भर्ती करने जा रहे हैं और 40–50 जीपें खरीदने जा रहे हैं। मन्त्री जी चाहे हवाई जहाज का इन्तजाम कर दे वह ठीक है, लेकिन बुनियादी जो ढांचा है, जो अभी तक चला आ रहा है, क्या उसमें परिवर्तन करेंगे क्या उसे चलने देंगे, बोर्ड आफ रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी की सीढ़ियाँ बनी हुयी है। मान्यवर, मुझे नेता का समय दें। दस मिनट का समय दें। तो यह तमाम सीढ़ी चली आ रही है। तहसीलदार 24 घंटे मन्त्रियों की सेवा में लगा रहता है अभी तो बनारसी दास जी ने सत्ताइस की ही संख्या रखी है अगर वे शिव जी की बारात बना दिये होते और 50–60 मन्त्री हो गये होते तो जो तहसीलदार है वह बिलकुल इनके इन्तजाम में लगे रहते। कोई चमोली जाता, कोई बद्रीनारायण जाता परन्तु सौभाग्य की एक बात यह भी है कि इस समय बजट सेशन चल रहा है, और अगर कोई शिमला जाता-और बेचारा तहसीलदार उनकी सुराही के इन्तजाम में, उनके खाने के इन्तजाम में और उनकी-तेल मालिश के इन्तजाम में लगा रहता। उसका पूरा दिन सरकिट हाउस में ही समाप्त हो जाता है। और अगर बीच में बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य पहुंच गये तो उसकी यह ड्यूटी और बढ़ जाती है। कलेक्टर की तो वह हाँ हजूरी किया ही करता है। मान्यवर, यह जो सफेद हाथी–बोर्ड आफ रेवेन्यू खड़ा कर रखा है उसको समाप्त कीजिये। राजस्व परिषद् आपको रखना है तो रखिए लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आपका हस्तक्षेप न करें। और बहुत से देश में राज्य है। राजस्थान में कमिश्नर नहीं हैं बल्कि कमिश्नर के पद राजस्व परिषद् में है। इसी प्रकार से मद्रास में स्थिति है। तो यह जो अंग्रेजों के जमाने-से-राजस्व विभाग का ढांचा है, इसको समाप्त कीजिए। रेवेन्यू कोड के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति बनी है उसमें इसका सुझाव है ।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि हम ने माँगे की है कि पूरे प्रदेश में दुबारा सैटिलमेंट होना चाहिए। सीर की जो जमीन है उस पर मालगुजारी कुछ और भूमिधरी की जो जमीन है उस पर कोई और मालगुजारी है। अगर आप दुबारा सैटिलमेंट कराकर सीर और भूमिधरी की जो जमीन है उनकी एक मालगुजारी करा दें तो उससे आपका राजस्व बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यह हर 10 साल में होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। तो मेरी प्रार्थना है कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर सदन में दें तो इस सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

इसी प्रकार से देहरादून जिले में एक जौनसार भाभर का इलाका है और एक और इलाका है जिसे हम कंडियों का इलाका कहते हैं। ये पहाड़ी इलाके हैं लेकिन उनमें मैदानों की मालगजारी की दर लगा रही है। इसी प्रकार से पौड़ी गढ़वाल की जमीन की माल-गुजारी कुछ और, और टिहरी गढ़वाल में लगान की दर अलग है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम जो पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं उनकी लगान दर समान होना चाहिए ताकि देहरादून के जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वे महसूस न करें कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है।

जहाँ तक भूमिहीनों का प्रश्न है, हर सरकार, जो भी आयी, ने बड़े-बड़े आँकड़े पेश किए कि इतनी-इतनी जमीनें बाँटी गयी। आज जो मंत्री जी ने आंकड़े दिए उनमें कहा कि केवल 10,000 ऐसे भूमिहीन होंगे जिनको भूमि आवंटित की गयी लेकिन कब्जा नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं क्योंकि आप ईमानदारी से अपने विभाग को चलाने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो विभाग आपके पास रहे हैं उनमें ऐसी ही किया लेकिन ये आँकड़े बिल्कुल तथ्यहीन हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। लाखों भूमि-हीन, जिनको भूमि आवंटित की गयी थी, मौके पर उनका कब्जा नहीं है। काँग्रेस वालों ने बड़े जोर से हल्ला किया था कि वे जमीन बाँट रहे है लेकिन जो भूमिहीन उस समय थे, उनकी हालत आज भी वैसी ही है।

अब मैं आपका ध्यान भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी आज क्या दशा है, आप अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि हरिजनों और सवर्णों में संघर्ष होते हैं लेकिन बुनियादी संघर्ष तो भूमिहीनों और पुराने सामंतों का है जिनके यहाँ पर ये भूमिहीन काम करते हैं। आपने न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए आपके पास कौन सी मशीनरी है। न्यनतम वेतन का अधिनियम जो है वह 3–4 वर्ष पहले पास हो चुका है लेकिन आपके पास कोई मशीनरी नहीं है कि उस अधिनियम को आप लागू कर सकें और जो न्यूनतम वेतन है उसे आप खेतिहर मजदूरों को दिला सकें।

वैसा ही सीलिंग का मामला है पता नहीं कितनी जमीन सीलिंग से निकली और कहाँ पर बाँटी गयी। सीलिंग की जो हालत काँग्रेस के समय में थी वही आज है। जो बड़े-बड़े लोग हैं वे अपनी जमीन को बचा लेते हैं। तराई में आप देखे वहाँ पर हजारों एकड़ जमीन के फार्म्स जैसे के तैसे बने हैं। आप माननीय देवबहादुर जी से पूछ लीजिए ? ऋषी केष के अन्दर मैदानी इलाकों में हजारों एकड़ जमीन पुराने काश्तकारों के पास आज भी मौजूद है जो किसी ने अपनी बिल्ली के नाम, किसी ने अपने कुत्ते के नाम, किसीने अपनी बीबी या सुसर आदि के नामों से कर रखी है। जो पुराने लूपहोल्स थे उनको आप बन्द करिये और ऐसी जमीनों को निकाल कर जो मेहनत करने वाले है उनको दीजिये।

भूमिहीनों के लिये यह जो अन्त्योदय योजना चलायी गयी है इसका मान्यवर, उदय और अन्त पहले से ही शुरू हो गया है। अन्त्योदय का बड़ा भारी प्रचार चल रहा है। अगर किसी गाँव के 5 आदमियों को आपने थोड़ा बहुत रोजगार दे भी दिया तो उससे आर्थिक व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। इस योजना का हमारे यहाँ हाल यह है कि भैंस लेने के लिये पहले दस आदमियों को इकट्ठा करते हैं, बड़ी मुश्किल से वे इकट्ठा हो पाते हैं, फिर उनके साथ डाक्टर वगैरह को करते हैं और कहते है कि मैदानी इलाके में सब लोग आओ। जब से वे लोग वहाँ जाते है तो कहते हैं कुछ दिन ठहरो, इन्तजाम कर रहे है, फिर उनसे कहा जाता है कि तुम अपने घर जाओ, वहीं भैंस पहुंचा दी जायेगी। उसके बाद जो भैंस दी जाती हैउसके किसी के दाँत टूटे होते हैं, कोई बिलकुल बेकार होती है। यह है आपका अन्त्योदय प्रोग्राम। अगर आप सचमुच में उनकी दशा सुधारना चाहते हैं, भूमिहीनों को भूमि देना चाहते हैं, तो आप बड़े-बड़े फार्म्स की जमीनें लेकर इन छोटे लोगों में बाँटिये।

अतिवृष्टि का मामला जो है वह भी हमारे यहाँ अजीब है। जब मैदानी इलाके में बाढ़ आती है तो बाढ़ चली जाने के बाद खेत अपनी जगह पर रहते हैं। पर पहाड़ों पर बाढ़ में खेत हमेशा के लिये नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन के कारण आज तमाम आदमी इधर उधर असहाय पड़े हुये है। उनके पुर्नवास का कोई इन्तजाम नहीं है। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अहेतुक सहायता के जो नियम चले आ रहे है वे बाबा आदम के जमाने के हैं। 20 साल पहले अगर किसी मकान के लिये 400 रुपये आप देते थे तो वही आज भी देते हैं, आज उससे क्या होने वाला है। उस समय में एक रुपये के 20 सेर गेहूं आते थे, आज क्या हालत है। उसी हिसाब से नियमों में परिवर्तन होना चाहिये।

पहाड़ के अन्दर लेखपाल और पटवारी को पुलिस का काम भी देखना पड़ता है और तमाम काम वह करता है, मगर आप उसे आज सुविधायें बहुत कम देते हैं। उनके कामों को देखते हुये उनकी सुविधाओं और उनके वेतन बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने राजस्व* बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं, वहाँ पर भूमि व्यवस्था यहाँ की भूमि व्यवस्था से भिन्न है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे कि गढ़वाल जनपद में खाम भावर है, उसकी व्यवस्था वहाँ के डी0 एम0 करते थे और भूमि का स्थानान्तरण 2 रु0 के स्टाम्प पर होता था और अब सरकार ने जब जमींदारी विनाश कानून बनाया और भूमिधर कानून लागू किया, वहाँ पर आज भी व्यवस्था है कि 2 रु0 से भूमि का स्थानान्तरण होता है, जिससे कि लाखों रुपये की चोरी सरकार के रुपयों की इस प्रकार से होती है और भूमि पर काबिज कोई दूसरा है और भूमि का ट्रांसफर कोई और व्यक्ति द्वारा होता है। वहाँ की भूमि का नियमितीकरण किया जाय ताकि जो वास्तविक काबिज है, उसको भूमि मिल सके। वहाँ पर पटवारी लोग हमारे पहाड़ों पर सब कुछ होते हैं। लेखपाल भी वही, एस0 ओ0 भी वही, वी0 एल0 डब्लू0 का काम भी वही देखता है, बल्कि सब प्रकार की ड्यूटीज उनकी देख-रेख में होती हैं। उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, रहने के लिए यहाँ तक कि जब वह एस0 ओ0 का काम करता है और वहाँ पर जब कत्ल और डकैतियाँ होती है, उनके पास मुलजिमों को रखने की भी व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहाड़ों के पटवारियों की सेवाओं का नियमितीकरण किया जाय।

मान्यवर, बहुत तहसीलें पहाड़ों में खुली है, घूमा कोट और कोटद्वार में तहसील खुली, लेकिन वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पर तहसील खोलने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि स्टाफ न हो और वहाँ पर रहने की व्यवस्था न हो। माननीय महोदय पहले पहाड़ों के ऊपर एक गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट लागू था, उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट लागू किया। अगर व्यक्तिगत भूमि चाहने के लिए लोग आवेदन करते थे, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भारत सिंह]

लोगों को भूमि सरलता से मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के कारण लोगों को जमीनें नहीं मिल पाती हैं और वहाँ पर जो सार्वजनिक काम, चाहे स्कूल, अस्पताल कोई भी हो, उसमें दिक्कत होती है। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट के अनुसार जमीन सरलता से गाँव समाज को मिल सके। भूमि आवंटन के बारे में बहुत ही चर्चा हुई। पहाड़ों में जो भूमि आवंटित हुई है, वह लोगों को बहुत नाममात्र को हुई है। उसमें जहां पर पट्टे होने हैं, जो अच्छी जगहें हैं, वहाँ पर आज भी उनको जमीने देना चाहिए जो लोग भूमिहीन है, उन लोगों को भूमि दी जाय। भूमि आवंटन केवल अधिकारी लोग करते हैं। वहाँ पर जो कोई अधिकारी किसी गाँव में जाता है और कोई आदमी अगर कोई अर्जी देता है, तो उसे किसी दूसरे गाँव में आवंटित हो जाती है। इसके लिए भूमि आवंटन समिति होनी चाहिए और वही भूमि आवंटन करे, ऐसा न हो कि तहसीलदार और पटवारी भूमि आवंटित करें। पहाड़ के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में स्थिति भिन्न है। मान्यवर, बहुत से गाँव भू-स्खलन से समाप्त हो गये है। मेरा निश्चित मत है कि पहाड़ों में नाममात्र को भी कोई सहायता नहीं दी जाती है। सितपुर, सेंरगाँव आदि इस प्रकार से लगभग 20 गाँव गढ़वाल में भू-स्खलन से समाप्त हो गये है। अगर उसके लिए व्यवस्था नहीं की जायगी, तो वहाँ के लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको बसाया जाये। एक बात और पहाड़ों में कभी मालगुजारी विभाग के लोग रहते थे उनकी जो मालगुजारी क्षेत्र है, जो काबिज हैं उनको ही जमीन आवंटित की जाये।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करने लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बजट प्रस्तुत करते समय इस बात की घोषणा की गयी कि टैक्स लगाया जाये। मेरा साफ कहना है कि प्रत्येक तहसील के अन्दर आमदनी के जरिये इतने रखे है कि प्रान्तीय स्तर पर अगर एक समिति नियुक्त की जाये और तहसील के रिकार्ड की जाँच करे तो टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने जिन सम्पत्तियों का मुआवजा दे चुके हैं, पुर्नवास दिया है, ऋण और अनुदान दिया है उनका भी कोई हिसाब नहीं है। जिनको हमने यह देकर मजबूत किया है वही उन सम्पत्तियों पर काबिज है, बेनामी, फर्जी तरीके से। जोर-जबरदस्ती के तरीके से। सम्पूर्ण शक्तियाँ जिनसे आय हो सकती है, अपने हाथ में लिये बैठे हैं। भू-दान में दी हुई सम्पत्ति का भी यही हाल है। चकबन्दी, हदबन्दी, ऊसर, ताल-तलैया जो निकाली गई है उनका भी कोई हिसाब नहीं है। उसी तहसील के रहने वाले सम्पूर्ण कर्मचारी तहसील स्तर के उसी तहसील में रखे जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। मैं यह नहीं कहता कि उस क्षेत्र के रहने वाले को मौका न मिले लेकिन जो नियम है, 3 साल के बाद उनका तबादला हो जाने का, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

शोहरत बहुत है कि हरिजनों को भूमि बाँटी गई है। आपके पास भूमि का कोई हिसाब ही नहीं है कि कितनी निकाल दी गई, कितनी शेष है, कितने अनधिकृत लोगों के कब्जे में है कितने पाने के अधिकारी व्यक्ति शेष हैं।

मान्यवर, सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम कोई भी शिकायत या सुझाव शासन के सामने रखते हैं तो वह सुझावों और शिकायतों की जाँच उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाती है जिनकी रोज शिकायत होती है। यह पद्धति बिल्कुल बदल जानी चाहिए। प्रान्तीय स्तर से कोई एक ऐसा सेल गठित हो जो हम लोगों के द्वारा जनता के द्वारा आने वाली शिकायतों को सीधे यहाँ से जाकर जाँच करे, तब सही बात का पता चलेगा। मान्यवर, इतना ही नहीं सारे रिकार्ड तहसीलों के बदल दिये गये हैं। 2 का 3 बनाया

गया, जीरो का 3 बनाया गया, जीरो का एक बनाया गया, बीच में जीरो रख दिया गया, किनारे जीरो बना दिया गया। इस प्रकार सारे रिकार्ड गड़बड़ हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि तहसीलों के रिकार्ड ठीक कराने के लिये प्रान्तीय स्तर पर एक सेल गठित करें और उससे जांच करायें। इस प्रकार सही बात का पता चल जायेगा कि किस प्रकार का घपला माल विभाग में मचा हुआ है।

चकबन्दी के बारे में कहूंगा, मान्यवर। एक एक गांव में 13-13, 14-14 साल से चकबन्दी चल रही है। अभी तक दफा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ। जब उसकी शिकायत की जाती है कि कारण क्या है तो कोई कारण पता नहीं चलता। बड़े-बड़े लोग पैसा देकर कर्मचारियों को भ्रष्ट करके कार्य रोके हुये हैं जिससे जो जमीन अधिक निकल कर गरीबों के साथ में जाने वाली है उसे न जाने दिया जाय।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो पटवारी है जिसे हम लेखपाल कहते हैं, वह इतना स्वतंत्र हो गया है कि आज यदि यह कहा जाये कि जिलाधिकारी के बाद लेखपाल का ही दर्जा सबसे बड़ा है। जो भी रिपोर्ट लेखपाल दे दे वह जिलाधिकारी मानेंगे और सरकार भी उसका समर्थन करेगी। इन बातों को सुधारना चाहिये जिससे समाज का कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, रेवेन्यू विभाग को जब हम देखते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मान्यवर—

रंगे महफिल देखने होस में आये थे हम,
होस तब उड़ने लगे रंगे महफिल देखकर।

सारे सर नीचे हो जाते हैं जब तहसील के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आप भी पहुंचते होंगे, हमारे और भी सदस्य पहुंचते होंगे। गांव का किसान मजबूर है जो काम के लिये जाता है, सारी नौबत हो जाती है उसकी। क्या कहें। लोग कहते है, कोई ब्रेक नहीं है, आई० ए० एस० हमारे अधिकार में नहीं है। तहसीलदार उनके मातहत ह, तहसीलदार को वह लिफ्ट देते हैं। अगर हम कोई शिकायत करते है तो तहसीलदार कभी यह जबाब नहीं देते कि हमारे लेखपाल ने, कानूनगो ने कोई गल्ती की हैं, उस पर जो आरोप लगाये गये हैं वह सत्य हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, मैं आपको बताऊं रोशनलाल नाम का एक कानूनगो था वह कहता था कि वह राजस्व मंत्री जी की तहसील का रहने वाला है। जब भी कोई गड़बड़ी होती वह कह देता मैं राजस्व मंत्री की तहसील का हूं। अब मंत्री का मुकाबला कौन करता, सभी डर जाते, मैं भी डर जाता था। मुझ में तो हिम्मत नहीं है राजस्व मंत्री जी का मुकाबला करने की।

एक दिन मंत्री जी आये थे। ए० डी० एम० भी बैठे थे। ए० डी० एम० साहब ने कहा आपकी तहसील में एक बाँके लाल है। इतना कहना था कि मंत्री जी उबल पड़े कहने लगे—हाँ बेईमान है, उसकी बड़ी शिकायतें हैं, उसका मकान देखो-कितनी बड़ी हवेली बना

*नफ्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह]

रखी है, उस बेईमान को बन्द कर देना चाहिये। वह आज भी नहीं बन्द हुआ। जाटव एक व्यक्ति था, उसे कब्जा दिलाने के लिये 125 रुपये लिये। उसने किसी प्रकार अपने बर्तन गिरवी रख कर 125 रुपया इकट्ठा किया उसने यह भी कहा कि आप देख सकते हैं कि मैने फलाँ-फलाँ के यहाँ बर्तन गिरवीं रखे हैं। मैंने भी लिखा था उसके लिये उसने कहा कि आप भी लिख कर दीजिये तो मैंने लिख दिया कि मेरे सामने बयान दिया है और लिख कर दिया है। लेकिन आज के दिन तक उस रोशन लाल के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। मैंने पूछा कि उस जाटव ने मेरे सामने बयान दिया था, उसमें क्या हुआ तो कहा गया कि तहकीकात हो रही है, मालूमात कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ रहा है। जनता पार्टी की इमेज गिर रही है, सब लोग जानते हैं। जो छीछालेदर हो रही है, माफ कीजिये इनकी 30 साल में नहीं हुयी जो हमारी इन तीन सालों में, जो पूरे नहीं हुये हैं, हो रही है। मेरा सुझाव है कि यदि तहसीलदार के संबंध में एम0 एल0 ए0 कोई शिकायत करता है तो उसकी जाँच होनी चाहिये और जाँच करके बताया जाना चाहिये कि क्या कदम उठाये गये हैं।

लेखपालों की भर्ती की जा रही है। आज बहुत से लेखपाल है जिनको गुनियाँ लगाना नहीं आता है। एक गठ्ठा कभी इधर नाप देते है और 2 गठ्ठे कभी उधर नाप देते हैं। पूछो तो कहते हैं साहब कभी कभी गुनिया चल जाती है। आपके जो चकबन्दी के लेखपाल और अधिकारी हैं और जो रेवेन्यू के हैं तो अगर इनको दोनों को मिला दिया जाय और आपस में ट्रांसफर होने लगें तो आपको सुधरे और जानकार अधिकारी मिल सकेंगे। लोगों में प्रोत्साहन होगा कि अगर हम ठीक काम करेंगे तो ट्रांसफर हो सकता है। चौधरी चरण सिंह के जमाने में कुछ तय किया गया था कि 25 फीसदी नायब तहसीलदार लेंगे, 50 फीसदी लेखपाल लेंगे। तो उनकी मेहनत और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि रेवेन्यू और चकबन्दी के अधिकारियों, कर्मचरियों को आप मिला दें।

अभी माननीय राजस्व मंत्री फरमा रहे थे कि तहसील वगैरह बनाने पर 50-60 लाख का खर्च होगा। बिहार में आप देखें वहाँ पर तहसीलदार है ही नहीं। आपकी तहसील में दो तीन ब्लाक होते हैं अगर आप ब्लाक को तहसील मान लें और बी0 डी0 ओ0 को तहसीलदार मान लें तो आपको आसानी हो जायगी, कार्य भी सही तरीके से होगा। होता यह है कि, मेड़बन्दी की दरख्वास्त कौन देता है, कमजोर आदमी देता है। ताकतवर आदमी जब तक उसकी 1/4 जमीन नहीं ले लेता है, तब तक मेड़बन्दी नहीं होती है। इसी तरह से बंटवारे की दरख्वास्त कमजोर आदमी देता है, गरीब आदमी देता है लेकिन जब तक उसकी 1/4 जमीन बिक नहीं जाती है, बंटवारा नहीं होता है। तो अगर आप ब्लाक को तहसील कर दें तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। आपके पास पुराना कानून है, कहीं आगजनी हो जाय तो कलेक्टर के पास केवल 25 रुपये देने के लिये होते हैं। जो पचास साल पहले का कानून है वह चला आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)---

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसमें परिवर्तन लायेंगे और जो ढांचा पुराना चला आ रहा है उसको बदलेंगे। अगर आप उन्हीं नक्शे कदम पर चलेंगे तो आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी। कुछ मेहनत मंत्री जी करें और कुछ मेहनत अधिकारियों को करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे तो यह तस्वीर बदल सकती है, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राजस्व विभाग के ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो किताब मिली है उसके दूसरे पन्ने पर, "कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन", जो लिखा है उसमें बताया गया है कि 75–76 में एक अभियान चलाया गया था जिसमें 17,52,957 व्यक्तियों को 6,89,498 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। तो इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस के सेवा काल में जो भूमि का आवंटन हुआ था उसके बाद कोई भी भूमि का आवंटन जनता सरकार के समय में नहीं हुआ है बल्कि जनता सरकार ने यह काम किया है कि 1,00,710 व्यक्तियों को 22826 हेक्टेयर जमीन से बेदखल कर रहे हैं जिसमें 27 हजार पट्टे निरस्त हो चुके हैं। इन व्यक्तियों को कांग्रेस सेवा काल में जमीन दी गयी थी। इसमें मैं जानकारी देना चाहता हूं कि रायबरेली में सलोन तहसील में ऊंचाहार ब्लाक में ऐसे लोगों के पट्टे निरस्त किये गये हैं जो उस जमीन पर खेती करना शुरु कर दिया था और वह हरिजन थे। यह पक्षपात का काम हुआ है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरह के आन्दोलन को कुचलेगी जिससे कि गरीबों का नुकसान होता हो। इस सरकार से मैं आशा करता था कि यह क्रांति का काम करेंगे लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं किया है। मान्यवर, बकायेदारों को तंग किया जाता है और जेलों में बन्द कर दिया जाता किसान पैसा नहीं जमा कर पाता है इसके माने वह ऐय्याशी नहीं कर रहा है बल्कि उसके ऊपर कोई विपत्ति आने पर ही वह नहीं जमा कर पाता है इसलिये निवेदन है कि ऐसे लोगों को जेलों में बंद न किया जाय क्योंकि जेलों में बंद करने से पैसा वसूल नहीं होता है। इसलिये यदि सरकार कोई ऐसा क्रांतिकारी काम करे तो मैं उसके लिये धन्यवाद आपको दूंगा।

मान्यवर, लगान मार्च, 1977 में कांग्रेस के समय में ही घोषणा की गयी थी कि पुराना लगान ही लिया जायेगा, सभी ने उसको माना भी था, चूंकि उसको दुगुना और तिगुना कर दिया गया था, लेकिन जनता सरकार के आने के बाद भी वह बढ़ा नहीं रखा है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सदन का अपमान हुआ है क्योंकि फैसला लेने के बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ है अतः पुराना लगान ही रखा जाय। इसके अलावा, मान्यवर, गांव का आदमी लगान देता है, रसीद मिलती है। लेकिन हमारे पास ऐसे तमाम लोग आते हैं जिनसे पुराने दो तीन साल पहले का लगान मांगा जाता है। हमने रायबरेली में डलमऊ तहसील में ऐसे कई लोगों की दरख्वास्त पर उनको रसीद दिलवाया है और ऐसे भ्रष्ट लोगों को सस्पेन्ड करवाया लेकिन आपके समय में ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। लगान दे देने के बाद लगान को ठीक से चढ़ाया नहीं जाता है इसलिये निवेदन है कि जो लोग इस काम में ढिलाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त सजा रखें। क्योंकि जब किसान लगान नहीं द पाता तो उसको जेलों में बन्द करवाते हैं किन्तु जो अमीन लगान नहीं चढ़ाते हैं उनके खिलाफ आपने क्या किया, उनको भी जेल में बंद करवाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी]

मान्यवर, रायबरेली में शारदा नहर निकली। मैंने यहां सवाल किया था कि उन लोगों का लगान माफ किया जाय जिनकी जमीन नहर में पड़ गयी है। नहर खोदी गयी, पानी आया लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला और साथ ही लगान भी नहीं काटा। इसलिये निवेदन है कि जब किसान की जमीन ली जाय तो उसके पहले उसका लगान कट जाय, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। मान्यवर, एक छोटी सी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, दैवी आपदाओं में पैसा बंटता है। इसके बारे में काफी शिकायत है। हमारे रायबरेली में बाढ़ का पैसा बंट रहा था। एक मंत्री जी गये और उनके पीछे दो-तीन मन्त्रियों का कारवां गया। वहां पर छोटे-छोटे लड़कों को चना लाई बांटी गयी और उन बच्चों से जनता पार्टी की जय बोलवाई गयी। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह दैवी आपदाओं का पैसा पार्टी के प्रोपेगंडा में न खर्च किया जाय बल्कि जो इसके हकदार हैं, उनको यह पैसा दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मुझको नहीं मौका दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

जो लोग नहीं बोले हैं, पहले उनको अवसर दिया जायेगा।

श्री मान सिंह आजाद--

मान्यवर, कोई रूलिंग दिखा दें कि इस तरह का कोई नियम हो। उसमें तो है कि जिस पर आपकी आँख पड़ेगी, उसको मौका देगें और मैं आपके सामने खड़ा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह से नहीं। कृपया आप बैठ जायं।

श्री ओसान सिंह (जिला इटावा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं राजस्व विभाग के प्रस्तुत अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, जो बजट के आँकड़े दिये गये हैं, इसमें दिया गया है कि हरिजनों को बहुत बड़े पैमाने पर आवंटन हुआ और जमीन पर कब्जा दिलाया गया। हमारी तहसील में 20,000 पट्टों का आवंटन हुआ और उनमें 2000 से ज्यादा पट्टों पर हरिजनों को कब्जा नहीं मिल पाया। इस संबंध में बड़े पैमाने पर हरिजनों को शिकायत है। मान्यवर, एक तरफ तो इस तरह की शिकायत है और दूसरी तरफ हमारी सरकार झूठे आँकड़े दे रही है? बड़े पैमाने पर लेखपालों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। लेखपालों की पूरी सर्विस निकल गयी, लेकिन वह अपने घर पर ही तैनात हैं। राजनीति में भाग लेते हैं, घेराबन्दी करते है और पूरे प्रशासन को पंगु बना देते हैं। कहने के लिये लेखपाल एक छोटा कर्मचारी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, मान्यवर, कहना चाहता हूं कि समाज का सबसे बड़ा शोषक अगर कोई है, तो वह लेखपाल ही है। 90 प्रतिशत जमीन संम्बन्धी झगड़े लेखपाल कराता है। एक हमारे मित्र ने कहा कि लेखपालों की तनख्वाह बहुत कम है। मान्यवर, आप जाँच करा लें कि कितनें लेखपालों के बड़े बड़े आलीशान मकान बने हैं। अगर तनख्वाह कम है, तो बड़े-बड़े आलीशान बंगले और लाखों रुपयों की सम्पत्ति कहाँ से एकत्रित कर ली? इस संबंध में पूर्व राजस्व श्री जी ने इस किस्म के आदेश भी किये थे कि लेखपालों का उनकी तहसील के बाहर स्थानान्तरण कर दिया जाय, लेकिन, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं हुआ। किसानों का शोषण और खून चूसने वाला अगर कोई विभाग है, तो वह राजस्व विभाग है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 30 वर्ष हो गये लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसमें, मान्यवर, परिवर्तन की आवश्यकता है। आई० ए० एस० अफसर, जो गाँवों में जाना नहीं चाहते हैं, गाँव की समस्याओं से वाकिफ नहीं

हैं, उनके हाथों में क्यों गाँव के गरीबों का भविष्य सौंप रखा है। जिसे गाँव की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं है। तहसीलों में जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उससे हम लोगों का सिर नीचा होता है। विरासत के मुकदमों में और खसरा और खतौनी की नकल देने में लेखपाल बड़े-बड़े घाटाले करते हैं और बड़ी-बड़ी रकमें लेते हैं। चकबन्दी का तो कहना ही क्या है, करोड़ों रुपये की रिश्वत चकबन्दी विभाग के लोग ले रहे हैं। जिस जिले के रहने वाले कर्मचारी हैं, उसी जिले में तैनात हैं। मैं चाहूंगा कि चकबन्दी के अधिकारियों को कम से कम जिले के बाहर तैनात किया जाए। मेरे पूर्ववक्ता श्री बाबू सिंह ने सुझाव दिया था कि तहसील स्तर के कर्मचारियों और चकबन्दी कर्मचारियों का आपस में स्थानान्तरण होना चाहिए। मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं।

दैवी आपदाओं के मामले में, इसमें कोई शक नहीं कि विगत 30 सालों में जब सूखा आया है और बाढ़ आई है, कभी भी काँग्रेस सरकार ने इतनी सहायता नहीं दी है जितनी हमारी जनता सरकार ने दी। लेकिन तहसीलों में दैवी आपदाओं से और बाढ़ से घर विहीन लोगों में जो पैसा बाँटा गया और खाद्यान्न बाँटा गया, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कराया जाए, जाँच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। मैं केवल अपनी तहसील का उदाहरण देना चाहता हूं। एक लाख 30 हजार रुपया बाढ़ सहायता का हमारे यहाँ का 31 मार्च को वापस कर दिया गया। अधिकारी बाँट नहीं सके। इस तरह से अधिकारी सक्षम हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

ओलाग्रस्त क्षेत्र में 30 गाँव हमारे ऐसे बरबाद हो गये हैंजहाँ अन्न का दाना नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं रह गया है लेकिन आज तक कोई सहायता कार्य नहीं हुआ। केवल 20-20 किलो गेहूं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे ओलाग्रस्त क्षेत्र जो हैं, वहाँ राहत कार्य शुरू किये जाएं और टेस्ट वर्क शुरू कराया जाए। मेरी मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसका काम तो ब्लाक वालों से होगा। ब्लाक वाले कहते हैं कि हमारे पास तो गल्ला ही नहीं है और हमारा टेस्ट वर्क का जो रेट है वह ढाई-तीन रुपये का है, यह रेट बहुत कम है, इस रेट को बढ़ाना चाहिए और राजस्व विभाग से टेस्ट वर्क होना चाहिए।

शासन का एक आदेश है कि परगनाधिकारी तहसील हेडक्वार्टर पर रहेंगे। इस संबंध में मैंने लिखित शिकायत भी शासन को दी और उसकी जाँच पूर्व राजस्व मंत्री जी के वक्त से चल रही है, मौजूदा राजस्व मंत्री जी के वक्त में वह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई और माननीय मंत्री जी ने उस पर आदेश भी किया कि परगनाधिकारी तहसील हेड क्वार्टर पर रहने चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह रहा हूं कि आज तक परगनाधिकारी तहसील हेडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं। रोजाना जीप से जिला हेडक्वार्टर पर आते हैं और अधिकाशत: जिला हेडक्वार्टर पर ही रहते हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी को भी गलत सूचना दी गई है कि उनके तहसील पर रहने की व्यवस्था कर दी गई है। अगर यह बात गलत हो तो माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जाँच करा लें। परगनाधिकारी डाक बंगले पर ठहरते हैं। उसमें उनकी हाजिरी होगी कि कब वह तहसील हेड क्वार्टर पर आये और कब गये और कितने दिनों वहाँ पर रहे। इस प्रकार शासन को झूठी रिपोर्ट दी जाती है और गुमराह किया जाता है.....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। श्री इन्द्रमणी बड़ौनी....

श्री औसान सिंह--

जनता पार्टी की इमेज को खराब किया जा रहा है। दुःखी मन से, अन्तरात्मा की आवाज के विपरीत मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया।

श्रीमन्, राजस्व मंत्री जो सुझाव दिये हैं या जो काम उन्होंने किये हैं उसके लिए वह भी बधाई के पात्र हैं। और मैं इस बजट का समर्थन करता ही हूं, लेकिन राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि वह हमारे पर्वतीय जिलों के लिए केवल राजस्व मंत्री ही नहीं है वरन पुलिस मंत्री भी हैं? क्योंकि पर्वतीय जिलों में सारा पुलिस का काम राजस्व विभाग का ही है।

श्रीमन्, हमारे यहाँ जो सब से छोटा कर्मचारी है वह पटवारी है। पटवारी ही लेखपाल का काम करता है, वसूल अमीन का काम करता है, पुलिस इन्सपेक्टर का काम करता है। लेकिन उसकी हालत यह है कि उसका वेतन सब से कम है, रहने के लिए जगह नहीं है। किसी आदमी को, मुल्जिम को पकड़ कर लाता है तो उसको कहाँ पर रखे उसके लिए एक समस्या हो जाती है। विशेष बात तो यह है कि उसको स्टेशनरी के लिए एक रुपया पचास पैसा मिलता है। आप सोचिये इस जमाने में एक आदमी को एक महीने काम करने के लिए स्टेशनरी के लिए इतना पैसा मिले इससे गलत काम और कोई नहीं है। जितने बी0 आई0 पीज0 जिले में आते हैं उनका सब का प्रबन्ध पटवारी करता है। मैं राजस्व मंत्री जी से मिला था और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन मेरी आप से प्रार्थना है कि आप ने पुलिस को भी सुविधायें दी हैं उसी तरह से पटवारी को भी सुविधा दी जाय। मैंने सारे बजट को पढ़ा है। उस में पुलिस को कितनी सुविधा दी गयी है। मेरा निवेदन है कि पुलिस को जिस प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं इनको भी उसी तरह से सुविधायें दी जायं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है जैसा कि आप ने कहा है कि तहसील बनाने में आप को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन समस्या यह है कि काम ब्लाक क्षेत्र में ही होना चाहिए चाहे नक्शे का हो, चाहे जमीन का हो। मैं आप को अपने क्षेत्र की बात बताता हूं। मेरे क्षेत्र में एक तहसील है देव प्रयागऔर चार ब्लाक हैं। ब्लाक जखोली देव प्रयाग से 150 किलोमीटर दूर है। इतना वक्त गाँव वालों को कहाँ मिलता है कि डेढ़ सौ किलोमीटर जा कर तहसील में काम करवाये जिससे कि काम होता नहीं है। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ब्लाक में एक नायब तहसीलदार होना बहुत जरूरी है।

तीसरी बात मैं बाढ़ के बारे में करना चाहता हूं। बाढ़ की समस्या उत्तरी भारत के लिए खतरनाक हो गयी है। गंगा, जमुना, घाघरा कोई भी नदी हो इनमें इतनी मिट्टी, पत्थर कंकड़ पहाड़ों से आ रहे हैं कि इनका स्तर ऊंचा हो गया है और अगर इनका स्तर जिस ढंग से बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़े तो इससे उत्तरी भारत के लिए खतरा होगा। बाढ़ के लिए टेम्पोरेरी रिलीफ दी जाती है और उसके लिये पहाड़ में बाढ़ आने पर 100 रुपये दिये जाते हैं लेकिन बाढ़ से उसका खेत तथा मकान हमेशा के लिये चला जाता है। यह खुशी की बात है कि जनता सरकार ने उत्तरकाशी अथवा अन्य जगहों पर बाढ़ का मुकाबला किया और काफी हद तक सहायता दी लेकिन इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में एक फ्लड रिलीफ कमेटी बना दी जाय और वह स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में जो उचित समझे उसके मुताबिक सहायता दे। इसके साथ ही दर की बात है। पर्वतीय जिलों में पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल में अलग-अलग दर है। जौनसार भाबर

के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। देहरादून के नीचे जो मैदानी इलाके की जमीन है वह दर जौनसार भावर के लोगों पर भी है। इसके साथ एक बड़ी बात यह है कि यह निश्चित हुआ था कि प्रत्येक किसान को जोत बही दी जायगी ताकि किसान को पता हो सके कि उसके पास कितनी जमीन है और उसको विकास के लिये कितना कर्ज मिल सकता है। उसे यह पता न होने पर पटवारी और तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। इसलिये उप मुख्य मंत्री जी प्रत्येक किसान को जोत बही दिलवा दें ताकि उसके पास हिसाब किताब रहे। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि अगर सारे प्रशासन को सुधारना है तो यह जरूरी है कि इस विभाग को अन्य विभागों से अधिक सहूलियत मिलना चाहिये ताकि वह ठीक ढंग से काम कर सके।

श्री अधिष्ठाता—

जो सदस्य पहले सामान्य चर्चा पर हिस्सा ले चुके हैं उनका भी नम्बर आयेगा।

ठाकुर मूलचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह भी आशा करता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस विभाग को बड़े जोरों के साथ संभालेंगे। इस विभाग में जो अनियमितताएं चल रही हैं मैं आशा करता हूं उनको वे दूर करेंगे। सबसे पहले में यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले के अन्दर राजस्व विभाग के प्रशासन मे कोई प्रगति नहीं हुई है। डी0 एम0 को पावर्स दी गयी है जिले में सारे राजस्व के सम्बन्ध में अगर वह अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर पाता है। आज समस्या प्रत्येक जिले की यह है कि भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल रही है। मैं कभी-कभी सोचा करता था कि हरिजन अधिकारी शायद कब्जा दिलवा सकेंगे, लेकिन अपनी तहसील में मैंने देखा कि वे दूसरे अफसरों से भी बदतर साबित हुए। मेरी तहसील के सभी अधिकारी हरिजन हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन वे समस्या का निवारण नहीं कर सके। अफसरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हरिजनों की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है और ज्यादातर कब्जे कागज पर तो दिला दिये गये हैं, लेकिन वास्तव में उनको कब्जा मिला नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू विभाग तथा पुलिस में कोआर्डिनेशन इस प्रकार होना चाहिये, ताकि एस0 डी0 एम0 या डी0 एम0 जो आदेश दें पुलिस उनको निभाये।

एक बात मैं कहूंगा जब तक हमारे प्रदेश का विभाजन नहीं होगा तब तक यहाँ की हालत ठीक नहीं हो सकती। उसका श्रीगणेश मैं चाहता हूं कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब करें जो पश्चिमी जिलों के रहने वाले हैं। हमारे पड़ोस में हरियाणा प्रदेश है उसका इन्तजाम कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा प्रदेश इतना बड़ा है जिससे लोगों की समस्यायें यहाँ नहीं सुलझ सकतीं। मंत्री महोदय के पास इतने लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच जाते हैं जिससे वे उन पर विचार तक नहीं कर सकते। इसी तरह से ग्राम लेविल पर पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सेवक तथा लेखपाल हैं और अलग-अलग उनके काम हैं और कोई काम अपनी जगह पर ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इन तीनों को एक कर दिया जाय और जिस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में एक लेखपाल कई तरह के काम करता है, उसी प्रकार सारे उत्तर प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी प्रत्येक ग्राम में सारे काम करे तभी समस्याओं का हल हो सकेगा।

[ठाकुर मूलचन्द्र]

इसके अलावा जो अन्त्योदय का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। रेवेन्यू विभाग के लोग भी उसमें भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और विशेषकर बैंक सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है। जब तक बैंक मैनेजर को रिश्वत नहीं मिल जाती है तब तक वह अन्त्योदय के कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिये तैयार नहीं होता है। ग्राम मवीसा, ब्लाक कांदला, जिला मुजफ्फरनगर में यूनाइटेड कामर्शियल बैंक का मैनेजर इतना भ्रष्टाचारी है कि वह पैसे लिये बगैर कोई कार्य नहीं करता। इसकी सूचना उप मुख्य मंत्री को भी दी गयी और जिला अधिकारी ने भी इस बारे में लिखा है। लिहाजा उस बैंक मैनेजर को वहाँ से हटा दिया जाय तभी वहाँ अन्त्योदय का कार्यक्रम कामयाब हो सकेगा। मुझे यह कहना है कि जनता सरकार से उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। एक डिफेक्ट मैं यह समझता हूं कि जो आदेश दिये जाते हैं उनका एक्जीक्यूशन नहीं किया जाता है। इस तरफ नहीं देखा जाता है कि कौन अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। यदि इस ओर ध्यान दिया जाय और जो एक सिस्टम बनाया हुआ है उसकी तरफ ध्यान देकर उसका एक्जीक्यूशन किया जाय तो मैं समझता हूं कि सारी कमियाँ दूर हो सकती हैं और जनता सरकार का मैनिफेस्टो लागू हो सकता है। अतः मैं जनता सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने वायदे किये थे उनके अनुसार ही कार्य करें न कि काँग्रेस ने जो पालिसी बनायी हुई है बाबा आदम के जमाने की, उसी रास्ते पर न चलें। इसके साथ ही मैं इसका समर्थन करता हूं।

(श्री राम रतन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है। क्या आपके पास कोई सूची है पहले से जिसके अनुसार आप माननीय सदस्यों को बुला रहे हैं या स्वविवेक से काम कर रहे है?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

सूची सहायता के लिये होती है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि वे सदस्य जिन्होंने सामान्य चर्चा में भाग लिया है उनके अतिरिक्त जो नये सदस्य हैं और जिन्होंने माग नहीं किया है उनको पहले समय दिया जायेगा.....

(व्यवधान)।

श्री जसवीर सिंह—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप उस सूची से काम ले रहे हैं या स्वविवेक से...

श्री अधिष्ठाता—

पीठासीन अधिकारी स्वविवेक से ही काम लेता है। आपका भी नाम उनमें है जो चर्चा में भाग नहीं लिये हैं। आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मुझे भी समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय सुरक्षित है।

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे राजस्व सम्बन्धी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, मिश्रा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश का राजस्व विभाग सबसे सबल और सशक्त विभाग है। जो काम कोई विभाग नहीं कर पाता है वह इस विभाग के सुपुर्द किया जाता है और इस विभाग द्वारा ही उन कामों को पूरा कराया जाता है। यह भी सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश में भूमि के सम्बन्ध में अनेकानेक कानून हैं, बहुत सी विधियां है जिनमें एक दूसरे को लेकर भ्रम सा रहता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर मांग की जाती रही है कि इन कानूनों का एकीकरण किया जाय, संकलन किया जाय ताकि जो-जो समस्यायें हों, उनका निराकरण हो सके। मैं सरकार के राजस्व संहिता निर्णय का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्षों से की जाती रही मांग को स्वीकार किया है और राजस्व संहिता बनाने का निर्णय लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व संहिता बनेगी जिसके जरिये बहुत से भ्रम और कानूनों के कंट्राडिक्शन दूर हो जायेंगे। कभी-कभी हम यह आभास करते हैं हमारे बनाये कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एस0 डी0 एम0 जो माल का जिम्मेदार अधिकारी होता है और अगर वह राजस्व विभाग के अन्तर्गत न हो तो कैसे कार्यान्वयन कराया जा सकेगा, यह विचारणीय विषय है। बहुत दिनों से यह मांग रही है कि जो उनके करेक्टर रोल और ट्रांसफर आदि है वह राजस्व मंत्री के अन्तर्गत हो। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका वास्ता न रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री के अंडर में वह रहेंगे तो जो विभागीय आदेश होंगे उनको कार्यान्वित कराने में उनको सुविधा मिलेगी।

एस0 डी0 एम0 को आदेश हैं कि उनका निवास तहसील हेड क्वार्टर पर रहेगा लेकिन तहसील पर कोई एस0 डी0 एम0 नहीं रहते। वह प्राय: डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। इससे काम में बड़ी असुविधा होती है और सरकारी आदेश की जो मंशा है वह भी पूरी नहीं होती दूसरी तरफ शासन पर दोहरा खर्च भी पड़ता है। सरकारी जीप और सरकारी साधनों का इस्तेमाल अनावश्यक रूप से किया जाता है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दाखिल खारिज के मुकदमों की ओर दिलाना चाहते हैं। हजारों की तादाद में दाखिल खारिज के मुकदमें तहसीलों में पड़े हुए हैं जब तक कोई साँठगाँठ नहीं होती, तब तक उनका निर्णय नहीं होता है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि वह भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि दाखिल खारिज के मुकदमों के संबंध में कोई आदेश करें कि दाखिल खारिज के मुकदमें एक निश्चित अवधि के अन्दर निर्णीत कर दिये जायं।

(इस समय 2 बजकर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

एक बड़ी समस्या किसानों की भूमि के डिमारकेशन की है। किसान भूमि को नाप कर एलाट करने के लिए कहता है, लेकिन जब तक लेखपाल राजी नहीं होता तब तक उसकी नाप नहीं होती है। बार-बार एस0 डी0 एम0 के पास लोग जाते हैं और वह आदेश कर देता है कि तत्काल भूमि की नाप कर दी जाय, लेकिन लेखपाल जब तक नहीं चाहता है तब तक नाप नहीं होती है। डिमारकेशन की एप्लीकेशन कमजोर आदमी करता है कि हमारी भूमि का डिमारकेशन कर दिया जाय। लेकिन वह समय पर नहीं होता है। इसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन केसेज के निस्तारण के लिए समय तय कर दें कि इतनी अवधि में केस तय हो जाने चाहिये।

[श्री राम रतन सिंह]

एक और समस्या वसीयत की है। अगर किसी का एक लड़का है और वह नहीं रहा तो उसकी वसीयत वर्षों तक लेखपाल नहीं करता है। जहाँ पर वारिशों का विवरण ठीक नहीं है वहाँ पर तो कुछ समय लगना ठीक भी है, लेकिन जहाँ पर विवरण ठीक है उसमें नाम दर्ज करने की अवधि निश्चित हो जानी चाहिये। अगर लेखपाल उस अवधि के अन्दर वारिश का नाम दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए।

मान्यवर, प्राकृतिक प्रकोपों के संबंध में, आगजनी और बाढ़ आदि के विषय में विधान सभा का काफी समय खर्च होता है। लेकिन इसके लिए सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। इसके लिए निश्चित नीति होनी चाहिये। कभी जिलाधिकारी कहता है कि हमारे पास पाँच सौ रुपया है और कभी कहता है कि ढाई सौ रुपया है। हम जानते हैं कि मंत्री जी की ओर से कोई कंजूसी नहीं है जैसा कि उन्होंने बजट में धनराशि उपलब्ध कराई है। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि जब-जब आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति जिलाधिकारी समय पर नहीं करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन कोई ऐसा निर्णय ले कि कहाँ पर किस तरह से क्या मदद करनी है और उसके लिए इतनी धनराशि मुहैया कराई जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 115 (सी) के मुकदमों के अन्तर्गत किसानों पर भारी-भारी जुर्माने की रकम पड़ी हुई है। 1975 में एक किताब छपी थी "उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था समिति द्वारा कृषि भूमि आवंटन की पद्धति एवं कार्यान्वयन हेतु शासनादेश" इसके पृष्ठ 13 में स्पष्ट लिखा है कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठकों में सभी ग्रामवासी बुलायें जायेंगे। इस बात का विशेष प्रचार किया जायेगा कि अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्ति स्वेच्छा से अपना कब्जा छोड़ दें, ऐसी दशा में उनसे केवल यह लिखा लिया जाएगा कि उन्होंने अपना कब्जा छोड़ दिया है और उनके विरुद्ध बेदखली और हर्जाना लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।" इस स्पष्ट आदेश के बावजूद हमारे यहाँ केवल तहसील मिश्रिख में, मेरे अनुमानानुसार जिन-जिन लोगों से लेखपाल नाराज थे, उन पर 115–सी के मकदमे चला दिये और लाखों रुपया गरीब किसानों पर जुर्माना हो गया और चार साल तक वह जुर्माना वैसे ही पड़ रहा। मेरे पास इस संबंध में 10 जजमेन्टों की नकलें है, मंत्री जी चाहेंगे तो उन्हें दे दूंगा। इनमें साफ तौर पर 115–सी के मुकदमें में आदमी को बुलाया गया, उसने सफाई दी कि मैंने ग्राम समाज की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है, इतने पर तहसीलदार ने उसे घर वापस भेज दिया और वह समझा कि उसे मामले से छुटकारा मिल गया। एक ही तारीख में हजारों नहीं लाखों मुकदमों का निपटारा हो गया। उन सब जजमेन्ट्स में यह लिखा है कि उसने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लिया है और यहाँ उसका कहना है कि उसने ऐसा कोई कब्जा नहीं किया है, फिर भी वह कहते है कि चूंकि लेखपाल की रिपोर्ट है, इसलिए इन पर इतना रुपया जुर्माना किया जाता है। आज कल हमारे यहाँ बड़ी सख्ती से इन जुर्मानों को वसूल किया जा रहा है, जिसे वह कर्जा आदि लेकर किसी तरह अदा कर रहे हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि वह सहानुभूतिपूर्वक मेरे यहाँ के इन जुर्मानों को देखवा लें और उनकी वसूली स्थगित करवाने की कृपा करें, उनको माफ करवा दें। मुझे ऐसा लगता है कि यह समस्या हमारे यहाँ की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। जब अमीन जुर्माना माँगने जाता है तभी किसान को पता चलता है।

एक निवेदन और है, भूमि प्रबन्ध समिति के अभिलेखों की बात बहुत साफ है कि ग्राम प्रधान के पास उसका लेखा जोखा रहेगा। लेकिन हम सब विधायकों को बहुत अच्छा अनुभव है कि हमने आज तक किसी ग्राम समाज के प्रधान के पास उसके यहाँ की जमीन का लेखा जोखा देखा नहीं है। आवश्यकता है कि ग्राम प्रधान को बताया जाए कि उसके यहाँ

कितनी जमीन है। भोले-भाले प्रधान लेखपाल में विश्वास करते हैं और वे उनसे सादे कागज पर दस्तखत करा लेते है, जिससे पट्टों में हेराफेरी तथा दूसरे तमाम किस्म की गड़-बड़ियाँ वह किया करते हैं। इस संबंध में भी मंत्री जी कोई तत्काल आदेश दें जिससे ग्राम समाज की भूमि का लेखाजोखा ग्राम प्रधान के पास रहे, जिसे समय पर देखा जा सके। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी मेरे सुझावों और मेरी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक अवश्य विचार करेंगे।

श्री जसवीर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, देश और प्रदेश में 1977 में अहिंसक क्रान्ति आयी और पुरानी कांग्रेसी सरकार को हटा कर जनता पार्टी की सरकार आयी। . . (व्यवधान) . . यह क्रान्ति ही है। उस क्रान्ति में श्यामधर जी आप कुछ कांग्रेसी ही जीत कर आये हैं। वैसे क्रान्ति तो है ही। मान्यवर, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भूमि सुधारों के बारे में बहुत कही थी। लेकिन जितनी आशा की जाना चाहिए, उतनी जोर से भूमि सुधारों के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका इस प्रदेश की जनता और खास कर ग्रामीण जनता को अहसास भी है और दुख भी है।

हर साल बाढ़ की विभाषिका से लाखों गाँव जलमग्न होते हैं। कहीं सूखा पड़ता है। मैं ऐसे क्षेत्र से चुन कर आया हूं, जिला एटा के पटियाली क्षेत्र से, जो काफी पिछड़ा है, प्रशासन और हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर गंगा नदी के प्रकोप से हजारों गाँव और मवेशी बह जाते हैं। लेकिन शासन की तरफ से जितना प्रयास होना चाहिए, लोगों को जितनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी, उतनी दी नहीं जाती है, बल्कि कागज पर ज्यादा लिखी जाती है। मेरे पटियाली क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ यातायात के साधन नहीं है। गंगा पर 100 गाँव हैं जहाँ पर तहसील के तथा जिला स्तर के अधिकारी पहुंच नहीं पाते। नावों के द्वारा जाने में बरसात में अधिकारियों की हिम्मत नहीं पड़ती, तो आर्थिक सहायता का कार्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए तो वहाँ आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके लिए विगत एक डेढ़ साल से मैं लिखता चला आ रहा हूं। लेकिन अफसोस है कि वहाँ जितनी सुविधा और राहत दी जानी चाहिये उतनी नहीं पहुंच पायी। पटियाली विधान सभा क्षेत्र में 1969 से जब चौधरी चरण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और संविद सरकार थी तब से पटियाली तहसील बनाने की माँग बड़े जोर से चली आ रही है। राजस्व परिषद ने और इस शासन ने आज्ञा दी कि पटियाली को तहसील बनाने के वास्ते आख्याएं माँगी जायें। पता नहीं वह आख्या राजस्व परिषद और शासन के पास आयी हैं या नहीं। मैंने कई दफा शासन को लिखा भी।

बदायूं बार्डर, शाहजहाँपुर बार्डर से लगे मेरे क्षेत्र के गाँव के लोग चार-चार दिन पैदल चल कर आते हैं। कासगंज और अलीगंज तहसीलों के बीच में कोई जगह नहीं है जहाँ तहसील हो। चार-चार दिन में लोग तहसील अलीगंज नहीं पहुंच पाते। गरीब जनता को न्याय पाने के लिए तहसील स्थान इतने दूर हैं कि उनको पहुंचने में बड़ी मुश्किल है, खास तौर से बरसात के दिनों में। मैंने माननीय मंत्री जी और राजस्व परिषद के चेयर मैन से भी बात की। उन्होंने कहा है कि कार्यवाही करेंगे। लेकिन अब क्या कार्यवाही हुई। इस सम्बन्ध में मुझे नहीं मालूम। शासन को इस बारे में सजग होना चाहिए।

[श्री जसवीर सिंह]

सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये जो क्षेत्रीय जनता की आकाक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं होती। तहसील हेडक्वार्टर पर पहुंचने में चार-चार दिन लग जाते है। फिर भी यह कह कर टाल दिया जाना कि रुपये की कमी है, इसलिए नया तहसील हेडक्वार्टर नहीं बन सकता, उचित नहीं है। जनहित को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नई तहसीलों का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है ताकि प्रशासन में गत्यात्मकता लायी जा सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पटियाली को तहसील मुख्यालय बनाया जाये। चकबन्दी मेरे जिले में हुई, लेकिन वह काफी पहले शुरू हुई थी। मैंने माननीय मंत्री जी का एक भाषण सुना कि जहाँ पर चकबन्दी 10–15 साल पहले हुई थी और अगर वहाँ पर त्रुटियाँ है और चक टेढ़े-मेढ़े रह गये है तो दुबारा चकबन्दी की जायेगी। मैंने कई बार लिख कर दिया कि कासगंज तहसील में दुबारा चकबन्दी करायी जाये। यह मामला चकबन्दी कमिश्नर के यहाँ पर भी विचाराधीन है। इस समय वहाँ पर फ्रैगमेन्टेशन आफ होल्डिंग्स है यानी भूमि बहुत बिखरी हुई। मौजा किसरौली भावर, नमेनी, विरोधी वगैरह-वगैरह में चकबन्दी दुबारा कराने की आवश्यकता है। चकबन्दी दुबारा यहाँ पर कराने से वहाँ की भूमि सम्बन्धी जितनी भी समस्यायें है वह समाप्त हो जावेंगी।

दूसरी बात मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि एस0 डी0 एम0 के यहाँ पर जो मुकदमें चलते हैं उनमें काफी बिलम्ब होता है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय जल्दी नहीं मिलता है तो उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है कि जनपद एटा में और पटियाली के पास नगला हंसी एक गाँव है जहाँ पर इतने भूमि सम्बन्धी मुकदमें चला दिए गये हैं जिससे वहाँ के किसान बहुत ही परेशान है। वहाँ पर भूमि की मिलकियत नहीं तय हो पायी है, किसकी प्रापर्टी है इसका पता नहीं चल पाया है। उन मामलों के बारे में भी मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है। नगला हंसी में लगभग 250 मुकदमें 115–सी के सन् 76 में एक्स पार्टी हो गये। उसके बारे में भी मैंने कहा, लेकिन तहसीलदार अलीगंज ने तजवीज सानी में उनमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। उनमें लगातार तारीखें पड़ रही हैं। इस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इनमें शीघ्रता करायी जाये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री मान सिंह आजाद---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी दो मिनट चाहता था। तो क्या मैं उम्मीद करूं।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दैवी आपदाओं की ओर ले जाना चाहता हूं। पिछली बाढ़ में हमारे जिले में बड़ी तबाही हुई। बाढ़ में प्रयोग करने के लिए नावे नहीं मिल पायी। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी कुछ नावे खरीद कर हर जिले में उपलब्ध करा दें, जिससे कि समय आने पर उनका प्रयोग किया जा सके, क्योंकि नावों को किराये पर लेने से काफी पैसा चला जाता है। बाढ़ एक साथ आ जाती है। लोगों के पास जो राहत के लिए सामान भेजा जाता है वह नहीं पहुंच पाता है।

अब मैं मान्यवर, आगजनी की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आगजनी से घर के घर तबाह हो जाते हैं। अगर चोरी हो जाती है तब तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घर में कुछ बच जाता है परन्तु अगर घर में आग लग जाती है तो कुछ भी नहीं बच पाता है। तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 के पास जो सहायता कार्य के लिए फन्ड होता है वह बहुत ही कम होता है। हमारे यहाँ पर 10 घर जल कर राख हो गये, कई बच्चे जल गये और कई जानवर जल गये। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर राहत का कार्य करवाये।

मान्यवर, हरिजनों को भूमि और मकान देने की बात कही गयी, काँग्रेसी शासन के जमाने में कब्रिस्तान, खलिहान आदि जगहों को हरिजनों को एलाट कर दिया गया और दिखा दिया गया कि इतनी भूमि एलाट हो गयी। आप इसका पता लगवावें, गाँव-गाँव में दुरुस्ती खड़ी कर दी गयी है। देखने में आता है कि सड़क बनाने के लिए या किसी स्थान पर पावर हाउस बनाने के लिए आप जमीन को एक्वायर करते हैं तो आप हरिजनों को भलाई के लिए, उनको आवास के लिए स्थान देने के लिए क्यों नहीं जमीन को एक्वायर करते हैं। आज पूरे प्रदेश में हरिजनों को तबाह किया जा रहा है और उनको लड़वाया जा रहा है। इससे आपस में झगड़े भी पैदा होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए गाँवों में जमीन एक्वायर करके मकानों के लिए जमीन दें।

अब मैं अपने जिले बस्ती की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि पहले भी कहा गया। आप इस जिले को जो बहुत बड़ा जिला है, 2 हिस्सों में बाँट दें।

जहाँ तक चकबन्दी का सवाल है वर्ष 1956 में प्रदेश में जिन 25 तहसीलों में चकबन्दी हुयी थी उनमें मेरी तहसील डुमरियागंज भी एक थी। इस तहसील में आज 10–10 और 12–12 चक एक एक आदमी के है। वहाँ पर सरयू कैनाल बन रही है। अगर वहाँ पर तुरन्त चकबन्दी नहीं होती है तो वहाँ के काश्तकार बरबाद हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तहसील में पुनः अगले वर्ष चकबन्दी करा दें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार के जमाने में सम्पूर्ण क्रान्ति की बात कही गयी, लेकिन उस क्रान्ति का एक भी लफ्ज इस 2 वर्ष के कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। आपके पास जो यह विभाग है आप इसके लिए नये कानून बनाइये क्योंकि यही एक चौखम्भे राज्य की पहली सीढ़ी है।

जहाँ तक हरिजनों को भूमि दिए जाने का प्रश्न है तहसील मलिहाबाद क्षेत्र में अभी तक भी उनको कब्जा नहीं मिला है। गाँवों में व तहसीलों में कोई दफ्तर नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि ब्लाक में एक रजिस्टर होना चाहिए जिस पर लेखपाल रोजाना दस्तखत करें क्योंकि कहीं पर भी उनकी हाजरी दर्ज नहीं होती है, वह होनी चाहिए। उस रजिस्टर में यह भी अंकित रहना चाहिए कि वे किस क्षेत्र के किस-किस गाँव में गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मान सिंह आजाद]

जहाँ तक चकबन्दी का प्रश्न है उसके बारे में फैसले गाँवों में ही होने चाहिए। यह नहीं कि दफ्तरों में बैठकर हों। जब विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे तभी फैसला कर सकेंगे। एक बात मुझे और यह अर्ज करनी है कि बख्शी का ताल मलिहाबाद में आता है। वहाँ के लोगों को लखनऊ से होकर उस तहसील में जाना पड़ता है जबकि लखनऊ तहसील उनके बहुत पास है। देखने में आया है कि अंग्रेजी और कांग्रेस के शासन काल में जो कानून थे वे ही चले आ रहे हैं। इसे सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं माना जायगा। हमारे विधान में लिखा है कि हमको आन्दोलन करने का अधिकार है तो मैं आन्दोलन जन किसानों के साथ करूंगा। इस विधान सभा में आन्दोलन करने का मैं एलान करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने एक बुनियादी बात लेखपालों की संख्या बढ़ाने की कही है, मैं इसका स्वागत करता हूं, काम को देखते हुए उनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिये, लेकिन कुछ गम्भीर समस्यायें हैं जिनकी ओर मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश में बहुत से ऐसे अनट्रेन्ड लेखपाल हैं जो 25–25 वर्षों से काम कर रहे हैं। वे आज भी अस्थायी हैं, उनको स्थायी किया जाना चाहिये। ऐसे लेखपालों को जो आज सेवाओं से पृथक किया जा रहा है यह बहुत ही गलत है। ये लोग काफी अनुभवी हैं, अतः इनकी सेवाओं को देखते हुये इन्हें स्थायी किया जाना चाहिये।

दैवी आपदाओं से निपटने के लिये सरकार ने अभूतपूर्व काम किये हैं, यह सही है। हेलीकाप्टर से जा-जाकर निरीक्षण किया है और लोगों को राहत देने के काम हुये है। मगर मंत्री जी के क्षेत्रों में तो काम हुये है, दूसरी जगह काम ठीक नहीं हुए है। आपके द्वारा बाँटी जाने वाली चीजें आपके अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से नहीं बाटी जाती हैं। जहां-जहां गड़बड़ी हुई है उसकी जाँच करवा कर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।

मेरे बाराबंकी जिले में घाघरा नदी की बाढ़ के कारण हजारों किसान बरबाद हो गये, उनकी सम्पत्ति स्वाहा हो गयी है। 31 मार्च आने पर वहाँ के अधिकारियों ने लोगों को जो अनुदान के रूप में पैसा बांटा है उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है और वह फर्जी बटा है। उसमें इन अधिकारियों द्वारा काफी लूटमार हुई है। इस समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसकी जाँच सरकार को कराना चाहिये।

अग्निकाँड के कारण भी काफी गाँव बरबाद हो रहे हैं। ऐसे लोगों की भी मदद सरकार को करना चाहिये जो अग्निकाँड से बरबाद हो जाते हैं। इसके अलावा दैवी आपदाओं से ग्रसित लोगों को राहत देते समय असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिये। अभी बाराबंकी जिले में अग्निकाँड से 3 गाँव बुरी तरह प्रभावित हुये। इसमें एक गाँव मंत्री जी के क्षेत्र में आता था। उस गाँव के पीड़ित लोगों को तो 500 रुपये की धनराशि दी गयी, पर जो दूसरे गाँव के पीड़ित इन्सान थे उनको 100 रुपये ही दिये गये। वह इसलिये कि मैं चापलूसी दल का आदमी नहीं हूं, इसलिये मेरे क्षेत्र के गाँव को कम रुपये दिये गये। यह इन्सान की जिन्दगी के साथ एक खिलवाड़ है, इसमें सरकार को असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिये।

मैं आपका ध्यान चकबन्दी विभाग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, सही है, हमारे बहुत से मित्रों ने चकबन्दी अधिकारियों के बारे में बताया, करप्शन है। मान्यवर, भ्रष्टाचार यहां काफी फैल चुका है, उस पर अंकुश लगाने के लिए आपको कोई ठोस सुझाव देना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री गनेशी लाल चौधरी––

जो भ्रष्टाचार है, वह शिष्टाचार हो गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित––

दैवी आपदाओं तथा इस प्रकार की सभी आपदाओं का इन्चार्ज कमिश्नर होगा। आपने दैवी आपदाओं के लिए कमिश्नर जैसे नियुक्त किया है, उसी प्रकार से जनता के प्रतिनिधियों को भी रखना था। अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं और वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि हम सदस्यों को भी रखें। केवल कमिश्नर और राजस्व परिषद के चेयरमैन की रिपोर्ट पढ़वा कर आप सुधार नहीं कर सकते है, बल्कि हम लोगों को भी सुधार के कामों में रखना चाहिए ताकि वे लोग मनमानी न कर सकें। मैं मान्यवर, एक बात और आप से कहना चाहता हूं। जहाँ पर आपने यह कहा कि कांग्रेस राज्य में बहुत बड़ा पाप हुआ, अन्याय हुआ, तो मेरा निवेदन है कि श्रीमन्, आप भी उस पाप के भागीदार न बनें।

मान्यवर, खलिहान और सार्वजनिक भूमि का पट्टा हो गया, लेकिन श्रीमन्, उस गरीब आदमी ने अपनी औरतों का जेवरात बेच कर खेत बनाया है, उसमें खेती करना शुरू कर दिया है। आज प्रचार किया जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार गरीबों की जमीन छीन रही है। तो इस पाप में आप क्यों भाग ले रहे हैं। उनको मान्यवर, उजाड़ें नहीं। उनको आप खेती करने का अवसर दें। सीलिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैंने देखा है कि सीलिंग की जमीन जब निकली तो जो गरीब भूमिहीन बच गये थे, उनके लिए ऐसा कहा गया था कि उनको जमीन दी जायगी। लेकिन सीलिंग की जमीन का जहाँ तक सवाल है, अगर किसी बहुत बड़े किसान की जमीन सीलिंग में निकली है, तो पता चला कि एक तरफ आपका तहसीलदार, एस0 डी0 ओ0 जमीन बाँट रहा है, दूसरी तरफ वह व्यक्ति गया स्टे आर्डर लेकर आ गया और वह जमीन फिर अपनी पा रहा है। हमारे बाराबंकी में सीलिंग की जमीन एक भी गरीब आदमी को नहीं दी गयी। वह उन आदमियों को दी गयी जो हजार और पाँच सौ रुपये घूस के नाम पर बीघा दिये था, उन्हीं के नाम से सीलिंग की जमीन आवंटित की गयी। श्रीमन्, राजस्व विभाग आपका विभाग है। इसका लगाव जनता से है। आपने कहा कि हम परगनाधिकारी को जीप दे रहे है, उन्हें हम आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था होगी उस समय जब 20 करोड़ रुपये केन्द्र से आपको मिलेगा तब। क्या आप आश्वासन देंगे कि तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी लोग मुख्यालय पर रहेंगे और गैरहाजिर यदि रहेंगे, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। अगर किराये का मकान वहाँ पर उन लोगों को नहीं मिलता है, तो हर स्थान पर डाक बंगले आदि है, अस्थायी रूप से उनको वहाँ पर रहने की व्यवस्था करें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक एक गोष्ठी करनी चाहिए और उसमें भूमि सुधार कानून के संबंध में पुनः विचार करना चाहिए। जो प्रदेश की जनता की भावना है उसका आदर करते हुए प्रदेश में एक नई दिशा दें जिससे आप जो 30 सालों से शोषित, पीड़ित किसान हैं, उनको राहत मिल सके।

(श्री बिन्दू लाल को पुकारे जाने पर)

श्री लक्खी सिंह––

मान्यवर, श्री बाँके लाल जी को समय देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष––

अब बिन्दू लाल जी बोल लें तब बाँके लाल जी को बुला लूंगा।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--

मान्यवर, यह जो राजस्व विभाग है इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि उसको समाप्त करना सम्भव नहीं है। मान्यवर, ट्रांसफर की बात की गई है। क्या लेखपालों का स्थानान्तरण करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। यह मुश्किल है क्योंकि यह एक ऐसा लिंक है लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार जो हैं, इनके कारण यह सम्भव नहीं है तो यह भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी कि किसान को कम से कम इन कर्मचारियों के पास जाना पड़े। इससे भ्रष्टाचार समाप्त तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है।

जोतबही की जो व्यवस्था थी इसको सुचारु रूप से लागू नहीं किया गया। इसको ठीक ढंग से लागू किया जाये। हर किसान को खसरा-खतौनी दर्ज कर के दे दी जाये इससे हमें कोई कर्ज लेना हो तो हम को लेखपाल के पास जाने की आवश्यकता न पड़े। यह जोतबही में ही दर्ज होना चाहिए। इससे हमें जो लेखपालों के पीछे भागना पड़ता है उससे छुट्टी मिल सकेगी। फर्जी खसरा खतौनी देकर दूसरे लोग कर्ज ले लेते हैं। इस ढंग से अगर हम कोई व्यवस्था चला सकें जिससे किसान कम से कम कर्मचारियों के पास जाये तो भ्रष्टाचार कम हो सकता है। चकबन्दी में मान्यवर, इतना भ्रष्टाचार है कि जिस गाँव में शुरू हो जाती है वहाँ पर 5-7 साल तक चोर भी चोरी छोड़ देता है क्योंकि जो माल होता है वह उन लोगों को दे देते हैं यह इतना भ्रष्ट विभाग है। हमारा यह सुझाव है कि इसमें जो भी गड़बड़ी करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0 लेविल पर भी यही होना चाहिए। उनके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए तभी काम हो सकता है इसमें जो प्रभावशाली लोग हैं वे अपने दबाव, अपने जोर से, लाठी से कुछ गलत काम करा लेते हैं, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए। अपने जोर-जुल्म के ढंग से जो छोटे लोगों को परेशान करते हैं उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। एस0 ओ0 सी0 और एस0 डी0 एम0 को अधिकार होता है, वह इस्तेमाल नहीं करते। वह भी बवाल में नहीं पड़ना चाहते। जहाँ भी शिकायतें मिलें उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जहाँ पर चकबन्दी चल रही है, वहाँ पर जितनी जमीन की आवश्यकता हो निकाल लेनी चाहिये। चकबन्दी अधिनियम के अनुसार 7 परसेन्ट से ज्यादा जमीन नहीं निकाली जा सकती है। मान्यवर, मेरा ऐसा सुझाव है कि ऐसे आदेश दिये जायं कि अगर 7 परसेन्ट से ज्यादा भी नहर में जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको निकाल लिया जाये। जिससे पूरे गाँव पर इसका बोझ पड़े किसी एक व्यक्ति पर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री बिन्दू लाल--

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। जब बाढ़ आती है तो दौर चलता है। हमारे मंत्रीगण भी वहाँ जाते है, थोड़ा बहुत कार्य भी होता है। उसके बाद बाढ़ खतम हो जाती है और कार्य भी समाप्त कर दिया जाता है। इस साल भी बाढ़ आने का समय आ गया है। बाढ़ को रोकने के लिये सरकार की तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया। मान्यवर, इस ओर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)--

बड़ा मेहरबान हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं क्या बताऊं अपोजीशन में रहता था तो खुल कर बोलता था। अब मेरी जबान बन्द हो गयी है। मुझे एक शेर याद आ रहा है--

बड़े गौर से सुन रहा था जमाना,
हमीं सो गये दास्ताँ कहते-कहते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता पार्टी की सरकार बनी लोगों ने बड़ी मोहब्बत से वोट दिया लेकिन जितनी उम्मीद जनता की थी वह पूरी नहीं हुई है। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है। जनता चौराहे पर खड़ी है जब आप उसकी अदालत में जायेंगे तो वह जबाव जरूर पूछेगी लेकिन कांग्रेस के लोग यह न समझें कि वह पुनः शासन में आ जायेंगे। कांग्रेस को तो आने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी पुराने आदमी हैं और वह काफी कुछ देख चुके हैं। राजस्व परिषद् जो है वह शैतान की अतड़ी की तरह फैला हुआ है, इसको निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिये और यह जो कमिश्नर की पोस्ट है इसे भी समाप्त होना चाहिये और कलेक्टर की करेक्टर रोल की इन्ट्री लिखने का अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष को होना चाहिये। तब जनतंत्र का कुछ फायदा जनता को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बाढ़ जब आती है तो उसकी पहले कोई व्यवस्था नहीं होती है। हम नारायणी के किनारे के लोग हैं। देवरिया में नारायणी बहती है। बाढ़ आने पर ही व्यवस्था होती है इसके पहले कोई भी व्यवस्था नहीं होती। क्या-क्या काम होने चाहिये। काम केवल एक होता है—चना बांटा जायेगा, कपड़ा बांटा जायेगा, नमक बांटा जायेगा। इस भिखमंगई से काम नहीं चलेगा। इसके लिये कोई एक निश्चित रूप से योजना बनाना चाहिये जिससे बाढ़ की रोकथाम हो और बाढ़ से भीषण नुकसान न होने पाये। बांध बांधे जांये, पुल बनाये जाँयें तो पानी का उपयोग भी ठीक से हो सकेगा और बाढ़ के प्रकोप से भी बचा जा सकेगा। यह सब काम पहले होने चाहिये। होता यह है कि जब बाढ़ आये 15 दिन हो जाते हैं तब कलेक्टर के यहाँ मीटिंग होती है और चना तथा अनाज वगैरह बंट जाता है। यह कांग्रेस वाले लोग बहुत बातें करते हैं। इन लोगों ने 30 वर्षों में अधिकारियों को भ्रष्ट बना दिया और स्वयं इतने भ्रष्ट हो गये जिसका जबाव नहीं है। इन लोगों ने नैतिक पतन करा दिया और अपना भी कर लिया और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सबका कर दिया। यह जो कूड़ा करकट 30 साल का है।

एक सदस्य—

जो बाकी है वह यह पूरा कर रहे हैं।

श्री बाँके लाल—

इसको दो वर्ष में कैसे साफ कर सकते हैं, कोई हिसाब-किताब नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि बाढ़ की समस्या हल करने के लिये पहले से कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिये। मंत्री जी अभी कह रहे थे कि पुनः चकबन्दी करायेंगे। तो एक बार की चकबन्दी से गाँव के गरीब किसान की कमर 5 साल तक सीधी नहीं होगी, दुबारा मत कराइये। चकबन्दी वालों ने लूट मचा दिया है उसकी जाँच भी कोई करने वाला नहीं है। डाइरेक्टर का रुपया वहाँ से आता है। डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर का हिस्सा आ रहा है, एस0 ओ0 सी0 और सी0 ओ0 का आ रहा है।

एक सदस्य—

मंत्री जी को बख्श बड़ी मेहरबानी की।

श्री बाँके लाल—

मंत्री को तो मैं नहीं कह सकता। यह कांग्रेस वालों की ही व्यवस्था है, पहले की, जिसको हम दूर करना चाहते हैं। चकबन्दी में जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको अच्छे चक नहीं

[श्री बाँके लाल]

मिले हैं। हमारे गाँव में एक आदमी को पोखरी में चक मिला है। हमारे यहाँ संत बली सिद्धार्थ ने, मैं समझता हूं कि 4–5 लाख रुपया कमाया है। तो मैं कहूंगा कि पुनः चकबन्दी की योजना मत बनाइये नहीं तो हमको भी आपके खिलाफ आन्दोलन करना पड़ेगा। चकबन्दी वालों ने मारा विध्वंस कर दिया है। रिश्वत खूब ली जाती है। यहाँ सेक्रेटेरियट में रिश्वत नहीं ली जाती थी, हमने पता पाया है कि सेक्रेटेरियट में भी रिश्वत लिया जा रहा है। इसको दूर करने की योजना बनानी चाहिये। शहरों में मंत्री लोग प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ बढ़िया भोजन और आराम मिलता है तो गाँवों का भी प्रोग्राम बनायें और गाँवो की जाँच करे, जनता पार्टी का उसूल है कि गाँवों की ओर चलें। लेकिन शहरों में प्रोग्राम क्यों बना लेते हैं, मौज लेने के लिये। यह मैं पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री और हर मंत्री गाँवों की तरफ बढ़े और देखें और वहाँ सुधारने की व्यवस्था करें। आजकल आग बहुत लग रही है। हमारे जिले में 10 गाँवों में आग लगी और अनुदान 50 रुपया दिया गया है। अधिक से अधिक 100 रुपया मिला है। तो 100 रुपये में आज के जमाने में मड़ई भी नहीं पड़ सकती है। पुराने जमाने के इस कानून में परिवर्तन करें। और कम से कम 5 सौ रुपया मड़ई या दीवाल बनाने के लिये मिलना चाहिये।

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में जो बड़े-बड़े जमींदारों से जमीन सीलिंग में निकली है और बाँटी नहीं गयी है उसको बंटवायें और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको दिलवायें। आज हरिजन-हरिजन चिल्लाया जाता है कि उनके लिये काम हो रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है और जहाँ हरिजन अधिकारी हैं वह हरिजनों को खुलकर लूट रहे हैं। गाँव में रहने वाले हरिजनों को बसने के लिये जमीन नहीं मिल रही है। जमीन जो बड़ा आदमी जोतता था उसने सब पर कब्जा कर लिया है। सीलिंग की जो जमीन निकली है पहली बात तो वह बंटी नहीं है और जो जमीन बाँटी जाती है वह उन लोगों को दी जाती है जिसके पास जमीन है। हमारे वहाँ एक हरिजन को जमीन दी गयी जिससे 200 रुपये लिये गये हैं। इसलिये निवेदन है कि जो 30 साल से कांग्रेस के जमाने से परम्परा चली आ रही है उसमें मंत्री जी आप कुछ सुधार करें। हमारे नये उप मुख्य मंत्री जी एक अनुभवी और पुराने मंत्री है जिनसे आशा करता हूं कि वह इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे कुछ कहने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मैं उसमें कुछ जो कमियाँ समझता हूं उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र शिकोहाबाद बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। जमुना के किनारे 25–30 गाँव बाढ़ से पीड़ित थे जिसके लिये धन और गल्ला आवंटित किया गया लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पायी जिससे ग्रामीण जनता जो बाढ़ से पीड़ित थी उसको कुछ राहत मिलती। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि आप दुबारा पुनः जाँच करवा लें जिससे गरीब बाढ़ पीड़ित लोगों को कुछ लाभ मिल सके। उनके मकान अभी भी टूटे पड़े है। उनको पीने के लिये जल नहीं है क्योंकि कुओं में रेत भरा है। इसलिये उनको 100–200 रुपये देने से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र था वहाँ की जमीन में जमुना का जो रेत आया उससे 3–4 फीट मिट्टी खेतों में छा गयी जिससे आधा रकबा ऐसा हो गया है जिस पर कुछ नहीं पैदा हो सकता है। यह दृश्य देखने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये वहां श्री मधुकर दिघे और भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह गये थे जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों की दशा को देखा है। इसलिये बिगड़ी हुई खेती में जितना आप योगदान दे सकें वह दें। साथ ही साथ गाँव के नजदीक जो नदियां हैं---जैसे सिरसा और सेंगर--इनमें बरसात के दिनों में पानी अधिक आ जाने से तमाम खेत दो/तीन महीनों तक पानी से डूबे रहते हैं और जिससे वहां फसल भी नहीं हो पायी। तो वहां के लिये ऐसी व्यवस्था बनायी जाय, ड्रेनेज और नदी-नाले निकाले जायें कि जिससे वहां के लोग इस तरह के खतरे से बच सकें।

चकबन्दी के बारे में कहा गया कि बड़ा भ्रष्टाचार है। उसमें जो अधिकारी/कर्मचारीगण हैं. उन पर अच्छी तरह से निगाह रखने की आवश्यकता है ताकि काश्तकार का शोषण न हो सके। जो चकबन्दी सड़कें थीं, वे खत्म हो गयी हैं। उन सड़कों को ठीक कराया जाय और निरीक्षण करके ठीक तरह से काम किया जाय। आपने कहा था कि लेखपालों का 10 साल में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि 10 साल का समय ज्यादा है। 5 साल में स्थानान्तरण जरूर हो जाना चाहिये और शिकायत पर तो कभी भी किया जा सकता है।

किसी जिले में जब कोई समय बाढ़ आदि होती है तो विकास कमेटी बैठती है और जिलाधिकारी मश्विरा करते हैं। तो पहले से ही इस संबंध में व्यवस्था रखी जाय ताकि दैवी प्रकोप से बचने के लिये जनता को राहत मिल सके। आग से जले हुये घरों के लिये, बाढ़ से गिरे हुये घरो को राहत पहुंचाने के लिये उचित व्यवस्था की जाय। तभी जनता की तकलीफें दूर हो सकती हैं।

भ्रष्टाचार के लिये लेखपालों के लिये बहुत बहुत कहा गया। मेरा कहना है कि इसमें आपकी पूरी मशीनरी–लेखपाल से लेकर, सुपरवाइजर कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार सभी जिम्मेदार हैं। जब तक इन सभी पर निगाह नहीं रखी जाती, समस्या का हल नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जनता को राहत पहुंचे, जनता लुटने से बच सके, तो अकेले लेखपाल ही नहीं, बल्कि इन सभी पर कड़ी नजर रखी जाय। लेखपाल तो उनकी केवल कड़ी मात्र है। मेरा निवेदन है कि जो खाने वाले हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखी जाय और इस तरह से किसानों को लूट से बचाया जाय तभी किसानों को सही मायने में राहत मिल सकती है।

एक यह निवेदन करना है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे नाले हैं जो पानी को निकालने के लिये बनायी गयी थीं लेकिन उनमें सिल्ट आ गयी है, वे भर गयी हैं। इस कारण बरसात का पानी 2/3 महीनों तक खाली नहीं होता और समय पर फसल नहीं लगायी जा पाती और खेत पानी में डूबे रहते हैं। लेहाजा सिल्ट और मिट्टी को निकाल कर इन नालों को साफ कराया जाय। मेरा माननीय उपमुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया वह इस संबंध में जरूर ध्यान दें ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।

अन्त में मैं, मान्यवर, इस बजट का, जो कि माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करता हूं।

*श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है कि अकेले इसी विभाग से लाखों/करोड़ों निर्बल वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा भला हो सकता है, लेकिन अगर यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन]

ईमानदारी से साधनों को जुटाकर काम करना चाहे। जरूरत ईमानदारी से काम करने की है। लेकिन जनता पार्टी के जो पिछले राजस्व मंत्री रहे हैं और उनके बाद जो राजस्व मंत्री हैं और उनका जो रवैया रहा है, उससे यही अनुभव हो रहा है कि गाँव के लिये इस दिशा में काम नहीं किया गया। आज गाँव की जमीन पर जो श्रेणी 3 में दर्ज है, आसामी के रूप में बड़े-बड़े लोगों के नाम दर्ज ह। इस तरह की लाखों करोड़ों एकड़ जमीन मौजूद है। न तो उन पर कोई लगान है और न सरकार को उनसे कोई राजस्व मिलता है। केवल फर्जी तौर से लोग लाखों एकड़ जमीन जोते हुये हैं। न गाँव समाज उस जमीन को बाँटती है और न सरकार कोई दिलचस्पी रखती है उसको बटवाने में। इस दिशा में यदि कार्य किया जाए तो प्रदेश के गरीबों, हरिजनों और मजदूरों का बहुत बड़ा हित हो सकता है। मैंने राजस्व मंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई कानून बनाऊंगा लेकिन आज की स्पीच में तो मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। 115 (डी) से जो जमीनें निकलती हैं, वह जमीनें जुर्माना करके निकालनी चाहिए। मैं राम रतन जी की बात से कतई सहमत नहीं हूं कि 115 (डी) पर जुर्माने न हों और हों तो माफ किये जायें, कड़े से कड़े जुर्माने उन पर होने चाहिए। सख्ती से उसकी वसूली होनी चाहिए और पुलिस का भी इस्तेमाल करके जमीन निकाल कर गाँव के हरिजनों को बाँटी जानी चाहिए।

सीलिंग का कानून लागू करने में बहुत घपला हुआ है। वह तो घपला हो गया, आप क्या करेंगे। लेकिन आगे जो भी संभव हो, आप करिये। एस0 डी0 एम0 को ताकीद होनी चाहिए कि आप ही ने यह नक्शे बनवाये कि इतनी जमीन सीलिंग की निकल रही है और अब आप ही फैसला दे रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। अन्ततोगत्वा दोषी आप ही हैं और आपने वह गलत नक्शे क्यों बनवाये? इस तरह वे घूस लेकर, पुरानी बात को बदलकर भूस्वामियों को जितवा रहे हैं और जमीन निकाल कर गरीबों में नहीं बाँटी जा रही है। मंत्री जी इन बातों को नोट करें और निष्ठावान ढंग से कार्य करें तो इससे गरीबों का बहुत हित हो सकता है।

भूमिहीन मजदूरों और हरिजनों को पट्टे देने की जो कार्यवाही की जा रही है उसमें हजारों हरिजन जिला हेडक्वार्टर पर दौड़ रहे हैं। आपने कहा कि यदि वह सार्वजनिक प्रयोग की जमीन है तो हम उनको पट्टेदार मान लेंगे। लेकिन आप उसमें कब कार्यवाही करेंगे। सालों से दौड़ते-दौड़ते तो वह तबाह हो गया। जितनी जमीन उनको मिलनी थी उससे ज्यादा तो अदालतों के चक्कर में खर्च हो गई। इसमें शीघ्र ही आदेश कराये जायें जिससे इनको अदालतों में न दौड़ना पड़े।

भूदान की जो जमीनें निकलती हैं इसमें भूदान कमेटियाँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं। हमारे बाँदा जिले में एक कमासिन गाँव है, वहाँ 1200 एकड़ जमीन निकली थी और वह सारी की सारी जमीन भूस्वामियों ने हड़प ली। आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से पुराने पट्टों की पैमाइश के लिए और सदस्यों ने भी कहा कि पैमाइश होती नहीं, हुई भी तो कब्जा नहीं दिलाया गया। पुलिस कहती है एस0 डी0 एम0 करेगा, एस0 डी0 एम0 कहता है कि पुलिस करेगी। इन दोनों के झंझट में हरिजनों, गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है। आपका विभाग जिस तरह ढीला होकर चल रहा है, उसी के कारण यह कार्य नहीं हो सकता है। कानून में सुधार की जरूरत है लेकिन जो कानून वर्तमान है, उसी में अगर सख्ती लाई जाए तो प्रदेश के लाखों करोड़ों गरीबों, हरिजनों और मजदूरों का फायदा हो सकता है। यदि हरिजन पट्टेदार की जमीन छीनी जाती है तो आपने कानून बना रखा है कि उस छीनने वाले को तीन साल की सजा दी जाए लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे बाँदा जिले में कलेक्टर, तहसीलदार, एस0 डी0 एम0, एस0 पी0, डी0 एस0 पी0 किसी को पता नहीं है कि इस तरह का कोई कानून बना है। उनको मैं बताता रहा, एक गाँव का उदाहरण दिया कि इस गाँव में हरिजनों की जमीन

जबरदस्ती छीन लिया उसकी फसल काट ली लेकिन वह कानून जिसके अन्तर्गत तीन साल की सजा हो सकती है लागू नहीं हुआ। वहाँ के डी0 एम0, एस0 पी0, कलेक्टर उस जी0 ओ0 को खोजते रहे जिसमें तीन साल की सजा का जिक्र है। बहुत से एस0 पी0 तहसीलदार और अन्य अधिकारी यह जानते भी नहीं है कि कौन सा ऐसा जी0 ओ0 है, कानून है, जिसके अन्तर्गत वे सजा दे सकते हैं। इतनी उपेक्षा अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग कि की जा रही है। इस संबंध में आप अधिकारियों को सूचित कर दें जिससे वह कानून से फिर से परिचित हो जायं और वह कानून का पालन करें। मैं समझता हूं कि जिले के किसी गाँव में इस कानून को शायद ही लागू किया गया हो।

इसी तरह से आवास की जमीन के आवंटन की बात है। यह पिछले शासन की बात है, उस की देन है, आप भी उस शासन में भागीदार हैं इसलिए आप भीउस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। आवास के लिए जो निर्बलों को भूमि आवंटित की गई है वह ऊंची, नीची जगह पर की गई है जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है। वहाँ पर हरिजन या गरीब, निर्बल नहीं बस सकता। इसलिए इस प्रकार की भूमि का फिर से सर्वे कराइये और देखिये कि वास्तव में वह जमीन बसने लायक है या नहीं। फिर से उन लोगों को आवास की भूमि आवंटित कराइये।

राजस्व परिषद् की बात करना चाहता हूं। राजस्व परिषद् भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसे तोड़िये।

मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट को इस सरकार को शीघ्र लागू करना चाहिए।

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी. . . .

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष

जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं मैं उनको प्राथमिकता दे रहा हूं।

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और कुछ सुझाव भी पेश करूंगा।

मान्यवर, अभी हमारे कुछ साथियों ने भूमि आवंटन के विषय में विचार रखे। ग्रामों में आम तौर पर देखा गया है कि जहाँ ग्राम में ग्रामसमाज की भूमि उपलब्ध है उस के बावजूद भी कृषि योग्य भूमि आवंटित की जाती है। जब कि ग्राम समाज की भूमि बिल कुल करीब है इसके बावजूद भी चलती कृषि योग्य भूमि आवंटित की जाती है इसे आवंटित न किया जाये। यह मेरा सुझाव है। आप इस पर गौर फरमायें क्योंकि इससे कृषकों को बहुत परेशानी होती है।

इसके साथ-साथ मान्यवर, बहुत से जनपदों में तहसीलों में चाहे कितना भारी काम हो राजस्व विभाग का वहाँ पर एक एस0 डी0 एम0 रहता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जिन तहसीलों में काम अधिक है वहाँ कम से कम दो एस0 डी0 एम0 नियुक्त किये जायं। एक मुकदमों का निपटारा करें और दूसरा तहसील के दूसरे काम देखें। इससे कार्य

[श्री बाबू सिंह]

में चुस्ती आयेगी और शासन का कार्य अच्छी तरह से चलेगा क्योंकि बहुत सी तहसीलों में जिनमें बहुत अधिक काम है वहाँ के परगनाधिकारी दूसरे काम नहीं देख सकते, मुकदमों की तारीखें लगती रहती हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ रहता है।

मान्यवर, हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने सुझाव के रूप में अपने भाषण में कहा था कि इतना बड़ा प्रदेश होने के कारण प्रदेश की बटवारे की बात और किन्हीं-किन्हीं जनपदों में अलग-अलग जनपद बनाने की बात, अलग-अलग तहसील बनाने की बात उनके सम्मुख पेश है। इसी के साथ-साथ मैं कहूंगा कि हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी का जन्म-स्थान मुजफ्फरनगर में तहसील कैराना है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि तहसील कैराना के बजाय शामली को तहसील बनाया जाय। क्योंकि शामली जो जगह है वह मध्य में स्थिति है। वहाँ पर सभी मेन सड़के हैं, बड़ा रेलवे स्टेशन है, उद्योग-धंधे वहाँ पर हैं और वह एक केन्द्र का स्थान है और जो मौजूदा तहसील कैराना है, वह हरियाने के बार्डर पर है, एक तरफा पड़ता है, लोगों को वहाँ पहुंचने के लिये 2/3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है और एक आदमी को 40 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। इसलिये माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि शामली को तहसील बनाने की ओर ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, अभी सर्दियों में बहुत सी जगहों पर भारी ओला-वृष्टि हुई है जिसमें किसानों की फसलें मारी गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनको राहत मिलनी चाहिए और मुआवजा उनको दिया जाय तो वहाँ का किसान आपका आभारी होगा। इसके साथ ही साथ उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिन तहसीलों या जनपदों में आरम्भ में चकबन्दी हुई थी उनमें पुनः चकबन्दी करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिन तहसीलों में पूर्व चकबन्दी हो चुकी थी और उन ग्रामों के 2/3 यानी 75 फीसदी लोग यह चाहते हों कि पुनः चकबन्दी न करायी जाय तो वहाँ पर चकबन्दी न करायी जाय और यदि 2/3 यानी 75 फीसदी लोग यह चाहें कि चकबन्दी हो तो वहाँ पर मान्यवर, पुनः चकबन्दी करायी जाय। मैं मान्यवर, स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। हमारे यहाँ तहसील कैराना में कई-कई चक हैं और 3/4 जगह उन लोगों को उन्होंने चेक द्वारा नलकूप की व्यवस्था कर ली है और एक ही जगह पर कई नलकूप पास-पास लगे हुये है और वे एक ही चक में आ जायेंगे। इससे हानि भी होगी और सब लोगों को नलकूप लगाना होगा। इस लिये यदि 75 प्रतिशत लोग वहाँ के यह चाहते हों कि वहाँ पर चकबन्दी न हो तो न करायी जाय और 75 प्रतिशत कास्तकार चाहते है कि चकबन्दी हो, तो करायी जाय। यह मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रदेश में भू आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगना अधिकारी उन्हें कब्जा नहीं दिला रहे हैं जिससे गाँवों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। बहुत सी तहसीलों में नायब तहसीलदार कई वर्षों से बने हुये हैं जिससे वे मनमाने ढंग से जनता का शोषण कर रहे हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे नायब तहसीलदार जो वर्षों से एक ही स्थान पर है, उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय। किसानों को उनकी जमीनों की जोत का इन्तखाब नहीं मिल रहा है जिससे किसान को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि संविद सरकार की भांति किसानों को जोतबही दी जाय ताकि उनको इस शोषण से छुट्टी मिल सके। लेखपाल अपनी ही तहसील में रह रहे हैं जिससे उनका रवैया पक्षपातपूर्ण चल रहा है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लेखपाल को जो वहीं का निवासी हो,

उसे वहाँ पर न रखा। उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाय ताकि वह मनमाने ढंग से कार्य न कर सके।

मान्यवर, हरिजनों का राजस्व विभाग में उनके आरक्षण के मुताबिक स्थान नहीं मिला है। वैसे कहा जाता है कि हरिजनों को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है लेकिन माननीय मंत्री जी का राजस्व विभाग ऐसा है जिसमें हरिजनों को आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं मोहनलालगंज तहसील की बात कहना चाहता हूं कि उसमें 32 अमीन हैं जिनमें एक भी हरिजन नहीं है।

हमारे मोहनलालगंज में 58 में परीक्षण के रूप में चकबन्दी हुई थी वहाँ पर छोटे-छोटे किसानों के दो-दो, ढाई-ढाई बीघे के किसानों के चार-चार चक बने हुए हैं और शारदा सहायक परियोजना के निकलने से इस पार से उस पार जाने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इससे किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मोहनलालगंज में इसी वर्ष चकबन्दी की व्यवस्था करें ताकि किसानों की समस्याओं का निदान हो सके।

मान्यवर, हमारे लखनऊ जिले की लखनऊ तहसील में एक कानूनगो को आफिसियेटिंग तहसीलदार बना दिया गया जब कि इसी तहसील में और भी नायब तहसीलदार हैं उनको चार्ज नहीं दिया गया है जिससे लोगों में काफी असंतोष है। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री छोटे लाल निर्भय (जिला जौनपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये, लेकिन मेरा एक ही सुझाव है कि 1955–56 में जो चकबन्दी की गई वह सही ढंग से नहीं हुई। उसके कर्मचारी और अधिकारी नये-नये नियुक्त हुए थे बल्कि वह एक किस्म से ट्रेनीज थे और चकवन्दी का काम सही ढंग से नहीं किया। इसमें बड़ी धांधली की गई। जो हरिजन शोषित पीड़ित थे जिनके पास केवल एक ही मकान था वह मकान भी बड़े लोगों के पास चले गये। और वह बेचारे पिछड़े ही रह गये और आज तक परेशान हैं। ऐसे स्थानों में दुबारा चकबन्दी की जाय।

दूसरी बात मुझे माननीय मंत्री जी से निवेदन करनी है कि जहाँ नहरें निकली हैं, हमारे यहाँ उसे कहते हैं। आप नहरों का जाल बिछाना चाहते हैं लेकिन जो नहर का अधिकारी होता है, इंजीनियर होता है वह कहता है कि हम टैक्निकल आदमी हैं और टैक्निकल बात बताते हैं और सारी निचली सतह में नहरें जायेंगी। इसमें ज्यादातर शोषित और पीड़ित वर्ग के लोगों के खेत पड़ते हैं जो कि नहर में निकल गये हैं। इस प्रकार जो भूमिहीन लोग हैं, जो पहले दो-चार हल जमीन थी वह सब निकल गई। जो आपने नहरों का जाल बिछाया है जहाँ पर गरीब किसानों की जमीन चली गई है उसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए वहाँ पर पुनः चकबन्दी कराई जाय ताकि उन गरीबों को गांव की जो जमीन है उसमें कटौती करके दी जा सके जिससे वह अपने बच्चों का पालन कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छोटेलाल निर्भय]

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि माननीय मंत्री जी के अन्डर में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार आदि यही आते हैं बाकी जो बड़े अधिकारी है वह इनके अन्डर में नहीं आते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य एक बात कह चुके है, उसे न दोहराया जाए, इसका ध्यान रखा जाय।

श्री छोटेलाल निर्भय—

तहसीलदार जो अंग्रेजों के समय से तहसील का मालिक होता था, आज उसके हाथ में कोई काम नहीं है, चूंकि एस0 डी0 एम0, एस0 डी0 ओ0 आ गये है, उनका सारा काम वह करते हैं। पशु चिकित्सक आदि क्लास–2 अफसर है, कई विकास अधिकारी होते है, वह भी सब क्लास–2 में होते हैं और तहसीलदार तीसरे नम्बर का ही अफसर रह गया। इसलिये मेरी माँग है कि उसको भी दूसरे नम्बर का अफसर बना कर उसको काम दिया जाय, ताकि वह अपने नीचे के और साथ के कर्मचारियों पर सही तरीके से निगरानी रख सकें।

जो भूमि बाँटी गई, उसके बारे में बताया गया कि 10 लाख एकड़ जो जमीन बांटी गई है उस पर लोगों को कब्जा मिल गया है, किन्तु यह बिल्कुल गलत है। जो जमीन आवंटित की गई थी, उसके बारे में समिति बनाकर आप सर्वे करा लें, तो आपको वास्तविकता मालूम हो जाएगी। उसमें से 25 प्रतिशत जमीन पर भी भूमिहीनों को कब्जा नहीं मिला है। इस पर बड़े-बड़े लोगों का कब्जा है। कोई अधिकारी या कर्मचारी जाता है तो उसको पैसा देकर सब बराबर कर दिया जाता है। मैं इन शब्दों के साथ उप मुख्य मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि राजस्व अनुदान पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज हम इस बात को पाते हैं कि अपने भाषण के दौरान सरकारी पक्ष के लोग बड़े जोश खरोश से कहते है कि 77 में क्रान्ति आई और उसके माध्यम से जनता ने सरकार को बदला, लेकिन हम देखते हैं कि जो क्रान्ति आई वह देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार, उदण्डता और असुरक्षा के रूप में आई। आज देखने को मिलता है कि प्रत्येक नागरिक की जान-माल खतरे में है। इस राजस्व अनुदान को देखने के बाद मैं राजस्व मंत्री को बताना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में जमींदारी समाप्त हो गयी, लेकिन प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसे भी स्थान है, जहाँ से आज भी वह कुप्रथा समाप्त नहीं हुई है। मेरे जनपद में रेवती नोटीफाइड एरिया तथा शहतवार व बाँसडीह टाउन एरियाज में आज भी जमींदारी कायम है। आज प्रदेश में जितने भी नोटीफाइड व टाउन एरिया है, उनकी जमींदारी आज खत्म नही हुई है। वहाँ पर जमींदारी ही उनके निवासियों पर शासन करते हैं। आज भी आजादी के इतने दिनों बाद वहाँ के लोग गुलामी में रह रहे हैं। उनको यह भी अधिकार नहीं है कि गिरे हुए वे मकान बनवा सकें या शहरों में जाकर कोई रोजगार धंधा कर सकें। जमींदार आज भी उन पर हावी है और उनसे बेगार लेते हैं। और नाना प्रकार का उत्पीड़न होता है। हमारे राजस्व मंत्री जी बड़े अनुभवी है, साथ ही साथ राजस्व सचिव बहुत बड़े अनुभवी है। आप ऐसा कदम उठाएं कि अगले सत्र में जब हम यहाँ बैठें तो जो प्रदेश की जनता टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में गुलामी की तरफ सोचती है. कानून के द्वारा तमाम टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में जमींदारी समाप्त करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि आपदाओं के समय जो सरकार के माध्यम से जनता को सहायता दी गयी है मैं सोचता हूं कि उससे भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया है। जनता पार्टी की सरकार के वक्त में अनुदानों की अपनी पार्टी का प्रचार करने का माध्यम बनाया गया है। जहाँ पर, जिस क्षेत्र के विधायक हों, उनसे बात नहीं पूछी गयी। हमारे क्षेत्र और जनपद में बाढ़ सहायता का जो अनुदान बाँटा गया, किसी मंत्री के कहने से और जनता पार्टी के लोगों के कहने से बाँटा गया। उसमें भ्रष्टाचार फैलाया गया। उसको फैलाने वाले वहाँ के लोग हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी बाँटा गया है उसमें 20 प्रतिशत का भ्रष्टाचार किया गया और कहीं-कहीं पर जो रुपया अस्पताल को दिया गया, आधा रुपया बाँटने वाले अधिकारी खा गये हैं। बाँसडीह क्षेत्र में उसकी जाँच कराएं और अगर इस बात का सबूत मिलता है, तो आप उन अधिकारियों को दंडित करें। उसका परिणाम होगा कि भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होगी। जहाँ तक आपदाओं की बात है 100 रुपया जो राहत के लिए दिया जाता है, वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है। जिसका नुकसान होता है, वह उस नुकसान के कार्य में नहीं लगता बल्कि वह ऐसे कार्य में खर्च कर देता है जिससे धन का दुरुपयोग होता है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बाढ़ के समय में जो अनुदान की धनराशि बाँटी जाती है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जो गाँव है, उनको ऊंचा कर दिया जाय, जो सम्पर्क मार्ग है, उनको ऊंचा कर दिया जाय, साथ ही साथ गाँव सभा के अन्दर सरकार की तरफ से नावों की व्यवस्था की जाय। बाढ़ के समय में जो सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है वह रुपया उन परमानेंट कामों में खर्च होगा, लोगों को राहत मिलती। किसी के घर में आग लग जाती है तो उसकी जाँच करायी जाती है, उसके बाद सौ रुपये दे दिये जाते हैं। अगर किसी गरीब आदमी का मकान जल जाय, दो महीने के बाद जाँच करने के बाद उसको सहायता मिले तो वह किसी काम की नहीं होती है।

मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि आप ऐसे आदेश पारित करें कि जिसके घर में आग लगे, आग लगने के तुरन्त बाद, सक्षम अधिकारी मौके पर जायं और उस मालिक की सहायता करें जिससे उसकी संकट में सहायता हो सके। मैंने एक प्रस्ताव भी दिया था। हमारे क्षेत्र में पर्वतपुर जयनगर गाँव है, वह सारा गाँव का गाँव स्वाहा हो गया। लोगों के पास न खाने को रहा और न पहनने को कपड़ा रहा। लेकिन हम देखते हैं कि सहायता कुछ भी नहीं दी जाती है। मैं राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा कि तुरन्त उस गाँव को रुपया पैसा, वस्त्र दे कर उनकी सहायता करें ताकि उनको राहत मिल सके। वह इस गरमी में घरविहीन होकर उनके मवेशी और वह तड़प रहे हैं। उस गाँव की जल्द से जल्द सहायता की जाय। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण जो विप्लव उत्पन्न होता है और जो शासन द्वारा सरकारी सहायता दी जाती है, वह बजट में 72 करोड़ रुपये की रखी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जौहरी लाल त्रिवेदी]

मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि 72 करोड़ में 20 प्रतिशत रुपया ऐसा है जो जनता को वितरित किया जाता है और बाकी रुपया लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक की जेबों में चला जाता है और एस0 डी0 एम0 तक भी इससे बच नहीं पाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप इसकी जाँच करायें कि कहाँ पर कमी है जिसके कारण इस तरह की चीजें होती हैं और जो शासन द्वारा सहायता के लिए पैसा दिया जाता है वह जनता तक नहीं पहुंच पाता है। जाँच में जो भी अधिकारी दोषी पाये जावें उनको दन्डित किया जावे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चकन्बन्दी में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टचार की बात कहना चाहता हूं। चकबन्दी सन् 56 से शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। इसमें जो भ्रष्टाचार है वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। चकबन्दी में बड़े लोग अपनी जमीन की सारी व्यवस्था ठीक करवा लेते हैं। उनकी जमीन के पास अगर किसी छोटे किसान की अच्छी जमीन होती है तो उसकी मालियत कम लगवा कर अपने चक में ले लेते हैं। इस प्रकार छोटे किसानों को पीड़ित किया जाता है। धनी और बड़े जाने-माने जो लोग हैं वह 2–4 रुपये खिलाकर किसान जो छोटी-छोटी जोत वाले हैं उनको परेशान करते है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो छोटे किसान हैं उनके सम्बन्ध में जो मुकदमें चलते हैं उनको फैसला करने के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए। इससे छोटे किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि दुबारा चकबन्दी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान की एक बार ही एक बीघा में एक बिस्वा जमीन चली गयी और उसके बाद उसको चकबन्दी का खर्चा देना पड़ा और अगर दुबारा फिर चकबन्दी की जायेगी तो उनकी बहुत सी जमीन चली जावेगी। माननीय मंत्री जी 1975–76 में सहकारिता मंत्री थे और वह कांग्रेसी शासन में थे। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित कर दी जाये और उसी के अनुरूप सभापतियों ने सार्वजनिक जमीन को छोड़ कर सारी जमीन भूमिहीन मजदूरों को आवंटित कर दी थी। यह कार्य चलता रहा, आप शासन से हट गये और नारायणदत्त तिवारी जी की सरकार आयी। यह आदेश हुआ कि जो 8 प्रतिशत से ज्यादा जमीन हो उसको आवंटित कर दिया जाये। बड़े-बड़े आदमी जो थे वह जमीन को दबाये बैठे रहे और उन्हीं को सारा फायदा मिला। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए तथा जिनको कब्जा नहीं मिला है उनको कब्जा दिलाया जाये। बहुत से किसान जिनको भूमि आवंटित कर दी गयी है और पट्टा भी कर दिया गया है लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया है वे अपने-अपने पट्टे लेकर आते हैं। मैंने उनके बारे में तहसीलदार से भी कहा, लेकिन तहसीलदार उनको अपने नीचे वाले अधिकारी के पास भेज देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ब्लाक स्तर एक नायब तहसीलदार की नियुक्ति करके उनकी देख-रेख में लेखपालों एवं कानूनगो द्वारा सारी भूमि का निरीक्षण कराकर जिन लोगों को आवंटित की गयी है, उनको कब्जा दिलाया जाय।

जहां तक रुपया वसूली का प्रश्न है राजस्व विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा रुपया वसूला जाता है। किसी भी विभाग का रुपया हो चाहे वह बैंक के लोन का रुपया हो, या अन्य किसी विभाग की बकाया हो, उसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा ही की जाती है। जब आपके अमीन या लेखपाल किसी गांव में जाते हैं तो वे किसानों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। किसान अपनी समस्या को उनके सामने रखते हैं लेकिन वे उसे नहीं सुनते हैं। जब हम तहसीलदार को कहते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह रूपया अदा कर सकें तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिला स्तर पर भी उसकी बात को सुनने को कोई अधिकारी तैयार नहीं होता है। मेरी प्रार्थना है कि आप जिला स्तर पर एस0 डी0 एम0 या जिलाधीश को अधिकार दें कि वे उनकी समस्याओं को सुनकर उसकी परिस्थिति को देख कर स्टे दे दें ?

सिंचाई विभाग में ऐसी अनियमितायें होती हैं कि खेत किसी का सींचा जाता है और आबपाशी का पर्चा किसी और किसान का बन जाता है। उस विभाग का रुपया भी राजस्व विभाग के द्वारा ही वसूला जाता है। जब किसान उस अमीन से कहता है कि मैंने अपना खेत सींचा ही नहीं है तो वह उससे कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपके नाम का आबपाशी का पर्चा है मैं आपसे ही वसूल करूंगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग को जो आबपाशी का रुपया है वह स्वयं ही क्यों नहीं वसूल करते हैं। होता यह है कि दूसरे विभाग वाले मनमानी करते हैं और किसान के नाम पर्चा काटकर उसे आपके द्वारा वसूल करवाते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस मद के सम्बन्ध में अपने विचार सदन में प्रस्तुत करने का मौका दिया।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोण्डा)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसकी चर्चा में हिस्सा लेने मैं भी खड़ा हुआ हूं।

राजस्व विभाग का जैसा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ अर्थ लगाया है वह यह है कि दूसरे के धन पर राज्य करने वाले लोगों का विभाग। इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि भी हैं। जैसे पटवारी यानी जो व्यक्ति जो पराये धन पर जीवन निर्वाह करें। प्रधान यानी पराये धन का चौकीदार। इस विभाग में दुहरा शासन है। एक तो राजस्व मंत्री है और दूसरे राजस्व परिषद् है। माननीय राजस्व मंत्री जी कहते है कि फलां का स्थानान्तरण कर दो लेकिन राजस्व परिषद् कहता है कि वहां पर खाली जगह नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इसको खत्म करें।

इस विभाग का बाढ़ से भी सम्बन्ध है। बलरामपुर में गत वर्ष बाढ़ आयी, नेता भी आये उनके चेहरों पर पसीना आया तो मैं भी शर्म से झुक गया। तब मैंने सोचा कि क्या कभी इस बाढ़ में कोई नेता भी डूबा है। ऐसा सौभाग्य अभी भी किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ है। कुर्सियां तो कभी-कभी अवश्य डूबीं, पर कोई नेता डूबा हो तो यह नहीं सुनने में आया। बाढ़ के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें तो बनायी जाती रही है, पर वे सभी कागज पर ही रह जाती हैं। लोग आते हैं देखने के लिये, यह राहत होती है कि शायद इस साल के लिये नहीं तो अगले साल अवश्य कुछ इन्तजाम हो जायेगा, पर कोई इन्तजाम नहीं होता। आज भी घाघरा का पानी बढ़ रहा है। पुल टूट गया है, यातायात के साधन बन्द हो गये हैं, बदकिसमती से आगे अगर बाढ़ आ गयी, भगवान न करे आये, पर अगर आ गयी तो क्या होगा? सब बरबाद हो जायेगा। मंत्री जी फिर देखने आयेंगे, बड़ी-बड़ी स्कीमें बनायेंगे, मगर सब रखी रह जायेगी।

चकबन्दी के बारे में हाल यह है कि हमारे यहां गोंडा और बहराइच जिले की सीमा से मिले हुये गांवों की चकबन्दी हुई, उसमें कुछ किसानों की जमीन बहराइच जिले में चली गयी उसका झगड़ा दो साल से चला आ रहा है। किसान तहसील-तहसील घूमता है, पर कुछ नहीं होता कभी बहराइच के डी0 एम0 को फुरसत नहीं है तो कभी गोंडा के डी0 एम0 को फुरसत नहीं है। दोनों डी0 एम0 को मिल कर उसे करना है पर दो साल से वह झगड़ा पड़ा हुआ। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

[श्री अशफाक अहमद खां]

पटवारियों का यह हाल है कि उनके साथ एक मुन्सी लगा रहता है जो पटवारी का काम करता है। पटवरी अपने वेतन से और ऊपरी आमदनी से कुछ उस मुंशी को दे देता है। पटवारी साहब अपने घर पर बैठे रहते हैं।

मान्यवर, बरसात फिर आने वाली है, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व परिषद् को समाप्त करें और बाढ़ से बचाव के लिये कोई ठोस कदम अभी से उठायें।

(श्री नारायण सिंह भैंसोरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम अधार--

मुझे मौका नहीं मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको भी मौका देंगे, आप आम चर्चा में नहीं बोले थे।

श्री नारायण सिह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप केवल सुझाव ही दें, आप 2 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री नारायण सिह भैंसोरा--

मान्यवर, जब जमींदारी विनाश संशोधन अधिनियम, 1978 यहाँ विधान सभा में पारित हुआ था तो मैने यह निवेदन किया था कि सरकार द्वारा कुमायूं नयाबाद ग्रान्ट ऐक्ट समाप्त कर गवर्नमेंट ऐक्ट लागू हो जाने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को वनों में अपने पशुओं को चराने, वनों से पत्ती व लकड़ी आदि लाने की जो पहले से छूट मिली हुई थी वह समाप्त कर दी गयी है। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये उनसे निवेदन करूंगा कि यह जो पावन्दी लगा दी गयी है इससे वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है, इसे तुरन्त समाप्त कर पहले जैसी व्यवस्था ही रखी जाये। जो नियम पहले के थे वही लागू किये जायें।

पर्वतीय क्षेत्र में फलों के संरक्षण एवं उनके उत्पादन आदि पर हार्टिकल्चर विभाग कार्य करता है। पर्वतीय क्षेत्र में दैवी प्रकोप के कारण काश्तकारों को बड़ा नुकसान होता है। केवल फसल में ही आर्थिक सहायताएं राहत के रूप में दी जाती है। लेकिन जब फलों का नुकसान होता है, तो उसके लिए कोई भी व्यवस्था अब तक नहीं की गयी। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उद्यान पतियों को जो क्षति होती है, उसके संबंध में विचार किया जाय।जो रेट्स इन राहत के लिए हैं, वह बहुत पुराने है, लेकिन मूल्य के आधार पर जितनी क्षति होती है उसका मूल्याँकन करना चाहिए। इसमें अवश्य ही परिवर्तन कर दिया जाय जिससे कि काश्तकारों को अच्छी राहत मिल सके। जो प्रशासनिक इकाइयाँ है, उन्हें छोटी किया जाय। गाँव के लोगों को तहसील तक आने में 2-2, 4-4 दिन लग जाते है। रेवेन्यू विभाग से ही संबंधित समस्त विकास कार्यक्रम जुड़े हुए हैं, तो विकास कार्य को गति देने के लिए तहसील को और छोटी कर दिया जाय। प्रत्येक ब्लाक को तहसील बना दिया जाय। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो जिले, तहसील आदि हैं, वह पहले की तरह से है, यद्यपि पर्वतीय क्षेत्र में एक पट्टी से तीन पट्टी की गयी है। सभी कार्यक्रम रेवेन्यू विभाग से संबंधित हैं। लेकिन तहसील पूर्ववत ही हैं। अपने क्षेत्र में तो 3-4 दिन तक तहसील पर आने में लगते हैं। इसलिए वे विकास नहीं कर पाते हैं। और जो समस्या रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है वे नहीं कर पाते हैं। पुलिस का भी मामला वहाँ पर पटवारी करते हैं। इस लिए इतनी दूर आकर अपनी कठिनाइयों को कहने में लोगों को परेशानी होती है। इसलिए जो विकास खण्ड हैं, उन्हें तहसील बना दिया जाय। दो वर्षों से बेरीनाग विकास खण्ड में तहसील की माँग हो रही है, वहाँ पर तहसील की व्यवस्था करा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें ।

(श्री राम अधार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायण सिंह भैंसोरा––

मान्यवर, एक मिनट और चाहूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह––

मान्यवर, तीन उधर से हो गये ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा––

पटवारियों को पुलिस पावर्स दी गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठ जाइये ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा––

मान्यवर, 1 मिनट और दे दें। पटवारियों को पुलिस का भी काम दे दिया गया है जिससे उनका दायित्व बढ़ गया है। विशेषकर मद्य निषेध को लागू करने में भी वे पुलिस की भूमिका निभाते हैं। लेकिन उनके पास आर्म्स एम्युनिशन कुछ नहीं होता है, केवल डंडा उनके पास होता है और उनके पास कोई आफिस अथवा निवास की भी व्यवस्था नहीं है, जिसमें कि वे बदमाशों को गिरफ्तार करके रख सकें और न कोई कार्यालय ही है, जिसमें वे बैठ कर सुचारु रुप से कार्य कर सकें। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनकी इन समस्याओं को दूर किया जाय जिससे ये अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से कर सकें।

*श्री राम अधार––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने सामान्य बजट में इसे स्वीकार किया है कि जिन जिलों में नहरें बन रही है वहाँ पर दुबारा चकबन्दी होगी। मान्यवर, यह सवाल विधान सभा में कई बार मैंने उठाया और आजमगढ़ के अन्दर, बनारस के अन्दर, मेरठ के अन्दर, हापुड़ के भी लोग आये थे, दो-दो सौ मीटर चौड़ी नहर बन रहीं है, चक बना है, लेकिन पूरा खेत चला जायगा–नहर के अन्दर। 23 महीने हो गये शासन का आदेश हुए, 77 में, लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वे सारे किसान जो परेशान है, जिनके खेत जा रहे हैं, जिनके घर-बैल बिक रहे हैं, हम देखते हैं गाँव के अन्दर, वे बेचारे रो उठते है, वे कहाँ जायंगे, जिनके खेत नहर में चले जा रहे हैं। श्री राम नरेश यादव की जो सरकार थी, जिसमें 22 महीने लग गये निर्णय करने में, मालूम हुआ कि राय माँगी जा रही है, राय कहीं से नहीं आई और वह सरकार चली गयी।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह मामला पूरे प्रदेश का है, इस मामले को माननीय राजस्व मंत्री जी व्यक्तिगत इन्टरेस्ट लेकर इस मामले को हल करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इस विधान सभा के अन्दर या जब भी कोई बजट के ऊपर बात होती है, तो प्रदेश के बटवारे की बात होती है। मैं इस मामले को बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग भी इस प्रदेश के रहने वाले है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाका मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामाधार]

ये 100 साल पीछे रहा है पूरब और बुन्देल खंड वगैरह के, लोग नहर तक नहीं देखे थे कि नहर कैसी होती है, अंग्रेजों के जमाने में सारे विकास हुए, सारे उद्योग चलाये पश्चिम की तरफ तो आज कुछ लोग कहते है कि उत्तर प्रदेश को बाँट दिया जाये। गंगा और यमुना को पलट दो। इसका किसी को कोई दु:ख नहीं है अगर किसी को परेशानी हो तो जनता पार्टी से विद्रोह करके भी उन साजिश को हम नाकामयाब करेंगे। पंत जी के जमाने में यह बात क्यों नहीं हुई, चौधरी साहब के जमाने में, चन्द्रभानु जी के जमाने में भी बात नहीं हुई। राम नरेश जी जब थे तो कहने लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सोलह प्वाइन्ट कुछ जब आबादी है और एड मिली पन्द्रह प्वाइन्ट चार या पाँच। आप दबाव डालें केन्द्र सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रुपये मिले। यह जातिवाद के आधार पर प्रदेश को बाँटने की बात नहीं चलेगी। पैसा माँगते नहीं है। सारे मंत्री दिल्ली में जाकर धरना दें। प्रदेश को बाँट दिया जाये। अधिक से अधिक धन देने के लिए माँग करें। इस बात को बन्द करें वरना उत्तर प्रदेश के अन्दर खून बहेगा, लाठियाँ भी चलेंगी और प्रदेश नहीं बंटेगा, नहीं बंटेगा।

*श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, आप स्वयं देख रहे हैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव पर,बजट पर जो बहस हुई है और मेरे कटौती पर तो न केवल उसके संबंध में मैंने बातें की है, जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों ने वे शब्द इस्तेमाल नहीं किए है लेकिन बात मुझसे ज्यादा इन्होंने कही है इस विभाग के बारे में। मैंने तो रचनात्मक दृष्टिकोण से, सुधार के लिए कहा है। इन लोगों ने किस ढंग से कहा है, मुझसे ज्यादा कहीं इन सदस्यों ने इसमें भाग लिया। भूमि आवंटन के संबंध में सदस्यों ने कहा। माननीय राम रतन सिंह ने कहा और भी सदस्यों ने कहा कि बावजूद इसके जो इस पुस्तिका में है कि अगर आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया तो जुर्माना होगा, लोग पकड़े जायेंगे, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, वे बतायें कि 2 साल में कितने लोगों पर, जुर्माना हुआ, कितने पकड़े गये कितने जेल में भेजे गये। जितनी मेरी इत्तिला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ केवल कागजी कार्यवाही हुई।

1977-78 के पुस्तिका में इस पर कुछ सदस्यों ने, जो पोस्टिंग हो रही है, मुझसे अधिक मंत्री जी जानते है, एक लगान की वसूली 2-2, 3-3 बार इसलिए हुई कि पोस्टिग नहीं हो रही है। ब्लाक का रुपया चला आया, दर्ज नहीं हुआ। आपका जो रेवेन्यू 25 करोड़ था, 40 करोड़ हो गया, 100 करोड़ और बढ़ा कर हो रहा है। लेकिन जो माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कहा है, आप स्वयं तारीफ करेंगे और माननीय मंत्री जी स्वयं मानेंगे यह बात बिल्कुल सही है। इसी प्रकार, श्रीमन्, पुराने मंत्री ने पिछले साल एक बात कही थी अपने बजट भाषण में जिसकी चर्चा यहाँ आई कि इस साल लगान वैज्ञानिक ढंग से लिया जायेगा। यह क्या वैज्ञानिक ढंग था मुझे नहीं मालूम, श्रीमन्। उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्तर्गत एक कमेटी स्थापित की जायेगी जो बतलायेगी कि कितने रुपये किस तरह से लिये जाये जिसका भार कम से कम लोगों पर पड़ता हो फिर भी यह साइन्टिफिक हो जाये। मैं यह जानता चाहता हूं कि उस कमेटी का क्या हुआ, वह कमेटी क्या है उसकी रिपोर्ट क्या है।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा। यह लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट बहुत पुराना हो गया है। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने विधेयक लाये है, कितने अध्यादेश लाये हैं। माननीय मंत्री जी हमसे पुराने है, हम लोगों से ज्यादा तजुर्बेकार है। क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट जो इतना पुराना हो गया है इसका कब संशोधन करायेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने की बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्यों ने कहा। ग्राम समाज की जमीन लेने में लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानूनगो गाँव के लोगों से गाँव के प्रधान से सादे कागज पर दस्तखत करवा कर ठप्पा लगवा लेते हैं और तहसील में बैठकर प्रस्ताव लिख लेते है तब यह प्रस्ताव दिखलाया जाता है एस0 डी0 एम0 को। तब वह ठप्पा लगाता है। तो इसमें सजा प्रधान को ही क्यों होती है? लेखपाल को क्यों नहीं होती, कानूनगो को क्यों नहीं होती, तहसीलदार, एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 को क्यों नहो होती ?

श्रीमन्, अन्तिम बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। श्रीमन्, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बाढ़ के संबंध में परेशानी हमें उसी समय होती है जब बाढ़ आने वाली होती है या आ गयी होती है दरवाजे पर और इस साल भी वही होगा। आप तो क्रांति के दूत हैं, क्रांति के दूत के रूप में आये हैं। तो क्रांति क्या इसी में है कि क्या क्रान्ति को मुर्दा कर दिया जाये? अगर क्रांति का यही मतलब है तो मुख्य मंत्री जी से उप मुख्य मंत्री जी से मैं इसकी तारीफ करूंगा और उन्हें बधाई दूंगा। उप मुख्य मंत्री जी ने मेरी ताइद की। ताइद तो सभी सदस्यों ने की। मुझसे ज्यादा और लोगों ने कहा। लेकिन बेचारे कह कैसे सकते हैं, बेचारे जो ठहरे। मुह बन्द कर दिया गया है इन लोगों का, कैसे बोलें ?

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)––

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी और बहुत ही लगन के साथ अपनी बातें कहीं। मुझ पर इसका बहुत अच्छा असर हुआ है। कहाँ कमियाँ है, क्या-क्या ठीक करना है तो हमें खासतौर से तीन बातें मिलीं। एक तो चकबन्दी के बारे में ज्यादातर माननीय सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार है, इसका मैं जवाब दूंगा। दूसरे बा के सिलसिले में बहुत सी बातें आपने कहीं, तीसरे कुछ लोगों ने, मुझे महसस हुआ कि उनकी मेरे साथ बड़ी हमदर्दी है। चूंकि राजस्व विभाग के विषय में अधिक लोगों ने कहा है कि मैं हूं तो राजस्व मंत्री लेकिन स्थानान्तरण केवल तहसीलदार का हो सकता है। खर्च कमिश्नर का है, एस0डी0 एम0 का है,बोर्ड का है, सभी चीजों का बजट है लेकिन अधिकार सीमित हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुयी कि बहुत लोगों की हमदर्दी राजस्व मंत्री के साथ है। हमने इस पर विचार किया है, मैं पहले कहना भूल गया कि बहुत शीघ्र ही राजस्व परिषद् को समाप्त करने पर विचार हो रहा है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

यह करीब-करीब बात तय हो चुकी है, हमें इसका आल्टरनेटिव देखना है कि किस तरह होना चाहिये। वाकई में बहुत तकलीफ होती है, किसी नायब तहसीलदार का तबादला करना चाहिये, माननीय सदस्यगण कहते हैं कि बड़ा भारी भ्रष्टाचारी है, वह बेईमान है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, कल तक हटा दें, मैं समझता हूं कि वाकई मै हट जाना चाहिये, लेकिन मैं विवश हो जाता हूं, अपना आदेश देने के बाद कि वह कहाँ-कहाँ घूमकर उस तहसील में पहुंचेगा। यह वाकई में मुसीबत है। इसके निराकरण की कोशिश, किसी हद तक मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र हो जायगी।

दूसरी बात चकबन्दी के विषय में है। मैं स्वयं इस चीज को महसूस करता हूं, जितनी आप लोगों ने कही उससे ज्यादा महसस करता हूं। जमीन का मामला ऐसा है, काश्तकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण सिंह]

अपना सब कुछ निछावर करने के लिये तैयार रहता है, किसान को अपनी खेती-बारी से बहुत लगाव होता है, वह चाहता है कि उसकी जमीन किसी दूसरे के पास न जाय। मैं वकील रहा हूं, मैंने चकबन्दी के बहुत से केसेज लड़ाये हैं। मैं देखता हूं कि बहुत लोग परेशान होते हैं और प्रार्थना पत्र देते हैं कि मुझे फलाँ नम्बर का चक दिलवा दीजिये। चूंकि लोगों का स्वार्थ उसमें ज्यादा होता है इसलिये शिकायतें होना जरूरी है। यह बात कहकर मैं अधिकारियों को बचाना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि उनमें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ियाँ है, लेकिन जब लोग इस तरह से उनके पास जाते हैं खुशामद करते हैं तो उनको भी अकड़ आ जाती है। इसके लिये मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जहाँ चकबन्दी के विषय में, मेरी तसल्ली उस विषय में हो जायगी कि फलाँ आदमी या अधिकारी भ्रष्टाचार का शिकार है तो मैं यह विश्वास दिला सकता कि उसके खिलाफ मैं कार्यवाही जरूर करूंगा, नहीं चूकूंगा।

इसी तरीके से बाढ़ के बारे में बातें कही गयीं कि बाढ़ के आवंटन के सिलसिले में जो हम अनाज या रुपया देते हैं उसमें गड़बड़ी होती है। इसके विषय में बहुत शिकायतें हैं मैं इसको मानता हूं। यह भी कुछ ऐसा मामला है जिसमें इमरजेन्सी स्केल पर हम काम को करना चाहते हैं और उस समय जहाँ बाढ़ आ गयी एक तहसील या एक दो जिलों में 20–25 गाँवों में तो हमारे अधिकारी मौके पर और हम भी पहुंचते हैं। साथ ही हमारे विधायक जो हैं उनका भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह भी डी0 एम0, तहसीलदार या एस0 डी0 एम0 से सम्पर्क स्थापित करें और इस प्रकार यदि दोनों का सहयोग हो जाय तो अच्छा है। मैं मानता हूं कि वह गड़बड़ी जरूर करते हैं जैसे 70 आदमियों की लिस्ट बनायी गयी तो शिकायत आयी कि 50 आदमियों को सहायता दी गयी और 20 को अधिकारी लोग खा गये। तो इस तरह की शिकायतें बहुत हैं। इसमें हमने तहसीलदार या दूसरे अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है और ले रहे हैं। 7–8 जगह माननीय विधायकों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं कि गड़बड़ी हुई तो हमने लखनऊ से आदमी भेजकर जाँच करवाते हैं या डी0 एम0 से जाँच करवाया है। इसलिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो शिकायतें होंगी उनके खिलाफ हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने एक बात यह भी कहा कि बाढ़ आने पर मौके पर ही प्रबन्ध होता है तो हमने भविष्य के लिये प्रबन्ध किया है। हमने बजट रखते समय ही कहा था कि जैसा कि पी0 ए0 सी0 में जिक्र किया गया कि नाव नहीं मिलती है। तो हमने पी0 डब्लू0 डी0 और डी0 एम0 को अधिकार दिये हैं कि नाव दूसरी जगहों से न मंगाये बल्कि अपने वहाँ वह नावें तैयार करवाये जिससे तुरन्त ऐक्शन ले सकें।

मान्यवर, बहुत सी शिकायतें माननीय सदस्यों ने ट्रांसफर के संबंध में किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों को पत्र लिखे हैं कि वह इस संबंध में अपने सुझाव 10 मई तक दे लेकिन अब वह 21 मई तक दे सकते हैं कि जिनको 10 साल एक जगह पर हो गये हैं उन पर हम जरूर विचार करेंगे।

मान्यवर, भूमि आवंटन के संबंध में जो माननीय सदस्यों ने कहा तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि ऐक्ट को ही परिवर्तन नहीं किया है। बल्कि यदि किसी को एक बार भूमि आवंटन कर दिया तो उसको अधिकार हो जाता है कि यदि उस पर दूसरा कब्जा करता है तो उस समय कानून में अधिकार हमने दिया है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर उसको सजा दी जाय।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत किया कि एक आदमी की मौत हो जाती है तो दाखिल खारिज होने में बहुत देर लगती है। तो इसको नियम समिति में हमने रखा है कि एक आदमी के मरने के बाद उसके कोई लड़का है तो लेखपाल को स्वयं ही इन्दराज

कर देना होगा। यदि किसी केस में डिस्प्यूट है तो धारा 229 (बी) में वह केस ट्रांसफर हो जायेगा और फिर उसमें वह तय किया जायेगा। मान्यवर, धारा 115 (सी) के संबंध में मुझे अफसोस है कि इसमें जो मुकदमे चले हैं उसमें लम्बे-चौड़े जुर्माने किये गये हैं। मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूं कि यह गलत है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। अगर यह दूर किया जा सकता है, तो मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। एक-एक आदमी पर हजार-हजार, दो-दो हजार जर्माना है। वे कहते हैं कि हमारा कब्जा नहीं है। लेकिन तहसीलदार फिर भी जुर्माना कर देता है। इन केसेज को देखवा रहा हूं कि इस किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, दो चीजों के बारे में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जरा और स्पष्ट कर दें---एक तो सेटिलमेंट के बारे में कहा था। दूसरा--जौनसार भाभर का मामला है।

श्री नारायण सिंह---

सेटेलमेंट में कहा था कि हम और अधिकारियों की सोच रहे हैं। जहाँ कहीं सेटेलमेंट की माँग करेंगे, हम जरूर सेटेलमेंट करेंगे। दूसरे--जानसार भाभर की अगर समस्या हो तो जानकारी दें। यह विश्वास रखें कि हम हर तरह से सहयोग देंगे।

एक बात यह कही गयी कि छोटी सी किताब दे दी गयी। इसके बारे में तो यही कहना चाहता हूं कि---

सतसइया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर,
देखन में छोटे लगें, घाव करेंगे गंभीर।

इसी से भाव समझ लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मंत्री जी, भाव नहीं, बल्कि घाव कहें।

श्री नारायण सिंह---

इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों से, सभी माननीय सदस्यों से, माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि अब इसको बगैर किसी अपोजीशन के पास करने की कृपा करें।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)---

मान्यवर, मैं एक चीज माननीय राजस्व मंत्री जी से स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों की राय थी कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिये तहसील हेडक्वार्टर्स जो काफी दूर-दूर है और गाँव वालों को परेशानी होती है-- तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि इस पर शासन की क्या योजना है। आखिर नयी तहसीलों को खोलने के बारे में शासन का क्या विचार है?

श्री नारायण सिंह---

मान्यवर, नयी तहसीलों के बारे में कहना चाहूंगा कि यह तो शुरू में ही मैंने कहा कि नयी तहसील खोलने में 50 लाख आता है। बजट कहीं से आयेगा तो विचार कर लिया जायेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो हमने 20 करोड़ का प्राविधान रखा है, सिर्फ इसीलिये रखा है कि एस0 डी0 एम0, सदर, जिसको सदर में

[श्री नारायण सिंह]

मकान मिले है, उनको सुबह तहसीलों में जाना पड़ता है और शाम को घर आते हैं। अगर उनको वहीं पर मकान मिल जायेंगे, तो मेरा विश्वास है कि वहां पर जब वे जायेंगे, तो सुचारु रूप से काम चल सकेगा।

श्री जसवीर सिंह—

मान्यवर, 50/50 मील से लोग तहसील पर आते हैं। तो कहा गया था कि नयी तहसीलें खोली जायं और डिलिमिटेशन किया जाय। मेरा निवेदन है कि इसके लिये तमाम लोग वालंटरिली भवन देने को तैयार हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी जगहों पर नयी तहसील खोलने पर विचार करेंगे ? मेरा यह मतलब है। मेरा मतलब है डिलिमिटेशन आफ तहसील, हम भवन भी देने को तैयार हैं, आफिसर्स को एकोमोडेशन देने को तैयार हैं—कम से कम मैं अपने क्षेत्र में तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

सिर्फ भवन से ही काम नहीं चलेगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में कहा था कि कितने हरिजन इनके विभाग में, उनका कोटा पूरा हुआ है कि नहीं, लेकिन उसका कोई जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, वह पूछना चाहते हैं कि आपके विभाग में हरिजनों के लिये जितना रिजर्वेशन होना चाहिये, हुआ है कि नहीं ?

श्री नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के सवाल के आंकड़े इस समय तो मरे पास नहीं हैं कि मैं बतलाऊं कि कितने हरिजनों को दिया गया है और कितनों को नहीं दिया गया है। अगर वे कहेंगे तो मैं बाद में आंकड़े दे सकता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में भीषण बाढ़ और दैवी प्रकोप से इस प्रदेश की जनता को करोड़ों रुपये की क्षति हुई थी, इस दैवी प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिये बाढ़ से जून-जुलाई में बचाने के लिये क्या साधन उन्होंने जुटाए हैं जिससे भविष्य में जनता का नुकसान न हो ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह वे बता चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र जी, आप यह कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं तो इतना ही कहूंगा कि स्पष्टीकरण तो हुआ ही नहीं, वापस कैसे लूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,92,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24 के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,07,56,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50 के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50––राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,10,01,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 96 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96––राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,96,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115––राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 115—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,87,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्थानीय निकायों के चुनाव के स्थगन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैंने सुबह निवेदन किया था और आपने निर्देश भी दिया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री.....

(संसदीय-कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, हमने सुना है पहले ही रेडियो में आ गया है....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

सुनने में आया है कि 8 बजे रेडियो न घोषणा कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो यहाँ पर सुनायें, उसे सुनिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

हमने पहले यह घोषणा की थी कि शहरों में स्थानीय निकायों के आम चुनाव जून, 1979 के अन्त तक पूरे करा लिये जायेंगे। जून के अन्त तक चुनाव कराने थे तो सुबह प्रश्न उठाया गया था 21 तारीख के पहले इसकी घोषणा करें यदि कोई तब्दीली होनी है। नोटिफिकेशन के लिए समय लगता है इसलिये जून के अन्त तक इसका समय था वह 21 तारीख के बाद भी हो सकता था, 30 तारीख जून तक हो सकता था। चूंकि मान्यवर, सभी प्रश्नों पर जैसा आपने यहाँ उपस्थित किये थे माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कुछ बातें उपस्थित की थीं तो उनको ध्यान में रखते हुये और माननीय सदस्यों की परेशानी को देखते हुए मैं अब उनको यह अवगत कराना चाहता हूं कि सभी परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद शासन ने यह निर्णय लिया है कि स्थानीय निकायों के आम चुनाव अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिये जायं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसके विरोध में हम पाँच मिनट के लिए वाक आउट करते हैं।

(श्री देव बहादुर सिंह, श्री श्यामधर मिश्र तथा काँग्रेस (आई) के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा निवेदन यह है कि सरकार लगातार चुनावों को टालती जा रही है। इसका एक कारण यह है कि शासन पक्ष में आपस में मतभेद है और वह मतभेदों को रिमूव नहीं कर पा रही है। हालत क्या है। एक गुट ने एडवाइजरी कमेटी में अपने लोगों को रखा है। तमाम नौकरशाही चल रही है। मैं समझता हूं कि यह घोर अन्याय प्रदेश की जनता के साथ जनता सरकार कर रही है। लगता है उनको यकीन नहीं है कि चुनाव में उनकी जीत होगी लिहाजा यह फैसला किया गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि चुनाव कब तक के लिए स्थगित किये गये हैं। यह घोर अप्रजातांत्रिक कार्य है और इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय नेगी साहब तथा अन्य माननीय नेतागण ने मेरी बात सुन ली होती तो शायद उनको वह निर्णय न लेना पड़ता जो उन्हें लेना पड़ा। सही बात वह नहीं है जो उन्होंने कही। ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है कि नगर पालिकाओं और टाउन एरियाज में जनता पार्टी या मंत्रि परिषद् से संबंधित लोगों को नामिनेट करना चाहते हैं। यह गलत है और इस तरह की कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की जाने वाली है और न कोई इरादा है। मामला यह है कि स्थानीय निकायों के प्रशासकों का जो कार्यकाल है उसे 6 महीने तक बढ़ाने का प्रश्न होगा और उस दरमियान में चुनाव सम्पन्न करा देने हैं। राजनीतिक दलों तथा विधायकों की ओर से दिल्ली में भाषणों द्वारा तथा अखबारों के द्वारा बयान आये हैं कि इस समय जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इन चुनावों को टाल देना चाहिये। विभिन्न प्रकार तथा दलों के नेताओं ने तथा जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने जो बातें कही ह उनमें एक बात यह भी है कि स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट पद्धति से करने का फैसला लिया गया है। उनकी राय यह हो रही है कि इससे कई प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायंगी। तो यह सोचा गया कि जो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की राय आई है उन पर पुनर्विचार कर लिया जाय। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन चूंकि इस प्रकार के विचार आये हैं इसलिये उन पर पुनर्विचार करना उचित समझा गया है। इसमें कुछ समय लगेगा इसलिये भी चुनावों को थोड़े दिन के लिये टालने का फैसला लिया गया। पिछली दफा जब यह प्रश्न आया था तो माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की थी कि 15 जून तक सदन चलेगा और 3, 4 दिन बाद चुनाव कराने जा रहे है तो इससे उनको कठिनाइयाँ होंगी।

इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने तथा प्रतिनिधिगण ने यह भी कहा था कि जून के महीने में गर्मी से भी परेशानी होगी। इसको ध्यान में रख कर भी इस पर पुनर्विचार किया गया। लोगों ने एक मुख्य प्रश्न यह भी रखा कि चुनाव का जो समय रखा गया है उस समय शादियों को बाढ़ है और आने वाले दिनों में कुछ समय तक शादी होने की संभावना नहीं है, इस कठिनाई को ध्यान में रख कर यह फैसला किया गया कि इस पर पुनर्विचार चाहिये। मंत्रि परिषद् ने कल इस पर निर्णय ले लिया था। जैसा आज सुबह कहा गया तो इस सब संभावना को लेकर कहा गया था और मैं इसका उद्घोषणा करने वाला था यह माननीय सदस्यों की कल्पना थी। उनको मालूम हो गया था कि आज इसका एनाउन्समेन्ट होने वाला है। इस आधार पर यह प्रश्न उठाया गया था। लेकिन अगर ईमानदारी से काम लिया होता तो यह प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि विधि में भी संशोधन करना पड़ेगा। जो संशोधन पिछली मर्तबा लाया गया था 6 महीने में चुनाव कराने का वह संभव नहीं होगा, विधि में संशोधन के साथ वह सदन के समक्ष प्रस्तत होगा और सदन ही उसके लिये सक्षम है अन्तिम फैसला लेने के लिये। इसलिये माननीय सदन को मैं विश्वास दिलाता हूं जो भी कार्य होगा बगैर सदन की मोहर लगाये नहीं होगा। जो कठिनाइयाँ थीं उनको मैंने प्रस्तुत कर दिया और उनको देखते हुये माननीय सदस्य उसी भावना के परिपेक्ष में इसको देखेंगे। मैं माननीय तोमर जी से कहना चाहता हूं कि पहले जब हम कहते थे कि चुनाव हो ही जायेंगे तो वे कम से कम अब मान लेंगे कि अब चुनाव टल रहे है और आगे एक निश्चित समय पर चुनाव होंगे। अब तो उनको विश्वास होना चाहिए।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक नियम 51 की सूचना श्री अश्वनी कुमार ने दी है कि पुलिस इन्सपेक्टर (चिनहट) श्री डी0 पी0 सिंह द्वारा स्थानीय राजकीय पोलिटेक्निक, लखनऊ में दिनाँक 18 अप्रल, 1979 को श्री अंजनी कुमार सिंह तथा अन्य छात्रों को पीटे जाने तथा अनेकों की गिरफ्तारी की गई है। इसको मैंने अस्वीकार किया है।

बदायूं के भूतपूर्व विधायक श्री शिवराज सिंह की हत्या के पश्चात् उनके भाई श्री सत्यपाल सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

प्राप्त सूचना के अनुसार 6-5-1979 को प्रातः 3.30 बजे श्री हरनरायन सिंह पुत्र श्री वासुदेव सिंह, निवासी ग्राम सैडोरा ने थाना रजपुरा में एक लिखित रिपोर्ट पंजीकृत कराई जिसमें उन्होंने कहा कि श्री सत्यपाल सिंह की हत्या चार व्यक्तियों श्री जुगुल किशोर, श्री दलपत श्री रामगोपाल गोसाई तथा श्री हजारी सिंह ने कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार श्री सत्यपाल सिंह वादी के बड़े भाई श्री राम प्रसाद की लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिये गये थे और रात में करीब दो बजे वह श्री राम प्रसाद की बैठक में कुछ अन्य लोगों के साथ सोने के विचार से गये। इस अवसर पर अभियुक्तगण मौके पर आये और चबूतरे पर चढ़कर श्री सत्यपाल सिंह पर गोली चलाई जिससे वह घायल हो गये और बाद में बैलगाड़ी से रजपुरा ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गयी। श्री सत्यपाल सिंह के भाई श्री शिवराज सिंह विगत विधान सभा के चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी थे और श्री जुगुल किशोर काँग्रेस (आई) की ओर से इस चुनाव में प्रत्याशी थे। दोनों पक्षों में पारस्परिक वैमनस्य चला आ रहा है और पिछले वर्ष के श्री राज सिंह की हत्या के बाद यह विचार श्री शिवराज सिंह के पक्ष के लोगों में रहा कि उनके विरोधी श्री जुगुल किशोर के प्रोत्साहन पर यह हत्या की गयी है। वर्तमान वर्ष में निर्धारित उप चुनाव में स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह की पत्नी श्रीमती प्रेमवती प्रत्याशी हैं और श्री जुगुल किशोर काँग्रेस (आई) की ओर से इस चुनाव में प्रत्याशी है। श्री सत्य पाल सिंह की हत्या के संन्दर्भ में हुये अपराध की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग कर रहा है। प्रशासन को कड़े आदेश दे दिये गये है कि वह शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो वक्तव्य मुख्य मंत्री ने दिया है उसे यदि आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि पिछला चुनाव 77 में हुआ था और जुगुल किशोर कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार थे। तो मान्यवर, 1977 में कांग्रेस (आई) कहां थी। लगता है यह वक्तव्य बन्द कमरे में बनाया गया है। वक्तव्य ही गलत हो गया। दूसरी बात यह है कि जब सत्यपाल सिंह की हत्या हुई थी उसके पहले शिवराज सिंह की हत्या हो गई थी और जब चुनाव चल रहे थे तो उनके परिवार की रक्षा के लिए भाई, स्त्री की रक्षा आदि के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक उनकी सुरक्षा का सम्बन्ध है इसमें तो वह एक बारात में गये हुये थे और वहां पर पुलिस व्यवस्था तो की ही गई थी और इसलिये की गई थी कि जिनके यहां बारात गई थी वे भी स्वयं इस बात को कहे थे कि हमारे यहां बारात आने वाली है और हमारे पास जेवर और पैसा भी है। साथ ही हमारी यहां पर दुश्मनी है, पार्टीबन्दी है इसलिये पुलिस की यहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वे बारात वाले के यहां न ठहर कर उनके यहां जो वही थोड़ी दूरी पर है, चले गये थे। आक्रमणकारियों ने वहीं पर हमला करके उनकी हत्या कर दी।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जहां पर मृतक सोने जा रहे थे वहीं पर दो पुलिस एस0 आई0 और 4 कानिस्टेबल मौजूद थे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैंने निवेदन किया कि वहां पर नहीं थे लेकिन उस गांव में पुलिस की व्यवस्था थी। एस0 आई0 भी जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, थे लेकिन इस मकान में या बैठक में या 10, 5 गज की दूरी में नहीं थे।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब रिपोर्ट में मुलजिमान मौजूद है तो उसमें विवेचना करने के लिए अनुसंधान विभाग को देने के क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य जानते है कि इस हत्या के पीछे एक राजनीतिक कारण भी है। श्री शिव राज सिह की हत्या के पीछे भी राजनीतिक कारण थे उस समय भी मौके पर दो व्यक्ति पकड़े गये, उसको भी सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दिया था इसलिए कि राजनीतिक कारणों से यह न समझें कि हम अपने विरोधी पक्ष से बदले की भावना रखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि जो रिपोर्ट की गई है उसमें नाजजद कई व्यक्ति है तो उनमें से कितने लोग अब तक पकड़े गये हैं। क्या यह बात सही है कि उस इलाके में जहां चुनाव हो रहा है आतंक फैला हुआ है कि चुनाव होना मुश्किल हो रहा है। तो क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि चुनाव आजादी से हो सकेंगे और निष्पक्ष हो सकेंगे ? क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही प्रश्न करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

फिर समय नहीं मिलेगा। क्या यह बात सही नहीं है कि दोनों तरफ से बंदूके लेकर लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

श्रीमन्, यह जितने प्रश्न माननीय मिश्रा जी ने पूछे उनमें आपस में परस्पर विरोधाभास है। एक तरफ वह कहते हैं कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हुए और दूसरी तरफ कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो सकें और वहां पर आतंक का वातावरण है। मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक कारण होने के कारण ही चूंकि श्री जुगल किशोर प्रत्याशी हैं इस लिए सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जा रही है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सकें इसी आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जहां तक आतंक का सवाल है ऐसी कोई बात नहीं है। निष्पक्षता के साथ चुनाव अभियान चल रहा है और यह व्यवस्था कर दी गयी है कि कोई हथियार लेकर न चले और उनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं ? हां, उम्मीदवारों को जरूर अधिकार है, उनके लाइसेंस कायम है वह रख सकते हैं। दोनों उम्मीदवारों को यह अधिकार है श्रीमती प्रेमवती को एक शैडों भी सुरक्षा के लिए दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में वह बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवराज सिह की हत्या हुई और उसके बाद सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी की गई तो क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है ? यदि हां, तो वह क्या है, ...

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शिवराज सिंह जो पहले मारे गये उनके बारे में क्या पूछना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वह माननीय मंत्री जी के उत्तर में संदर्भित है। इसी पृष्ठभूमि में वह मारे गये और फिर उनके भाई की हत्या हुई। मेरी निश्चित जानकारी है कि उस क्षेत्र में न जाने कितने लोग बिना लाइसेन्स के हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि श्री शिव राज सिंह की हत्या की जांच करने के लिए जो सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हुई है उसकी कोई अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट मिली है ? वह रिपोर्ट क्या है और उसकी पृष्ठिभूमि में क्या कार्यवाही की है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, अभी उस संबंध में विवेचना जारी है।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

और जो चारों तरफ सैकड़ों लोग बिना लाइसेंस के हथियार लिये घूम रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहां तक इस बात का सवाल है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे, उस संबंध में कई प्रशासनिक कदम उठाए गये हैं। दोनों ही ग्रुप्स के लोगों को 107, 116 से अनुबन्धित कर दिया गया है और लाइसेंस सब लोगों के कैंसिल कर दिये गये हैं। कोई हथियार लेकर वहां चल नहीं सकता ह। वैसे बिना लाइसेंसी हथियार ले कर चलना तो वैसे ही अपराध है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग गैर-कानूनी हथियार लेकर चल रहे हैं। दफा 144 भी वहां लगा दिया गया है और जो लोग वहां एलेक्शन प्रचार के लिये जायेंगे वे बन्दूक वगैरह लेकर नहीं जायेंगे। जो विधान सभा या पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन्हीं लोगों को अपने हथियार ले जाने की छूट अवश्य है।

श्री हरिश्चन्द्र—

श्रीमती प्रेमवती वहां की प्रत्याशी हैं, उनके परिवार के दो-दो लोगों की हत्या हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक शैडो सुरक्षा की दृष्टि से दे दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में क्या यह एक शैडो उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इतनी ही बात नहीं है और भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ? जैसे तीन प्लाटून पी0 ए0 सी0 वहां भेज दी गई है, कुछ दूसरी जगह से पुलिस मंगाकर वहां भेजी गई है और पेट्रोलिंग कारों की भी व्यवस्था कर दी गयी है। ऐसे बहुत से कदम हैं, जिनके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां पर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है और चुनाव तक बनी रहेगी।

श्री हरिश्चन्द्र—

एक शैडो के बावजूद श्री शिवराज सिंह की हत्या की गई तो क्या ऐसी हालत में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक शैडो पर्याप्त है ? आपने जो बताया यह सारी व्यवस्थाएं तो क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था के लिये है ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

एक शैडो साथ होने के बावजूद श्री शिवराज सिंह और उनके भाई की हत्या की गई, उसके बाद क्या पुलिस ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की उस क्षेत्र में कौन-कौन शातिर किस्म के हार्डेन्ड क्रिमिनल्स है ? क्या इसका कोई प्रयास किया गया कि उस क्षेत्र में कितने लोग संगीन अपराधों में वान्टेड है, जो खुले आम घूम रहे है और जिन्हें राजनैतिक लोग प्रश्रय दे रहे हैं ? इसको कराया गया होता पहले ही तो उनके भाई सत्यपाल की हत्या न हुई होती।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उससे उठता नहीं है, यह आम सुरक्षा की बात है।

श्री देवबहादुर सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि उनकी जब हत्या हुई तो जो पुलिस वहां पर पोस्टेड थी, उसको इसकी जानकारी कब हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैं शायद उन्हें समझने में थोड़ा कामयाब नही हो रहा हूं। यह वहां पर पुलिस जा कर नहीं सो रही थी, पुलिस जो वह थी वह जिसके यहां बारात आई थी, उसके यहां थी। उसके घर और जहां पर सत्यपाल सिंह गये, वह स्थान कुछ ही दूरी पर है। पुलिस को सूचना पांच मिनट के अन्दर ही इन व्यक्तियों ने जा कर दे दिया। पुलिस आयी और पुलिस ने ही उनकी चिकित्सा की सुविधा के लए बैलगाड़ी की व्यवस्था करके उन्हें ले जाने की व्यवस्था की। पुलिस वालों ने सारी बातें बतायीं, कि कैसे-कैसे वह गिरे।

श्री हरिश्चन्द्र—

मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमती प्रेमवती की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस एस्कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है जब तक चुनाव हो रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसी व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एफ0 आई0 आर0 में श्री जुगुल किशोर, श्री दलपत, श्री रामगोपाल गोसाई तथा श्री हजारी सिंह, चार नाम हैं। माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि राजनीतिक कारणों से सरकार पर आरोप न लगाया जाय कि सत्ता का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। श्री जुगुल किशोर चुनाव में प्रत्याशी हैं। उनको न गिरफ्तार करने की बात समझ में आ सकती है। लेकिन रामगोपाल गोसाई मशहूर क्रिमिनल है और कई क्रिमिनल केसेज में वान्टेड है। वह राजनीतिक कार्यकर्त्ता नहीं है। तो अन्य लोगों को जो नामजद है उनको गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

चार जो मुलजिम हैं, इसमें कौन-कौन लोग गिरफ्तार किये गये या नहीं गिरफ्तार किये गये ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। एक तो कारण यह है कि सी0 आई0 डी0 की जाँच फौरन बैठा दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब देते दीजिये।

श्री रमा शंकर कौशिक—

सी0 आई0 डी0 की जाँच तत्काल बैठा दी गयी है। वह हो ही जायगी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की जाँच का यह मतलब होता है कि या तो संदेह हो रहा है कि पुलिस उनको बचा रही है, साफ-साफ चार नाम हैं, जो हार्डेड क्रिमिनल्स है, उनको न पकड़ने का क्या कारण है ? सी0 आई0 डी0 की जाँच से यह निष्कर्ष निकाला जाय कि सरकार स्वयं असमंजस में पड़ गयी है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

सी0 आई0 डी0 को जाँच के लिए जब मुकदमा दे दिया गया। जब सी0 आई0 डी0 गवाही या बयान लेगी तहकीकात में प्राइमाफेसी केस आ जायगा तब अरेस्ट होगी।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)---

प्रदेश के कोने-कोने में अनेकों हत्याएं राजनीतिक हो रही हैं और इन हत्याओं के पीछे किसी राजनीतिक तत्वों का क्या रोकने की क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिए।

श्री देवबहादुर सिंह---

चुनाव हो रहा है। आप सब जानते हैं। कई पार्टियाँ लड़ रही हैं। हमारी पार्टी भी लड़ रही है। जो सूचना हमको मिली है,जो हत्याओं का सिलसिला चला है, उसे कठिन हो गया है कि वहाँ का चुनाव अभियान आगे बढ़ाया जाय। मैं आश्वासन लेना चाहता हूं कि क्या इतना आश्वासन देंगे कि हर पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हर पार्टी की बात कहता हूं, राजनीतिक कार्यकर्त्ता निर्विघ्न और स्वछंद चुनाव कार्य कर सकेंगे इसकी व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

करेगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

एफ0 आई0 आर0 में नामजद होने के बाद सरकार के पास कौन से ऐसे तथ्य आ गये हैं जिनके कारण पुलिस से इन्क्वायरी वापस लेकर अपराध अनुसंधान शाखा को दे दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जबाव वे दे चुके हैं।

श्री जसवीर सिंह---

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना से पूर्व मृतक के जीवन रक्षा के लिए शासन ने कोई इंतजाम किया था या नहीं, मान्यवर, एक भाई का मर्डर हो गया, लेकिन शासन ने इस तरह का कोई सुरक्षात्मक कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी, यह सूचना आपको थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

मुझे इस तरह की कोई सूचना नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और 21 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 31 मिनट पर सोमवार, 21 मई, 1979 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
19 मई, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये पीछे पृष्ठ 10 पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किया गया संशोधन में उपखंड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय:

खंड संख्या 2—

"(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय,

अर्थात् (क) "कृषि" और "कृषि प्रयोजन" में भूमि को खेती के योग्य बनाना, खेती करना, भूमि सुधार (जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास करना भी है) फसलों को उगाना और उनकी कटाई करना, उद्यान कृषि, वन-विज्ञान, पशुप्रजनन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, शूकर पालन, कुक्कुट पालन, बीज-कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और ऐसे अन्य क्रिया-कलाप सम्मिलित है जिन्हें सामान्यतः उपर्युक्त क्रिया-कलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो, और इनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:

(1) कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय, उनका संग्रह और परिवहन,

(2) ऐसे किसी भी क्रिया कलाप से सम्बन्धित उपकरणों और मशीन का अर्जन,

(3) गोबर गैस संयंत्रों का अर्जन, और

(4) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

स्पष्टीकरण—

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद "कृषि सेवा केन्द्रों" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या कर्मशाला से है जहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित उद्यमी बीज, उर्वरक, कीटनाशी, नाशि-कीटमार या कृषि उपयोग के अन्य माल का विक्रय या किराये पर ट्रैक्टर या अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में कृषि क्रिया या कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य करते हैं।"

पी० एस० यू० पी०–एल० 209 वि० सभा (312)—1979—8351